VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अप्रैल –2016

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राज्य व्यवस्था और प्रशासन 6

1.1. केंद्र–राज्य संबंधः अनुदान के लिए नया ढांचा 6

1.2. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2015 7

1.3. उद्योग विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2015 8

1.4. रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल, 2016 8

1.5. भारतीय न्याय प्रणाली 9

1.6. आपराधिक न्याय प्रणाली 10

1.7. चुनाव सुधार 10

1.8. विद्युत मंत्रालयः नई योजनाएं 11

1.9. अनमोल और ई–रक्तकोष पहल 12

1.10. नीति आयोग द्वारा कृषि भूमि लीज (पट्टे) पर दिए जाने के लिए मॉडल अधिनियम 12

1.11. प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015 में संशोधन 13

1.12. नेशनल इंस्टिट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क 13

1.13. 2015 में फांसीः एमनेस्टी की रिपोर्ट 14

1.14. नीति आयोग के द्वारा नवीन योजना प्रारूप पर कार्य 14

1.15. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासनः हाल के घटनाक्रम 14

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व 15

2.1 चतुर्थ नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन (NSS) 15

2.2 तेरहवाँ भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन 16

2.3 भारत–अमेरिका 17

2.4 भारत–सऊदी अरब 18

2.5 भारत –मालदीव 20

2.6 भारत और ईरान 20

2.7. चीन और श्रीलंका 21

2.8. अमेरिका–सऊदी अरब संबंध 21

2.9. यमन संघर्ष–विराम 22

2.10. अफगानिस्तान में भ्रामक शांति 22

2.11. शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 23

2.12. उइघुर नेता डोल्कुन इसा का वीजा मुद्दा 24

2.13. राष्ट्रपति की पापुआ न्यू गिनी यात्रा 24

3. अर्थव्यवस्था 25

3.1. प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र 25

3.2. द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के लिए केंद्र–राज्य निवेश करार 26

3.3. एकीकृत कृषि बाजार 26

VISION IAS

3.4. व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम 2015 27
3.5. रोजगार पर श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण 2015 27
3.6. भारत में ई–कॉमर्स 28
3.7. मराठवाड़ा में सूखा और चीनी मिलों का मुद्दा 28
3.8. मौद्रिक नीति में नकारात्मक ब्याज दरें 28
3.9. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तपोषण (FDI फाइनेंसिंग) 29
3.10. गरीबी मापनः नीति आयोग का कार्यदल 29
3.11. पनामा दस्तावेज़ लीक 29
3.12. मेक इन इंडिया पर नज़र रखने और राज्यों को रैंकिंग देने के लिए डैशबोर्ड 30
3.13. भारत में स्मार्ट सिटी पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट 30
3.14. CSR खर्च को बढ़ावा देने के लिए FCRA में सुधार 31
4. सामाजिक मुद्दे 32
4.1 यौन अपराधियों का पंजीकरण 32
4.2 शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर अद्यतन जानकारी 32
4.3 परिवार कानून में सुधार 32
4.4 नौसेना ने महिलाओं को स्थायी नियुक्ति (परमानेंट कमीशन) प्रदान की 33
4.5 भारत में वृद्धों की बढ़ती संख्या 33
4.6 मधुमेह 34
4.7 शहरी स्वास्थ्य पर वैश्विक रिपोर्ट 34
4.8 कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा आवरण : भारत में स्वास्थ्य' रिपोर्ट 34
4.9 भारत में चिकित्सीय अति प्रयोग संकट 35
4.10 वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन का मुद्दा 36
4.11 संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के लिए नियम 36
4.12 भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति 37
4.13 बिहार में शराब बंदी 37
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 38
5.1 पेटेंट से जुड़े मुद्दे व भारतीय जेनरिक दवाएं 38
5.2 एकीकृत भुगतान व्यवस्था 38
5.3. SRSAM (शार्ट रेंज सरफेस–टू–एयर) मिसाइल प्रणाली 39
5.4 के–4 मिसाइल–मध्यम दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपण योग्य बैलिस्टिक मिसाइल 39
5.5 सिंथैटिक आर्गेनिज्म 39
5.6 भारत का विशालतम प्रकाशिक दूरबीन 40
5.7 महासागरीय दशा पूर्वानुमान सेवाएं 40
5.8 IRNSS अब नाविक 40
5.9 जीनो–ट्रांसप्लाण्ट्स 41
5.10 क्वाण्टम स्पिन लिक्विड 41
5.11 बीम 41
5.12 जलशुद्धिकरण के लिए नई पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी 41

VISION IAS

5.13 सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन का उपयोग 42

5.14. पेट्रीफिकेशन 42

6. आतंरिक सुरक्षा / कानून व्यवस्था 43

6.1. वृहद् समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली 43

6.2. आतंकवादरोधी साइबर–विस्तार 43

6.3. सीमा–पार मानव तस्करी : एक संगठित अपराध 43

6.4. भारत ने वैश्विक आतंकी डेटाबेस में शामिल होने से इंकार किया 44

6.5. वैश्विक सैन्य व्यय 44

6.6. भारत का पहला समुद्री शिखर सम्मेलन 45

6.7 नोमेडिक एलीफैंट –2016 46

6.8. शत्रुजीत सैन्याभ्यास 46

6.9. लक्षद्वीप पर नौसैनिक टुकड़ी तैनात 46

7. पारिस्थितिकी और पर्यावरण 47

7.1 सूखा रोकथाम और प्रबंधन 47

7.2 ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल विरंजन 48

7.3 ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचः NSSO सर्वेक्षण 48

7.4 पवित्र वनों की सुरक्षा 48

7.5 राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना 49

7.6. केंद्रीय सूचना आयोग ने GM सरसों के जैव सुरक्षा आकड़ों को मंत्रालय से सार्वजनिक करने के लिए कहा 49

7.7 परागणकारियों की संख्या में गिरावट व संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 50

7.8. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नए नियम 51

7.9. अनुल्लंघनीय वन नीति 51

7.10 कार्बन प्रच्छादन 52

7.11. भारत में स्वच्छ ऊर्जा 52

7.12. NGT द्वारा तवांग जल विद्युत परियोजना पर रोक 53

7.13. पेरिस समझौताः मुद्दे 54

7.14. इनडोर वायु प्रदूषण 54

8. कला और संस्कृति 55

8.1 कनियन कूथु 55

8.2 चेरामन जुमा मस्जिद 55

8.3 रणजीत सिंह की मूर्ति 56

8.4 फुलकारी 56

8.5 फिल्मों के प्रमाणन हेतु श्याम बेनेगल समिति 56

8.6 सिख गुरुद्वारा (संशोधन)विधेयक, 2016 57

8.7 कलमकारी कला 58

8.8 कर्नाटक में बौद्ध शिलालेख पाया गया 58

8.9. प्राचीन ताम्र–पत्र पर उत्कीर्ण विषयवस्तु की व्याख्या 59

8.10. कामागाटामारू प्रकरण 59

VISION IAS

8.11. सहपीडिया 59
8.12. कोहिनूर हीरा 60
8.13 पुरातन वस्तुओं (पुरावशेष) के प्रति उदासीनता 60
9. सुर्खियों में 62
9.1. राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016 62
9.2. पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के लिए विवाद समाधान तंत्र 62
9.3. मानवरहित जमीनी वाहन (यू.जी.वी.) 63
9.4. सिलिका एयरोजेल 63
9.5. कुनपेंग–1बी........ 63
9.6. आधार नामांकन की संख्या 100 करोड़ के पार 63
9.7. प्रधानमंत्री द्वारा 'स्टैंड अप इंडिया' के शुभारंभ से संबंधित नए तथ्य 63
9.8. संविदा श्रमिकों के लिए मासिक मजदूरी का पुनरीक्षण 64
9.9. आवंटित स्पेक्ट्रम के उदारीकरण हेतु नई नीति 64
9.10. ब्रिक्स शहर कॉन्क्लेव 64
9.11. पृथ्वी दिवस 65
9.12. केले की खेती में पनामा रोग 65
9.13. मैड काउ रोग 65
9.14. भारत में ट्रांसनेशनल स्किल स्टैण्डर्ड 66
9.15. व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन नीति 66
9.16. पर्यावरण चावड़ी........ 66
9.17 पीत ज्वर 66
9.18. विश्व में बाघों की संख्या में वृद्धि........ 67
9.19. शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य के रूप में भारत चीन से आगे 67
9.20. कंप्यूटर संबंधित आविष्कार (CRI) हेतु नए दिशा–निर्देश 67
9.21. मध्य प्रदेश में खुशहाली मंत्रालय 68
9.22. आदि वानर (प्राइमेट) की नई प्रजाति देखी गई........ 68
9.23. जेनेरिक दवाओं का परामर्श देने संबंधी कानून पर विचार 68
9.24. नागोर्नो–काराबाख क्षेत्र........ 69
9.25. खर्चीली विधिक प्रणाली सर्वेक्षण रिपोर्ट........ 69
9.26. सार्वजनिक सुरक्षा 69
9.27. प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 70

VISION IAS

1. राज्य व्यवस्था और प्रशासन

1.1. केंद्र–राज्य संबंध: अनुदान के लिए नया ढांचा

(Centre-State relations: New Framework for Grants)

2016–17 में प्रस्तुत किये गए बजट में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को धन हस्तांतरण से संबंधित तीन महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं।

(i) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को तार्किक बनाना

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को तार्किक बनाने एवं उन्हें पुनर्संरचित करने के लिए मुख्यमंत्रियों के एक उपसमूह का गठन किया गया।
- इस उपसमूह के द्वारा यह अनुशंसा की गयी है कि केंद्र द्वारा उन्हीं योजनाओं को प्रायोजित किया जाना चाहिये जिनका संबंध राष्ट्रीय विकास से हो।
- यह भी सिफारिश की गयी है कि योजनाओं को कोर (core) और ऑप्शनल (optional) योजनाओं के रूप में दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। कोर योजनाओं के बीच भी सामाजिक सुरक्षा और वंचित वर्गों के समावेशन पर आधारित योजनाओं को 'कोर ऑफ़ द कोर' योजनाओं (core of the core) के रूप में परिभाषित जाना चाहिए।
- उपसमूह ने यह भी सिफारिश की है कि कोर योजनाओं में निवेश के वर्तमान स्तर को बनाये रखना चाहिए, ताकि योजनाओं के अधिकतम विस्तार में कोई कमी न हो।

बजट 2016–17 में अनुदान के लिए नया ढांचा

- सरकार ने मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की सिफारिशों के आधार पर सरकारी अनुदान का पुनर्गठन किया है।
- सरकार ने 'कोर ऑफ़ द कोर' के रूप में परिभाषित योजनाओं के वित्त पोषण के मौजूदा पैटर्न को उपसमूह के निर्णय के अनुसार बरकरार रखा है।
- राष्ट्रीय विकास एजेंडे के हिस्से वाली कोर योजनाओं पर व्यय केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जायेगा, जबकि 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 होगा।
- अगर, उपरोक्त वर्गीकरण की परिभाषा में आने वाली, कुछ योजनाओं में केंद्र का अनुदान 60% से कम है, तो ऐसी योजनाओं/उप–योजनाओं का मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न जारी रहेगा।
- अन्य ऑप्शनल योजनाएँ राज्यों के लिए वैकल्पिक रहेंगी और इन पर व्यय होने वाली राशि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजित की जाएगी, जबकि 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 80:20 होगा। ऐसी कुछ योजनाएँ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन आदि हैं।
- केंद्रीय बजट 2016–17 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कुल संख्या को सीमित करते हुए 28 कर दिया गया है।

छः कोर ऑफ़ द कोर योजनायें:

- राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
- अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना
- अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना (जनजातीय शिक्षा और वन बंधु योजना)
- पिछड़े वर्गों एवं अन्य सुभेद्य वर्गो के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना
- अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना (a) बहुक्षेत्रीय योजना
  (b) मदरसा एवं अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक योजना

18 कोर योजनाओं के कुछ उदाहरण:

- हरित क्रांति (a) कृषि उन्नति योजना (b) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- श्वेत क्रांति–राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना
- प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना
- स्वच्छ भारत अभियान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान
- एकीकृत बाल विकास योजना
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

(ii) चौदहवें वित्त आयोग द्वारा करों में हिस्सेदारी के निर्धारण के पश्चात् करों का हस्तांतरण

- कर विभाज्य पूल में 42% तक हिस्सेदारी बढ़ने के कारण राज्यों को हस्तांतरित कुल संसाधनों में अधिक वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2016–17 में राज्यों को सकल हस्तांतरण 9,18,093 करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2015–16 में यह 8,18,034 करोड़ रुपये था।

(iii) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रभावी परिणाम के आधार पर निगरानी की जाएगी तथा बजट में योजना और गैर–योजना व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जायेगा।

- सभी मंत्रालयों और विभागों के योजना और गैर–योजना व्यय से संबंधित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया।
- मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं को परिणाम के आधार पर अम्ब्रेला कार्यक्रमों और योजनाओं के रूप में पुनर्गठित किया गया है, ताकि संसाधनों का अपव्यय ना हो।

VISION IAS

1.2. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2015

(Rights of Transgender Persons Bill, 2015)

सुर्खियों में क्यों?

- सामाजिक न्याय मंत्रालय ने हाल ही में 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2015 के मसौदे को, कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे जाने से पहले, इसे अंतिम रूप देने के लिए कानून मंत्रालय के पास भेजा।

पृष्ठभूमि

- यह विधेयक उच्च सदन के सांसद तिरुचि शिवा द्वारा निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक को 24 अप्रैल 2015 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था।
- लेकिन तब सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि सांसद तिरुचि शिवा के विधेयक में व्याप्त कमियों को दूर करके सरकार स्वयं इस विधेयक को सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत करेगी।

निजी सदस्य विधेयक

- किसी विधेयक को निजी विधेयक माना जाये अथवा सरकारी विधेयक, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उसे किसी सांसद के द्वारा निजी रूप से प्रस्तुत किया गया है अथवा सरकार के किसी मंत्री के द्वारा।
- संसद का कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है निजी सदस्य कहलाता है।
- लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार के अंतिम ढाई घंटे सामान्यतः निजी सदस्यों के मामलों यथा निजी सदस्यों के विधेयक संकल्प आदि के निपटारे के लिए आवंटित किये जाते हैं।
- इससे पहले उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार संवर्धन) विधेयक, 1968 अंतिम निजी सदस्य विधेयक था, जो संसद द्वारा पारित किया गया था। 9 अगस्त 1970 को यह कानून बना।

मुख्य प्रावधान

- यह राज्य द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए आधार प्रदान करता है।
- उक्त विधेयक में कानून के समक्ष ट्रांसजेंडर लोगों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें OBC कोटे (सिवाय SC/ST के) के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सहित विभिन्न अधिकार और अन्य सुविधाएं प्रदान करने संबंधी प्रावधान हैं।

ट्रांसजेंडर की पहचानः

- ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में घोषित किया जाना चाहिए, और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 'पुरुष', 'स्त्री' या 'ट्रांसजेंडर' के रूप में किसी भी लिंग को चुनने का विकल्प होना चाहिये। साथ ही उन्हें सर्जरी/हार्मोनल से स्वतंत्र इनमें से कोई भी विकल्प चुनने का अधिकार होगा।
- केवल 'ट्रांसजेंडर' नामकरण का उपयोग किया जाना चाहिए और 'अन्य' या 'दूसरे' जैसे शब्दों का प्रयोग नामावली में नहीं किया जाना चाहिए।
- राज्य स्तरीय किसी प्राधिकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति होने का प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

अधिकार और सुविधाएंः

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारत के संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों का समान रूप से उपभोग कर सके यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
- किसी भी बच्चे को इस आधार पर उसके माता–पिता से अलग नहीं किया जाएगा कि वह ट्रांसजेंडर है, ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश बच्चे के सर्वोत्तम हित में दिया गया हो।
- सरकार ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाएगी।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए विधेयक में भारतीय दंड संहिता में आवश्यक संशोधन किये जाने संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं।

भेदभाव का निषेध

- विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सभी उचित कदम उठाना और उनके साथ कोई भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है।
- किसी भी सार्वजनिक संस्था के द्वारा भर्ती, पदोन्नति सहित रोजगार से संबंधित अन्य किसी भी मुद्दे के संबंध

VISION IAS

में किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा ।

- विधेयक में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन, शिक्षा, कौशल विकास और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार के बारे में भी प्रावधान समाहित हैं।

आवश्यकताएँ

- लगभग 6 लाख आबादी (जनगणना 2011) वाला ट्रांसजेंडर समुदाय, लंबे समय से उपेक्षित है, अंततः अब इस समुदाय को हमारे देश के नागरिकों के रूप में अपना न्यायपूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।
- विधेयक किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ किये जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को समाहित करता है। विधेयक में स्पष्ट रूप से उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। विधेयक के छात्रवृत्ति और आरक्षण आदि के प्रावधान उन्हें वास्तविक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे।
- विधेयक लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाने तथा इस समुदाय के लोगों के साथ सम्मान और दयालुतापूर्ण व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा।

1.3. उद्योग विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2015

(Industries Development and Regulation Amendment Bill 2015)

सुर्खियों में क्यों?

- बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 को पारित कर दिया गया। ध्यातव्य है कि लोकसभा के द्वारा पहले ही दिसंबर 2015 में यह विधेयक पारित कर दिया गया था।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- विधेयक के द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है।
- उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में धातु, दूरसंचार, परिवहन, किण्वन (जिसमें शराब का उत्पादन भी शामिल है) जैसे कुछ उद्योगों के विकास एवं विनियमन संबंधी प्रावधान निहित हैं।
- अधिनियम की अनुसूची–1 में अधिनियम के तहत विनियमित होने वाले सभी उद्योगों का विवरण है।
- विधेयक अधिनियम के दायरे से पीने के प्रयोजन के लिए एल्कोहल के उत्पादन को बाहर करने के लिए अनुसूची में संशोधन प्रस्तावित करता है।
- यह सभी मामलों में पीने योग्य एल्कोहल के उत्पादन वाले उद्योगों का नियंत्रण पूरी तरह से राज्यों को प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- हालांकि, केंद्र सरकार औद्योगिक और पीने योग्य एल्कोहल सहित किण्वन उद्योगों के सभी उत्पादों के लिए विदेशी साझेदारी के संबंध में नीति तैयार करने और विनियमन के लिए अभी भी जिम्मेदार रहेगी।

1.4. रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल, 2016

(Regional Centre for Biotechnology Bill, 2016)

सुर्खियों में क्यों?

- लोकसभा ने रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल, 2016 को पारित कर दिया है।
- विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के तत्वाधान में, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि कार्यों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के प्रावधान को समाहित करता है।

प्रावधान

- विधेयक इस क्षेत्रीय केंद्र के लिए विधायी आधार प्रदान करता है।
- विधेयक इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान करता है।
- यह क्षेत्रीय केंद्र अनुसंधान और नवाचार को संपन्न करने के साथ ही जैव प्रौद्योगिकी के नवीन क्षेत्रों में शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के पारस्परिक सहयोग द्वारा प्रौद्योगिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

- भारत में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान उसे कहा जाता है जिसके द्वारा किसी राज्य या क्षेत्र विशेष में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है।

पृष्ठभूमि

- भारत द्वारा वर्ष 2006 में यूनेस्को के साथ एक समझौता किया गया था, जिसके अनुसार यूनेस्को के सदस्य देशों के उपयोग हेतु क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जानी थी।
- इस संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद में जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान की वर्ष 2009 में स्थापना की गयी।

VISION IAS

- केवल कुछ चुनिंदा संस्थान इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।
- भारत में आईआईटी, एनआईटी, एम्स, NIPERs, आईएसआई जैसे कुछ संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है।

1.5. भारतीय न्याय प्रणाली

(Indian Judicial System)

सुर्खियों में क्यों?

- मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन के दौरान, भारतीय न्यायिक प्रणाली से संबंधित समस्याओं और इनके यथोचित समाधान पर चर्चा की गई।

न्यायपालिका से संबद्ध मुद्दे

नियुक्तिः

- लगभग 50,000 न्यायाधीशों की आवश्यकता वाले देश में मात्र 18,000 न्यायाधीश उपलब्ध हैं।
- वर्तमान में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 434 पद रिक्त हैं ।
- देश भर में अधीनस्थ न्यायपालिका में 4580 पद रिक्त हैं।

प्रशासनिक अक्षमताः

- उच्च न्यायालयों में कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या।
- सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगभग 60,260 मामले लंबित हैं।
- यदि भारत में सभी उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या देखें तो यह अविश्वसनीय रूप से लगभग 38.68 लाख है।
- निचली अदालतों सहित सभी न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मामले लंबित हैं।

वित्तीय स्वायत्तताः

- न्यायपालिका से संबंधित योजनाओं तथा बजट का निर्माण न्यायपालिका के परामर्श के बिना किया जा रहा है।
- **पारदर्शिताः** केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले के बावजूद न्यायपालिका ने खुद को आरटीआई के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

उठाए गए कदम

- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम(कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट) 2015 के समुचित क्रियान्वयन द्वारा जिला एवं उच्च न्यायालय के स्तर पर पूर्णतः वाणिज्यिक मामलों से संबद्ध वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना। साथ ही वाणिज्यिक मामलों के विवादों/अपील के निस्तारण के लिए समय सीमा निर्धारित करना।
- मध्यस्थ और सुलह अधिनियम (आर्बिट्रेशन एंड कन्सिलिएशन एक्ट), 1996 और परक्राम्य लिखत अधिनियम(नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 में संशोधन प्रस्तावित करने का निर्णय लिया गया है ताकि मध्यस्थता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों का त्वरित और लागत प्रभावी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
- भारत में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, कोच्चि में वकीलों के लिए अकादमी की स्थापना, सही दिशा में उठाया गया कदम है।

सुधारों की जरूरत

- न्याय हमारे संविधान का एक अभिन्न तत्व है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, हमें लगातार अपने कानूनी और न्यायिक ढांचे में सुधार करने की जरूरत है ताकि निश्चित समय–सीमा में लागत प्रभावी न्याय हमारे देश के लोगों को सहजता से उपलब्ध हो सके।
- फास्ट ट्रैक न्यायालयों, अतिरिक्त न्यायालयों और पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना करना।
- अदालतों की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी (आईसीटी) क्षमताओं में वृद्धि।
- लोक अदालत जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- न्यायिक डेटा के संग्रह और अदालती प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने की एकसमान कार्यप्रणाली।
- न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए, न्यायपालिका को आरटीआई के दायरे में लाकर विचाराधीन या आरक्षित निर्णय की संख्या के विषय में सार्वजनिक रूप से जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
- कानून का सरलीकरणः सरकार को भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन कर कानून में पुराने और बेकार तत्वों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु एक समान करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।
- भ्रष्टाचार रोकने के लिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई भी नया पद ग्रहण करने से पूर्व एक समय अंतराल (कूलिंग ऑफ़ पीरियड) निर्धारित किया जाना चाहिए।
- विधि आयोग की 245 वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक स्तर पर आवश्यक मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष प्रणाली अपनायी जानी चाहिए, जिसके माध्यम से लंबित मामलों के निपटान के लिए विश्लेषण के आधार

VISION IAS

पर आवश्यक न्यायाधीशों की संख्या का पता लगाया जा सके।

1.6. आपराधिक न्याय प्रणाली

(Criminal Justice System)

भारत में वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली के समक्ष चुनौतियां

- देरी और अनिश्चितताओं की वजह से, यह अपराधियों में दंड के संबंध में कोई भय उत्पन्न नहीं करती।
- दोषी लोगों को प्रदत्त दंड अप्रभावी रहा है।
- पुलिस और अभियोजन पक्ष के विस्तृत विवेकाधिकारों के कारण संपूर्ण प्रणाली भ्रष्टाचार और अनियमितता का शिकार बन गयी है ।
- वास्तविक उत्पीड़ित व्यक्ति की उपेक्षा के कारण उन्हें न्याय प्राप्त करने के लिए कानून से इतर माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है।
- राज्य को बिना किसी लाभ प्राप्ति के भारी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ता है।
- लगभग 3 करोड़ आपराधिक मामलों के लंबित होने तथा हर साल इसमें 1 करोड़ मामलों के और जुड़ जाने से व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ पड़ गया है।

सुधार के लिए रणनीति

- भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर गठित समिति (2003) ने त्रिआयामी रणनीति अपनाने का सुझाव दिया है।
- सर्वप्रथम समाज और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियात्मक और मौलिक कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है। निरपराधीकरण और आपराधिक मनोवृत्ति वाले लोगों को दूसरे उत्पादक कार्यों में लगाना इन बदलावों का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।
- ✓ इसके अंतर्गत एक अन्य सुझाव दंड संहिता को–सामाजिक अपराध संहिता, सुधारक अपराध संहिता, आर्थिक अपराध संहिता और भारतीय दंड संहिता के रूप में चार अलग अलग कोड में विभाजित करना हो सकता है।
- ✓ सामाजिक संहिता में सिविल प्रकृति के मामले होते हैं, जिन्हें बिना पुलिस के हस्तक्षेप के भी हल किया जा सकता है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सजा की अवधि तय की जा सकती है।
- ✓ सुधारक संहिता (correctional code) के अंतर्गत अपराध के लिए तीन साल के कारावास का प्रावधान है। ऐसे मामलों में अपराध दंड मोलभाव (Plea-bargaining) के सिद्धांत को उदारतापूर्वक लागू किया जा सकता है।
- ✓ आर्थिक संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध शामिल होते हैं जिनका संबंध संपत्ति संबंधी अपराधों से है; इनका प्रभाव देश की वित्तीय स्थिरता पर पड़ सकता है। इन अपराधों से आपराधिक और प्रशासनिक रणनीतियों के संयुक्त माध्यम से निपटा जा सकता है।
- ✓ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत केवल बड़े अपराध शामिल होंगे, जिनमें दस साल या उससे अधिक सजा या मृत्यु की सजा का प्रावधान हो।
- दूसरी रणनीति पुलिस प्रक्रियाओं में संस्थागत सुधार से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्रतिबद्ध रूप से जांच, व्यवसायिकता, प्रौद्योगिकी के माध्यम से अदालती प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने और अपील संबंधी औपचारिकताओं को न्यूनतम करना शामिल है।
- तीसरी रणनीति पूरी प्रक्रिया में उत्पीड़ित व्यक्ति को अधिक व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व प्रदान करने को लेकर है।
- ✓ इसके अंतर्गत उत्पीड़ित व्यक्ति की व्यवस्था में विश्वास बहाल करना शामिल है।
- ✓ उत्पीड़ित को कार्यवाहियों में भागीदारी करने का, वकील नियुक्त करने का, मामले की प्रगति के बारे में जानने का तथा न्यायालय को सच्चाई तक पहुँचने में सहयोग देने का अधिकार दिया जाना भी इन सुधारों का हिस्सा है।
- ✓ न्यायिक कार्यवाही के अंतिम परिणाम की परवाह किए बगैर चोटों के लिए मुआवजा पाने का अधिकार।
- ✓ ऐसे पुर्नस्थापक साधनों के माध्यम से जिन्हें समाज का भी समर्थन प्राप्त हो उत्पीड़क को उसके दायित्वों का बोध करा कर उत्पीड़ित को संतुष्टि प्रदान की जानी चाहिए।

1.7. चुनाव सुधार

(Electoral reforms)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ आयोजित किये जाने चाहिए।

जरुरत

- विभिन्न चुनावों पर हर साल एक बड़ी राशि खर्च की जाती है।
- पूरा प्रशासनिक तंत्र निर्वाचन कार्य में संलग्न हो जाता है, जो अन्य सरकारी सेवाओं की उत्पादकता को प्रभावित करता है।
- लगातार चुनावों से सरकार के सामान्य कामकाज में एक ठहराव आ जाता है।
- इस अवधि के दौरान सरकार किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती है। किसी भी प्रकार की नई

VISION IAS

नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी पड़ती है।

- हालांकि, लगातार चुनाव जवाबदेही बढ़ाने में सहायक होते हैं क्योंकि यह नेताओं को जनता से मिलने के लिए मजबूर करते हैं।

संसदीय समिति की सिफारिशें

- जिन विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति से छः माह पूर्व अथवा छः माह बाद पूरा होने वाला हो ऐसी विधान सभाओं के चुनाव आम चुनाव के साथ ही करवाए जाने चाहिए।
- सभी विधान सभाओं के चुनावों को दो चरणों में संपन्न कराया जाना चाहिए। प्रथम चरण लोकसभा के कार्यकाल की मध्यावधि होनी चाहिए तथा द्वितीय चरण लोकसभा के कार्यकाल की पूर्णावधि होनी चाहिए।
- किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव समय पूर्व लोकसभा चुनाव अथवा किसी अन्य राज्य की विधानसभा के चुनावों के साथ, कराये जाने के लिए, उस राज्य की विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव अवश्य पारित किया जाना चाहिए।

चुनौतियाँ

- स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों का मिश्रण हो जाएगा और संभव है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित ना रहे। मतदाताओं को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दे स्थानीय मुद्दों की अपेक्षा अधिक आकर्षित कर सकते हैं अथवा स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। दोनों ही स्थितियां जीवंत लोकतंत्र की दृष्टि से वांछनीय नहीं हैं।
- निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव आयोजित करने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव पास करना असंवैधानिक होगा (अनुच्छेद 83 (2) –के अंतर्गत चुनाव के लिए उपयुक्त समय क्या होगा यह फैसला करना राज्य का विशेषाधिकार है)।
- यह संविधान के संघीय चरित्र के भी विरुद्ध है।
- लागू करना आसान नहीं: कई बार लोकसभा समय से पहले ही भंग हो जाती है, ऐसे में चुनावों का अलग–अलग समय पर आयोजित होना अपरिहार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1998 में लोकसभा सिर्फ 13 दिन में भंग हो गयी थी।

आगे की राह

- पंचायत, विधानसभा और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव वांछनीय है हालांकि ये संभव नहीं हैं। चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, लागत प्रभावी, शांतिपूर्ण और शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए आसानी से क्रियान्वित हो जाने वाले कुछ समाधानों पर विचार करना चाहिए जैसे :

- चुनाव में धन बल की भूमिका में कटौती करने के लिए, राजनीतिक दलों के व्यय की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और राजनीतिक दलों को राज्य द्वारा वित्त–पोषण प्रदान किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा सभी निजी, विशेष रूप से कॉर्पोरेट धन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाना चाहिए।
- एक ही दिन में चुनाव कराने से, चुनाव प्रक्रिया की अवधि को घटाकर पहले की तुलना में आधा किया जा सकता है।

1.8. विद्युत मंत्रालयः नई योजनाएं

(Ministry of Power: New Schemes)

सुर्खियों में क्यों?

देश को और अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऊर्जा सक्षम कृषि पंप कार्यक्रम और राष्ट्रीय ऊर्जा सक्षम पंखा कार्यक्रम नामक दो योजनाओं की शुरुआत की है।

राष्ट्रीय ऊर्जा सक्षम कृषि पंप कार्यक्रम

- स्मार्ट बीईई स्टार रेटिंग वाले ऊर्जा सक्षम कृषि पम्प सेट किसानों को वितरित किये जायेंगे।
- किसान अपने अकुशल कृषि पम्प सेट को बिना किसी लागत के बदल सकते हैं।
- ये पंप स्मार्ट कंट्रोल पैनल वाले होंगे जिनमें एक सिम कार्ड और एक स्मार्ट मीटर लगा होगा।
- स्मार्ट मीटर किसानों को यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि पम्प के द्वारा किसी समय विशेष में कितनी ऊर्जा की खपत की जा रही है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) किसानों को 200,000 बीईई स्टार रेटिंग वाले पंप सेट वितरित करेगा, जिससे वर्ष 2019 तक 30% ऊर्जा की बचत होगी।
- इस प्रयास के माध्यम से अंततः कृषि सब्सिडी पर होने वाले कुल व्यय में 20,000 करोड़ रुपये की बचत होगी, या प्रति वर्ष करीब 50 अरब यूनिट बिजली की बचत की जा सकेगी।

राष्ट्रीय ऊर्जा सक्षम पंखा कार्यक्रम

- 50 वाट के बीईई 5 रेटिंग वाले छत के पंखे बांटे जाएंगे।
- पारंपरिक पंखों की तुलना में ये पंखें 30% अधिक ऊर्जा कुशल हैं।
- वर्तमान में प्रत्येक उपभोक्ता को दो ऊर्जा कुशल पंखें 60 रुपये मासिक किश्त के आधार पर प्रदान किये जायेंगे।
- नामित वितरण केंद्र पर उपभोक्ता के द्वारा नवीनतम बिजली बिल की एक प्रति उपलब्ध कराने तथा निवास

VISION IAS

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

- उपभोक्ता 50 वाट के पंखें के लिए 1,250 रुपये का अग्रिम भुगतान कर इसे खरीद सकते हैं।
- ऐसा अनुमान है कि इन पंखों के प्रयोग के माध्यम से उपभोक्ता प्रति वर्ष अपने बिजली बिल में 700–730 रुपये की बचत कर सकेंगे। इस प्रकार वे नए पंखों की कुल लागत के बराबर राशि की दो वर्ष में ही बचत कर सकेंगे।

1.9. अनमोल और ई–रक्तकोष पहल

(ANMOL and E-RaktKosh Initiative)

सुर्खियों में क्यों?

- 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सरकार ने नई स्वास्थ्य पहल और मोबाइल एप्प का शुभारंभ किया।

अनमोल (ANM ऑनलाइन एप्लीकेशन)

- अनमोल एक टेबलेट आधारित ऐप्लिकेशन है इसके माध्यम से ANMs अपने अधिकार क्षेत्र में लाभार्थियों से संबंधित सभी प्रकार के डेटा को दर्ज कर सकेंगे और उसे अद्यतन बना सकेंगे।
- यह आंकड़ों को दर्ज करने और उन्हें अद्यतन बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सहज और तीव्र बनाएगा। साथ ही प्राथमिक रूप से डेटा के दर्ज किये जाने के पश्चात् इसके माध्यम से उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा।
- एप्लीकेशन आधार पहचान पत्र से संबद्ध है अतः इसके माध्यम से कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं एवं लाभार्थियों से संबंधित अभिलेखों के प्रमाणीकरण में मदद मिलेगी।

ई–रक्तकोष पहल

- यह एक एकीकृत ब्लड बैंक मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (MIS) है।
- यह वेब आधारित तंत्र के माध्यम से राज्य के सभी ब्लड बैंकों को एकल नेटवर्क के अंतर्गत समायोजित करता है ।
- एकीकृत ब्लड बैंक MIS के माध्यम से रक्तदान और रक्ताधान संबंधी किसी भी तात्क्षणिक सूचना का अधिग्रहण, सत्यापन और भंडारण किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सूचना त्वरित रूप से प्रसारित की जा सकेगी।
- एप्लीकेशन के माध्यम से न केवल निकटतम ब्लड बैंक की जानकारी प्राप्त होगी, अपितु किसी विशिष्ट रक्त समूह की संलग्न समूचे क्षेत्र में उपलब्धता की जानकारी भी मिलेगी।

1.10. नीति आयोग द्वारा कृषि भूमि लीज (पट्टे) पर दिए जाने के लिए मॉडल अधिनियम

(Model Act for farm land lease by Niti Ayog)

सुर्खियों में क्यों?

- नीति आयोग ने किसानों के द्वारा कृषि भूमि के सर्वोत्तम प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु, किसी किसान के द्वारा कृषि भूमि को किसी अन्य किसान को अथवा किसी कृषि सहकारी संस्था को लीज पर दिए जाने के लिए मॉडल अधिनियम प्रस्तावित किया है।

प्रस्तावित विधेयक के प्रावधान

- अधिनियम किसानों के द्वारा कृषि भूमि को लीज पर लिए जाने को कानूनी आधार प्रदान करता है। इसके माध्यम से लीज पर भूमि प्राप्त कर कृषि करने वाले किसान भी औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से ऋण, बीमा, आपदा राहत और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सहायता सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।
- यह मालिकों के भूमि अधिकारों की भी रक्षा करता है।
- यह सभी क्षेत्रों में भूमि को लीज पर दिए जाने को कानूनी आधार प्रदान करता है ताकि भूमि मालिकों के लिए स्वामित्व अधिकारों के साथ ही लीज पर कृषि करने वाले किसानों के लिए लीज में पारस्परिक रूप से सहमत समयावधि कानूनी रूप से सुनिश्चित की जा सके।
- यह देश के विभिन्न राज्यों के भूमि कानूनों में "प्रतिकूल कब्जे" के खंड (clause of adverse possession) को समाप्त करने का प्रावधान भी करता है, क्योंकि भूमि के लीज व्यवसाय के स्वतंत्र रूप से कार्यकरण में यह बाधा उत्पन्न करता है।
- यह लीज में किरायेदारी की निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद भूमि के स्वतः भू–स्वामी के अधिकार में चले जाने का प्रावधान करता है। प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के अनुसार लीज की समयावधि की समाप्ति के पश्चात् भूमि का छोटा सा खंड भी लीज लेने वाले व्यक्ति के पास छोड़े जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- मॉडल अधिनियम किसी विवाद की स्थिति में आपराधिक प्रक्रिया और विशेष न्यायाधिकरण के माध्यम से मामले के शीघ्र निपटारे का प्रावधान करता है।

प्रभाव

- यह भूमि के मालिकों के अंदर कृषि भूमि को लीज पर दिए जाने के सन्दर्भ में सुरक्षा की भावना पैदा करेगा।
- यह देश में लाखों हेक्टेयर परती भूमि के सार्थक उपयोग को बढ़ावा देगा।

VISION IAS

- यह भूमिहीन, गरीब, छोटे और सीमांत किसानों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही बैंक ऋण और बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।
- यह बड़े भूमि मालिकों को उनकी जमीन के स्वामित्व के अधिकार को खोने के डर के बिना भूमि को लीज पर देने के लिए तथा गैर कृषि उद्यमों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

1.11. प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015 में संशोधन

(Amendments in the Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015)

सुर्खियों में क्यों?

- स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि विधेयक, 2015 में अधिकारिक संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर दी गयी।

प्रस्तावित संशोधन

- यह सरकार द्वारा प्रदत्त पर्यावरण सेवाओं की सूची को अधिक समावेशी बनाएगा। इसके माध्यम से कुछ ऐसी पर्यावरणीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा जिनके मौद्रिक लाभों के आकलन के लिए कोई विश्वसनीय मॉडल उपलब्ध नहीं है।
- नए कानून के तहत नियम बनाने के पूर्व राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जायेगा।
- जिन केंद्र शासित प्रदेशों में कोई विधायिका नहीं है, वहां यह केंद्र सरकार के द्वारा 'संघ के लोक लेखा' के तहत कोष की स्थापना का प्रावधान करता है।
- इसमें वन भूमि के संरक्षित क्षेत्रों में रूपांतरण के बदले उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन के उपयोग के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।
- यह सभी संबद्ध पक्षों को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान से जुड़े मंत्रालयों के सचिवों को शामिल करने का प्रावधान करता है।
- इसमें राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय में विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने का प्रावधान है।
- पुनः इसमें राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने का भी प्रावधान है।
- अधिनियम में जनजातीय मामलों के एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदाय के किसी प्रतिनिधि को राज्य प्राधिकरण की संचालन समिति और कार्यकारी समिति दोनों में ही सदस्य के रूप में शामिल करना प्रस्तावित किया गया है।
- संशोधन के माध्यम से राज्य प्राधिकरणों की वार्षिक योजना के संचालन को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के लिए तीन महीने की समय सीमा तय कर दी गयी है।

प्रभाव

- यह एक कुशल और पारदर्शी तरीके से प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के पास सूचित अब तक व्यय नहीं की गयी, संचित निधि (लगभग 40000 रुपये) के त्वरित एवं सार्थक उपयोग को सुनिश्चित करेगा।
- यह अन्य कार्यों के उपयोग हेतु वन भूमि के रूपांतरण की स्थिति में पड़ने वाले प्रभावों का सामना करने में सहायक सिद्ध होगा
- इन राशियों के सार्थक उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों, में उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

1.12. नेशनल इंस्टिट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क

(National institutions ranking framework)

(नेशनल इंस्टिट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क पर विस्तृत विवरण के लिए सितंबर 2015 की समसामयिकी देखें)

यह ढांचा देश भर में संस्थानों की रैंकिंग के लिए एक प्रक्रिया का विवरण देता है।

- केंद्र सरकार के द्वारा पहली बार विभिन्न संस्थानों की रैंकिंग प्रस्तुत करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Board of Accreditation) के द्वारा रैंकिंग कार्य शुरू किया गया है।
- 6 श्रेणियों के संस्थानों – इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों – के लिए रैंकिंग प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।
- इसके अनुसार IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान और IIM बंगलौर सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान हैं।
- विश्वविद्यालयों की श्रेणी में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस, बैंगलोर को प्रथम स्थान तथा इंस्टिट्यूट ऑफ़ केमिकल टेक्नोलॉजी (ICT), मुंबई को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

इसके अंतर्गत निर्धारित मानक में छः मुख्य तत्व शामिल हैं।
- शिक्षण (Teaching)
- संसाधन एवं अधिगम (Learning & Resources)
- अनुसंधान एवं व्यवसायिक प्रतिबद्धता (Research & Professional Practices)
- स्नातक परिणाम (Graduation Outcomes)
- विस्तार एवं समावेशन (Outreach & inclusivity)
- बोध (Perception)

VISION IAS

1.13. 2015 में फांसीः एमनेस्टी की रिपोर्ट

(Capital punishment in 2015: Amnesty Report)

- मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दुनिया भर में फांसी दिए जाने वाले लोगों की संख्या पर एक नई रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- दुनिया भर में वर्ष 2015 में पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक संख्या में फांसी दी गयी।
- वर्ष 2015 में कम से कम 1634 लोगों को फांसी दी गयी। 2014 की तुलना में इसमें 50% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- ईरान में वर्ष 2015 में 977 लोगों को फांसी दी गयी, जो 2014 की तुलना में 200 से भी अधिक है। इनमें से ज्यादातर का संबंध मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों से था।
- पाकिस्तान में वर्ष 2015 में 326 लोगों को फांसी दी गयी, जो पाकिस्तान में एमनेस्टी द्वारा दर्ज की गई किसी भी वर्ष में सर्वाधिक संख्या थी।
- अमेरिका में 28 लोगों को फांसी दी गयी, जो वर्ष 1991 के बाद से सबसे कम है।
- वर्ष 2015 में चार और देशों ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया है, अब सभी अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने वाले देशों की कुल संख्या 102 हो गयी है।

Executions in 2015

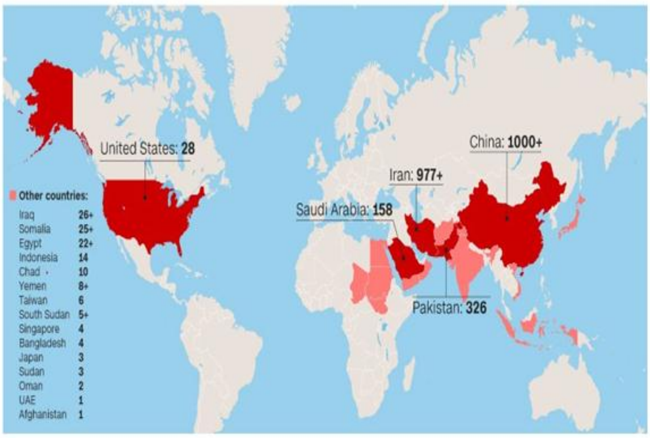

1.14. नीति आयोग के द्वारा नवीन योजना प्रारूप पर कार्य

(New Planning Framework by NITI Ayog)

सुर्खियों में क्यों?

- नीति आयोग क्षेत्र आधारित मध्यावधि योजना के प्रारूप पर काम कर रहा है।
- नया प्रारूप पंचवर्षीय योजनाओं की जगह ले सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, 2016–17 में समाप्त हो जाएगी।

वे बिंदु जिन पर नया प्रारूप आधारित है:

- 3 वर्षीय मध्यावधि वित्तीय प्रारूप को अपनाया जा सकता है।
- यह अगले दो या तीन वर्षों के लिए विभिन्न मदों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, आदि के लिए राजस्व और व्यय के अनुमान के आंकलन को समाहित करेगा।
- डॉ सी रंगराजन के द्वारा 2011 में प्रस्तुत **सार्वजनिक व्यय के कुशल प्रबंधन** नामक रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार ही व्यय संबंधी प्रतिबद्धताओं को राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में अलग–अलग दिखाया जाएगा।

1.15. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासनः हाल के घटनाक्रम

(Uttarakhand President's Rule recent developments)

नोटः कृपया फरवरी और मार्च 2016 की समसामयिकी में इस विषय पर प्रस्तुत सामग्री की निरंतरता के रूप में ही इस विषय का अध्ययन करें।

- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि 29 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। इसमें बहुमत का समर्थन होने के पूर्व मुख्यमंत्री के दावे का संवैधानिक रूप से परीक्षण किया जायेगा।
- न्यायालय के द्वारा स्पष्ट रूप से यह विचार व्यक्त किया गया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका में निहित है और राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष कौन सी सामग्री रखी गयी है इसकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
- उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन बहाल रखा, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए फैसले की प्रति उच्चतम न्यायालय को तब तक उपलब्ध नहीं हो पायी थी।
- सरकार ने भी लिखित रूप से यह आश्वासन दिया कि वह राज्य में सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति शासन को एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगी।
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति प्राप्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सात सवालों का जवाब देने के लिए कहा, जैसे
  - सदन में शक्ति परीक्षण में देरी क्या राष्ट्रपति शासन की घोषणा का आधार हो सकती है?
  - विधानसभा की एक कार्यवाही का नियमानुसार संपन्न न होना, क्या राष्ट्रपति शासन लगाये जाने का आधार हो सकता है?
  - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि निश्चित रूप से कौन सा तत्व वास्तव में अस्थिरता की स्थिति को निर्धारित करता है?

2. अंतर्राष्ट्रीय : भारत और विश्व

2.1 चतुर्थ नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन (NSS)

[Fourth Nuclear Security Summit (NSS)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन में चौथे नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

पृष्ठभूमि

- नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा की गयी एक पहल है जिसके द्वारा आतंकी संगठनों तक नाभिकीय हथियारों और नाभिकीय पदार्थों की पहुँच को रोकने के लिए हो रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वयन किया जा रहा है।
- ऐसा पहला सम्मेलन 2010 में वॉशिंगटन डी सी में हुआ था तथा इसके उपरांत 2012 में सियोल और 2014 में 'द हेग' में ये सम्मेलन हुए।

चौथे सम्मेलन का उद्देश्य

2016 में संपन्न NSS के दो प्रमुख उद्देश्य हैं –

- परमाणु सुरक्षा व्यवस्था में ठोस सुधारों को आगे बढ़ाना।
- वैश्विक नाभिकीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना।

चौथे सम्मलेन के मुख्य परिणाम

- शिखर सम्मेलन में परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देने में IAEA की केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया गया।
- इस सम्मलेन में पांच कार्य योजनाएं (एक्शन प्लान) अपनाई गयीं। ये कार्य योजनाएं पांच संगठनों यथा 'संयुक्त राष्ट्र संघ',' अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी (IAEA)','इंटरपोल','ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर वेपन (GICNT)' और 'ग्लोबल पार्टनरशिप अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ़ न्यूक्लियर वीपन्स एंड मैंटेरियल्स ऑफ़ मॉस डिस्ट्रक्शन' से सम्बंधित हैं, जिनमें से अंतिम दो कुछ राष्ट्रों के मध्य हुए अनौपचारिक समझौते हैं।
- इस शिखर सम्मेलन के द्वारा सही समय पर परमाणु सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बीच सम्बद्धता पर नए सिरे से विचार किया गया।
- इंटरपोल की 'ऑपरेशन फेल सेफ" पहल साइबर हमलों और परमाणु जोखिम के बीच संभावित खतरनाक गठजोड़ के साथ संबंधित है।

NSS की उपलब्धियाँ:

- अप्रैल 2009 से अब तक 'उच्च संवर्धित यूरेनियम (highly enriched uranium (HEU) और प्लूटोनियम की 3.2 मीट्रिक टन से अधिक मात्रा का निपटारा कर दिया गया है।
- ताइवान के साथ–साथ तेरह अन्य देश अब HEU मुक्त बन गए हैं।
- 'हथियारों में प्रयोग होने वाली विखंडनीय सामग्री' को भण्डारित करने वाले 32 भवनों के भौतिक सुरक्षा उन्नयन का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- परमाणु सामग्रियों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवस्थित 328 प्रवेश बिंदुओं (बॉर्डर क्रॉसिंगों), हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर विकिरण का पता लगाने वाले उपकरण को स्थापित किया गया है।
- 15 देशों में उपस्थित आइसोटोप उत्पादन केंद्र बंद कर दिए गए हैं और 24 HEU अनुसन्धान रियक्टरों में निम्न संवर्धित यूरेनियम (LEU) ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है।

NSS को भारत का योगदानः

- भारत ने इन शिखर सम्मेलनों में सक्रिय भूमिका निभाई है।
- भारत ने 'नाभिकीय सुरक्षा कोष' में एक मिलियन डॉलर का स्वैच्छिक योगदान दिया है।
- नई दिल्ली में 'ग्लोबल सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (GCENEP)' की स्थापना की गयी है।

चौथे शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री की उद्घोषणा

चौथे शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा परमाणु सुरक्षा और उसके अप्रसार के क्षेत्र में उठाये गए कुछ प्रमुख क़दमों की घोषणा की। यथा –

- प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग के माध्यम से नाभिकीय तस्करी एवं नाभिकीय आतंकवाद का सामना करने और उसका मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की बात कही गयी, जिसमें निम्न सम्मिलित हैं:–
- भौतिक और साइबर घेरा,
- तकनीकी पहुंच,
- निम्न संवर्धित यूरेनियम का उपयोग कर मेडिकल ग्रेड 'Moly–99' के लिए एक सुविधा की स्थापना।

VISION IAS

- सीज़ियम–137 जैसे सुभेद्य रेडियोआइसोटोप के विट्रीफाइड रूप का प्रयोग करना।
- भारत अनौपचारिक अंतरराष्ट्रीय "कौंटैक्ट ग्रुप" में भाग लेगा, जो परमाणु तस्करी के खिलाफ सहयोग को बढ़ावा देता है।
- भारत ने घोषणा की है कि इसका कोई भी अनुसंधान रिएक्टर भविष्य में HEU का उपयोग नहीं करेगा।
- भारत, वर्ष 2017 में 'ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बैट न्यूक्लियर टेररिज्म (GICNT) की बैठक की मेज़बानी करेगा।
- इंटरपोल के साथ मिलकर 'परमाणु तस्करी के खिलाफ' एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये जाने की भी योजना है।
- नाभिकीय सुरक्षा के क्षेत्र में IAEA की केंद्रीय भूमिका के समर्थन में भारत नाभिकीय सुरक्षा कोष को अतिरिक्त 1 मिलियन डॉलर का सहयोग प्रदान करेगा।
- IAEA के विशेषज्ञों के साथ मिलकर भारत में 'इंटरनेशनल फिजिकल प्रोटेक्शन असेस्मेंट सर्विस (IPPA)' पर एक कार्यशाला आयोजित किये जाने की योजना है।
- भारत NSS राष्ट्रों की उस त्रिपक्षीय पहल का भी हिस्सा बनेगा जिसे नाभिकीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र के रूप में सदस्य राज्यों द्वारा परमाणु उर्जा आयोग की बैठक में प्रसारित किया गया था।
- भारत इस सम्मेलन के लिए तीन "गिफ्ट बास्केट्स" से भी जुड़ेगा, जैसे– नाभिकीय तस्करी को रोकना, विएना के न्यूक्लियर सिक्यूरिटी कॉन्टेक्ट ग्रुप और सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के माध्यम से बेहतर अनुभवों को साझा करना।
- भारतीय प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य प्रायोजित आतंकी समूहों और जोखिम भरी नीतियों जैसे खतरनाक नाभिकीय हथियारों की तैनाती से नाभिकीय सुरक्षा को होने वाले खतरे के बारे में दुनिया को आगाह किया।

NSS की समीक्षा

- NSS का ध्यान मुख्यतः असैन्य क्षेत्र में नाभिकीय सुरक्षा लागू किये जाने पर रहा है।
- असैन्य क्षेत्रों में ही इसके कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण लगभग 83 प्रतिशत नाभिकीय पदार्थ इसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं।
- NSS अभी तक 'नाभिकीय सुरक्षा पर IAEA के कन्वेंशन' को संशोधित करने में असमर्थ रहा है।
- साथ ही सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष यह रहा है कि NSS से संबंधित वार्ता प्रक्रियाओं के प्रारंभ से 6 वर्षों के बीत जाने के उपरांत भी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधानों से संबंधित कोई परिणाम नहीं निकल पाया है।
- NSS का मुख्य फोकस विभिन्न देशों से नाभिकीय सुरक्षा पर उनके राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और क्षमताओं को मजबूत करने की गुजारिश करने पर ही रहा है।
- NSS के इस दृष्टिकोण के अनुसार सैन्य साधनों की सुरक्षा और देखभाल राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विषय है, अतः इस संदर्भ में कोई भी प्रावधान राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के आधार पर निर्धारित किये जाएंगे।

सम्मेलन की सीमाएं

- चौथी वार्ता में अपनाई गयी कार्ययोजनाएँ राज्यों के लिए गैर–बाध्यकारी हैं।
- चौथी वार्ता में रूस के राष्ट्रपति अनुपस्थित थे जबकि रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है।
- जब तक दुनिया में परमाणु हथियार उपस्थित हैं, नाभिकीय आतंकवाद के खतरे को पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में अब तक कोई ठोस तरक्की नही हो सकी है।

2.2 तेरहवाँ भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन

(13th India-EU summit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- तेरहवाँ भारत–ईयू शिखर सम्मेलन मार्च 2016 में ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ।

सम्मेलन का परिणाम

- ब्रुसेल्स में हुए इस सम्मेलन में यद्यपि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति नहीं बन सकी, परन्तु विदेश नीति तथा बाह्य अंतरिक्ष जैसे अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रक्रिया में प्रगति हुई।

मुख्य परिणाम

एक्शन 2020 के लिए भारत–ईयू एजेंडा

- अगले पांच वर्षों में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक साझे प्रारूप पर सहमति बनी है।

✓ **विदेश नीति और सुरक्षा सहयोग:** एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ पारस्परिक हित निहित हैं, में विदेश नीति संबंधी सहयोग को मजबूत बनाना।

✓ **सुरक्षा:** परमाणु अप्रसार और निःशस्त्रीकरण, "पायरेसी, आतंकवाद एवं कट्टरता का मुकाबला करने" तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र के साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपसी सहयोग को मजबूत बनाने का निर्णय।

✓ हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने, आतंकवादियों की भर्ती को बाधित करने और विदेशी लड़ाकों के अबाध आवागमन

VISION IAS

को रोकने के लिए आपसी सहयोग पर दोनों पक्ष राजी हुए।

- ✓ साथ ही दोनों पक्ष भारत और यूरोपोल (EU की कानून प्रवर्तन एजेंसी) के मध्य खुफ़िया जानकारी साझा करने की संभावनाओं के अध्ययन हेतु भी सहमत हुए।
- द कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी (CAMM) को भी सम्मेलन में अपनाया गया। यह एजेंडा माइग्रेशन के नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित है जो EU के लिए एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।
- ✓ इस एजेंडे में हीं मानव तस्करी को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने को भी प्राथमिकता क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
- स्वच्छ ऊर्जा और क्लाइमेट पार्टनरशिप पर संयुक्त घोषणा।
- दोनों पक्ष बीटीआईए (BTIA) के प्रारंभिक निष्कर्ष पर वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।
- यूरोपीयन इन्वेस्टमेंट बैंक (EIB) ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत यह लखनऊ मेट्रो के निर्माण की दिशा में अपने कुल 450 मिलियन यूरो के ऋण में से 200 मिलियन यूरो की पहली किश्त जारी करने के लिए सहमत हुआ।

ब्रॉड –बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट (BTIA) पर गतिरोध :

दोनों पक्षों द्वारा वस्तुगत निर्यात के लिए बाजारों तक अधिक व्यापार पहुंच के मुद्दे को लेकर BTIA समझौते पर गतिरोध बना हुआ है।

EU की प्रमुख मांगें:

- यूरोपीय संघ ऑटोमोबाइल, शराब और स्पिरिट जैसे कुछ क्षेत्रों से करों को पूरी तरह समाप्त करने या कम करने के पक्ष में है।
- भारत में कारों पर आयात शुल्क 60 से 120 प्रतिशत है, जबकि EU में यह महज 10 प्रतिशत है।

भारत की प्रमुख मांगें:

- भारत की प्रमुख मांगें हैं– डेटा सिक्योरिटी स्टेटस की प्राप्ति (यह EU की फ़र्मों से और अधिक व्यापार करने हेतु भारत के IT सेक्टर के लिए आवश्यक है), कुशल पेशेवरों का आसान आवागमन और सहज इंट्रा–कॉर्पोरेट आवागमन।
- ईयू को अपने उन 'गैर–प्रशुल्क अवरोधों' को हटाना चाहिए, जो वहां की स्थानीय इकाइयों के हितों का अधिक ख्याल रखते हैं, सुरक्षा और गुणवत्ता का कम।
- भारत EU के कृषि बाजार तक पहुंच चाहता है। भारत के द्वारा सेनेटरी, फाइटो–सैनेटरी अर्थात पौधों और जंतुओं से सम्बंधित प्रतिबंधात्मक नियमों को तर्कसंगत बनाने के साथ ही व्यापार संबंधी तकनीकी अवरोधों को समाप्त करने की मांग की गयी है।

EU का महत्त्वः

- यूरोपीय संघ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, निर्यात गंतव्य और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है।
- हालाँकि 2014–15 में भारत का EU को निर्यात (–) 4.4 प्रतिशत वर्ष दर वर्ष सिकुड़ कर 49.3 बिलियन डॉलर रह गया। साथ ही EU से होने वाला आयात (–)1.5 प्रतिशत कम होकर 49.2 बिलियन डॉलर रह गया है।

भारत और EU के मध्य अन्य प्रमुख मुद्देः

- **मानवाधिकार हननः** ईयू और भारत के बीच वार्ता में अवरोध उत्पन्न होने के लिए प्रकट कारणों में से एक भारत में मानव अधिकार उल्लंघन पर यूरोपीय संघ की चिंता है ।
- इतालवी नौसैनिकों का मुद्दा भी सम्बन्ध बिगड़ने के लिए उत्तरदायी है।
- **मनमाने प्रतिबन्ध :** अगस्त 2015 में भारत ने मुक्त व्यापार सम्बन्धी वार्ताएं टाल दी क्योंकि EU ने लगभग 700 फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया था।

2.3 भारत–अमेरिका

(India-USA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी रक्षा सचिव एश्टन कार्टर अप्रैल में भारत के तीन दिवसीय दौरे पर आए।

प्रमुख परिणाम

- यात्रा के दौरान, दोनों पक्ष 'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट' (LEMOA) को अंतिम रूप से संपन्न करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए ।
- यदि यह समझौता संपन्न हो गया तो अमेरिकी युद्धक विमान और जंगी बेड़े भारतीय सैन्य छावनियों में साजो सामान के लिए, ईंधन इत्यादि भरने और मरम्मत सम्बन्धी कार्यों के लिए रुक सकेंगे, ठीक यही सुविधा अमेरिकी छावनियों में भारतीय सेना को भी मिलेगी।
- LEMAO के अतिरिक्त दो "पाथफाइंडर प्रोजेक्ट्स" की भी घोषणा की गयीः यथा– डिजिटल हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और ज्वाइंट बायोलॉजिकल टैक्टिकल डिटेक्शन सिस्टम का सह–निर्माण।

समुद्री सुरक्षा समझौताः

- भारत ने बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास RIMPAC में अगले कई वर्षों तक भाग लेने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त

VISIONIAS

की। रिम ऑफ़ द पैसिफिक एक्सरसाइज (RIMPAC) दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास है।

- वाणिज्यिक नौवहन यातायात पर डेटा साझा करने की क्षमता में सुधार करने के लिए व्हाइट शिपिंग टेक्निकल अरेंजमेंट समझौते को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की गयी।
- सबमरीन सेफ्टी और एंटी–सबमरीन वारफेयर पर विमर्श के लिए नेवी–टू–नेवी संवाद प्रारम्भ किये जाने संबंधी समझौता।

विश्लेषण

- LEMOA पर हस्ताक्षर करके भारत ने विश्व को स्पष्ट सन्देश दिया है कि उसे अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी में कोई संकोच नहीं है। यह भारत व अमेरिका के संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन लाने में समर्थ होगा।
- कई विश्लेषक मानते हैं कि नई दिल्ली की ऐसी रणनीतिक साझेदारी इसके अन्य देशों के साथ स्थापित संबंधों पर प्रभाव डालेगी।
- कुछ विश्लेषक इसके भारत की स्वतन्त्र विदेश नीति पर कुप्रभावों की भी आशंका जता रहे हैं।

US–इंडिया डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप एक्टः पिछले एक दशक में भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत अब तक अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर से अधिक के रक्षा उपकरण खरीद चूका है।

- हाल हीं में अमेरिकी कांग्रेस में US–इंडिया डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड पार्टनरशिप एक्ट पेश किया गया, जिसमें भारत को व्यापार और तकनीकी हस्तांतरण के संदर्भ में अमेरिका के नाटो सहयोगियों के समकक्ष रखा गया। इस तरह यह अधिनियम रक्षा निर्यात बाजार में भारत का ओहदा बढ़ाता है।
- यह अधिनियम दोनों देशो के बीच 'डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव (DTTI) फ्रेमवर्क और पेंटागन में स्थित इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल (IRRC) को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।
- उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने तथा उच्च प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के सह–विकास और सह–उत्पादन के लिए 2012 में IRRC का गठन किया गया।

2.4 भारत–सऊदी अरब

(India-Saudi Arabia)

सुर्खियों में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री ने अप्रैल माह में सऊदी अरब की पहली आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा के मुख्य बिंदुः

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सऊदी अरब की यात्रा की। उनसे पहले 2010 में डॉ मनमोहन सिंह, 1982 में इंदिरा गांधी और 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने सऊदी अरब की यात्रा की थी।
- उन्होंने सऊदी अरब के शासक किंग सलमान को 'चेरामन जुमा मस्जिद (629 ईस्वी में निर्मित, इसे भारत में निर्मित पहली मस्जिद माना जाता है) की स्वर्णजड़ित प्रतिकृति भेंट की।
- उन्हें सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान **किंग अब्दुल अजीज साश** सम्मान से सम्मानित किया गया।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते/MoUs:

- श्रम सहयोग पर करारः सामान्य श्रेणी के श्रमिकों की भर्ती के लिए।
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और सऊदी स्टैंडर्ड्स मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी आर्गेनाइजेशन (SASO) के मध्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम।
- एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल ऑफ़ हैंडीक्राफ्ट (EPCH) और सऊदी कमीशन फॉर टूरिज्म एंड नेशनल हेरिटेज के मध्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम।
- मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण और अन्य अपराधों पर नकेल कसने के लिए भारत और सऊदी अरब की वित्तीय खुफ़िया इकाइयों के मध्य सूचनाओं के आदान–प्रदान पर समझौता ज्ञापन।
- इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरब जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (SAGIA) के मध्य निवेश संवर्धन सहयोग हेतु फ्रेमवर्क।

यात्रा का महत्त्वः

- इस यात्रा के जरिये तीन महत्त्वपूर्ण करारों –2008 का ऊर्जा सुरक्षा समझौता, 2010 का रणनीतिक साझेदारी समझौता (जिसमें अब ठोस आतंकरोधी सहयोग शामिल है) और 2014 के प्रतिरक्षा सहयोग समझौते के प्रावधानों को अपग्रेड किया गया, जिससे द्विपक्षीय सम्बन्ध बेहतर हुए हैं।
- इसके अतिरिक्त व्यापार और निवेश सम्बन्धों की बेहतरी की सम्भावना भी बनी। दोनों देशों के मध्य वर्तमान तेल निर्भरता के अलावा 40 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार की भी उम्मीद बनी है।
- भारत के लिए निवेश के अवसरः सऊदी सरकार अपने मेगा प्रोजेक्ट किंग अब्दुल्ला इकनोमिक सिटी के जरिए निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। यहाँ के गहरे समुद्र में

VISIONIAS

स्थित बंदरगाह पूर्व और पश्चिम के मध्य संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सऊदी सरकार चाहती है कि भारत इस परियोजना को अफ्रीका में अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने के दृष्टिकोण से प्रवेशबिंदु के रूप में देखे।

सऊदी अरब का महत्त्वः

सऊदी अरब के साथ जीवंत संबंधों को बनाए रखना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

- सऊदी अरब भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- भारत, सऊदी अरब से विदेशी प्रेषण (foreign remittances) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
- पश्चिम एशिया में कार्यरत 11 मिलियन भारतीयों में से लगभग तीन मिलियन सऊदी अरब में हैं। इसलिए, इस क्षेत्र में स्थिरता, और विशेष रूप से सऊदी अरब में स्थिरता भारत के मुख्य एजेंडे में शामिल है।
- हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में सुरक्षा का आयाम जुड़ गया है जिसके कारण आतंकवाद का मुकाबला करने और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग के लिए दोनों देश बेहतर कदम उठा रहे हैं।
- रियाद ने कई संदिग्ध आतंकी भारत को प्रत्यर्पित किये हैं।
- सऊदी अरब पाकिस्तान को अपनी भारत विरोधी विदेश नीति का परित्याग करने के लिए मजबूर कर सकता है।

सऊदी अरब के लिए भारत का महत्त्वः

- **आर्थिक तनावः** तेल की गिरती वैश्विक कीमतों और हाल ही में विभिन्न प्रतिबंधों से बाहर निकलने वाले ईरान से मिलने वाली प्रतिद्वंदिता के बीच, भारत सऊदी अरब के लिए महत्त्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभर सकता है।
- **अमेरिकी नीति में बदलाव** :अमेरिका अब इस क्षेत्र में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पहले जितना निर्भर नहीं रहा; साथ ही उसका अधिक ध्यान इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ईरान के साथ सहयोग पर है।
- **पाकिस्तान के साथ विवाद** : पाकिस्तान भी अब तेहरान के साथ सम्बन्ध बेहतर कर रहा है। इसके अलावा उसने यमन में लड़ रहे शिया (हैती) विद्रोहियों, जिन्हें ईरान का समर्थन है, के खिलाफ सऊदी अरब के युद्ध गठबंधन में शामिल होने से भी इंकार कर दिया था।

सऊदी अरब से जुड़े संवेदनशील मुद्देः

- **सऊदी–पाक गठजोड़** : पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए एक "ऐतिहासिक सहयोगी" है।
- **सऊदी–ईरान शत्रुता** : पश्चिमी एशिया को अस्थिर बनाने के साथ ही वहां की भूराजनैतिक स्थितियों को प्रभावित करती है।

विचारधारात्मक समस्याएं :

✓ यद्यपि सऊदी अरब आतंकवाद की निंदा करता है, तथापि सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर वहाबी इस्लामी समूहों को पैसा पहुंचता है।

✓ इस्लाम की वहाबी शाखा से कई उग्रपंथी समूह प्रभावित हैं।

पश्चिम एशिया में सऊदी अरब की आक्रामक विदेश नीति :

✓ सीरिया में, सऊदी अरब के द्वारा विद्रोहियों के समर्थन ने क्षेत्र को अस्थिर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो बाद में इस्लामिक स्टेट के जन्म का कारण बना।

✓ यमन में युद्ध, अराजकता और मानवीय त्रासदी का कारण बन गया है, जिससे कट्टरपंथ के पनपने के लिए परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है।

- ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध सऊदी अरब को नाराज़ कर सकते हैं। भारत को पश्चिम एशिया में ईरान, इज़राइल और सऊदी अरब, सभी तीनों क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना होगा।

भारत की पश्चिम–एशिया नीति :

दशकों तक भारत पश्चिम एशिया में निष्क्रिय खिलाड़ी बना रहा, जिसके चलते उसके सभी शक्तियों से अच्छे सम्बन्ध बन गये। वस्तुतः भारत की पश्चिमी एशिया नीति बहुआयामी रही है –

- शीत युद्ध के दौरान भारत ने यहां के क्षेत्रीय भूराजनीति के दो विपरीत ध्रुवों –सऊदी और ईरान– के साथ सुदृढ़ आर्थिक सम्बन्ध बनाए।
- सोवियत संघ के पतन के बादः शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत ने द्विआयामी रणनीति को विस्तार प्रदान करते हुए तीनों क्षेत्रीय शक्तियों यथा ईरान, इज़राइल और सऊदी अरब के साथ संतुलित रूप से संबंधों को बेहतर बनाने की रणनीति पर आधारित त्रिआयामी विदेश–नीति का अनुसरण किया।
- 2010 में भारत और सऊदी अरब ने रियाद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये, जिससे सुरक्षा प्रतिरक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ने का ढांचा तैयार हुआ। तबसे भारत और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा सहयोग और खुफ़िया जानकारियों के लेनदेन के संदर्भ में आश्चर्यजनक सुधार देखने को मिला है।
- प्रधानमंत्री की रियाद यात्रा पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती हुई संलग्नता को प्रदर्शित करती है।

VISION IAS

2.5 भारत –मालदीव

(India-Maldives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम ने अप्रैल माह में भारत की आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा की विशेषताएं:

भारत और मालदीव के मध्य 6 समझौते संपन्न हुए, जो विभिन्न क्षेत्रों यथा दोहरा कराधान, प्राचीन मस्जिद का संरक्षण व जीर्णोद्धार, पर्यटन और प्रतिरक्षा से सम्बंधित हैं।

समझौतों की सूची:

- रक्षा सहयोग के लिए कार्य–योजना
  - ✓ यह भारत–मालदीव संबंधों तथा हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के साझा रणनीतिक और सुरक्षा हितों का महत्वपूर्ण घटक है।
  - ✓ इस कार्य–योजना में रक्षा सचिवों के स्तर पर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्थागत तंत्र की परिकल्पना की गई है।
- 48 डिग्री पूर्वी देशांतर पर प्रायोजित 'सॉउथ एशिया सैटेलाइट' परियोजना के ऑर्बिट फ्रीक्वेंशी कोआर्डिनेशन से संबंधित समझौता।
  - ✓ यह समझौता सॉउथ एशिया सैटेलाइट के प्रचालन में इंटर–सिस्टम ऑर्बिट फ्रीक्वेंशी कोआर्डिनेशन करने, साउथ एशिया सैटेलाइट के ITU स्तर की नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण/पहचान दिलाने के लिए किया गया है।
- प्राचीन मस्जिदों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के क्षेत्र में तथा मालदीव में संयुक्त अनुसन्धान तथा नवीन खोजों से संबंधित सर्वेक्षणों के संदर्भ में समझौता ज्ञापन।
- पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन।
- कर सम्बन्धी सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिए समझौता।
- अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के जरिए प्राप्त की गयी आय पर दोहरे कराधान से बचाव के लिए समझौता।

कामनवेल्थ मिनिस्टीरियल एक्शन ग्रुप (CMAG) की कार्यवाही में भारत का समर्थन :

- मालदीव के राष्ट्रपति ने CMAG द्वारा संभावित दण्डात्मक कार्यवाही से बचाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। CMAG द्वारा मालदीव को लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।
- नवंबर 2015 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के कारण श्री यामीन को वैश्विक आलोचना झेलनी पड़ी थी। बाद में यह आपातकाल हटा लिया गया था।

विश्लेषण :

हिन्द महासागरीय क्षेत्र में मालदीव एक महत्त्वपूर्ण देश है। भारत और मालदीव के सम्बन्ध उतार–चढ़ाव से युक्त रहे हैं।

- भारत की प्रमुख चिंता बढ़ते चीन–मालदीव सम्बन्ध से है।
- चीन बुनियादी ढांचों के निर्माण और विकास परियोजनाओं में मालदीव की सहायता कर रहा है।
- मालदीव चीन की सिल्क रोड परियोजना का भी हिस्सा है।
- माले द्वारा GMR ग्रुप के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के आधुनिकीकरण के लिए 2010 में हुआ समझौता रद्द कर दिया गया था। बाद में यह प्रोजेक्ट एक चीनी कंपनी को दे दिया गया।

मालदीव को भारत द्वारा दी गयी मदद :

- 1988 में मालदीव में ईलम–समर्थक समूह द्वारा तख्तापलट की कोशिश की गयी, जिसे भारत ने 'ऑपरेशन कैक्टस' द्वारा नाकाम कर दिया। मालदीव के अनुरोध पर वहां 2009 से भारतीय नौसेना की उपस्थिति है।
- दिसंबर 2014 में माले में, वहाँ के सबसे बड़े 'वाटर ट्रीटमेंट प्लांट' के जनरेटर में लगी आग से उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए भारत ने त्वरित 'जल सहायता' भेजी थी।
- भारत ने मालदीव के चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और सहयोग के लिए पर्यवेक्षक भी भेजे थे।

2.6 भारत और ईरान

(India and Iran)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान अप्रैल माह में ईरान की आधिकारिक यात्रा पर गए।

प्रमुख परिणाम:

- श्री प्रधान और उनके ईरानी समकक्ष 'बिजान नामदार जंगंच' (Bijan Namdar Zanganch) के मध्य एक बैठक हुई, जिसमें घोषणा की गयी कि भारत और ईरान विकास, वित्त और वाणिज्य सम्बन्धों में सुधार कर अक्टूबर 2016 तक फारस की खाड़ी में फरज़ाद बी गैस प्रोजेक्ट पूरा करेंगे।
- ईरान से प्रतिबन्ध हटने के उपरांत भारत वहाँ ऊर्जा क्षेत्र में उपस्थित निवेश की संभावनाओं का दोहन करना चाहता है। यही कारण है कि तेल, गैस, उर्वरक और पेट्रोरसायन उत्पादों से जुड़ी 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय परियोजनाएँ यहाँ कतार में हैं।

VISION IAS

- ईरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तो महत्त्वपूर्ण है ही, वह तेल और गैस से परिपूर्ण सेंट्रल एशियाई देशों तक भारत की पहुँच भी सुनिश्चित करता है।

2.7. चीन और श्रीलंका

(China and Sri Lanka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अप्रैल में चीन की आधिकारिक यात्रा की।

महत्वः

यह यात्रा श्रीलंका द्वारा हाल ही में चीन की भागीदारी वाली 1. 4 बिलियन डॉलर की लागत वाली व अवरुद्ध कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को अनुमति प्रदान करने के फैसले की पृष्ठभूमि में हुई हैं।

यात्रा के परिणामः

- श्रीलंका और चीन के बीच "एक व्यापक आर्थिक रणनीति" को परिभाषित किया गया है, जो अगले दो दशकों के लिए प्रासंगिक होगी।
- चीन और श्रीलंका ने 20 वर्षीय फ्रेमवर्क योजना के क्रियान्वयन के रूप में कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को हिंद महासागर में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आउटपोस्ट के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम के साथ फिर से परिभाषित करने का फैसला किया है।

भारत की चिंताः

पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन का दक्षिण एशिया में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक चुनौती बन गया है, तथा वह अपने पड़ोसियों के साथ अपनाई जाने वाली नीति में सुधार करने हेतु अनेक आकर्षक कदम उठा सकता है।

- चीन के द्वारा हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ़ पोर्ट्स (बंदरगाहों की माला) के विकास हेतु प्रयास किये गए हैं, जिनमें म्यांमार में क्याउकफिऊ (Kyaukphyu), श्रीलंका में हंबनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर तथा जिबूती में एक सैन्य रसद बेस सम्मिलित हैं।
- चीन अपने मेरीटाइम सिल्क रोड के विकास के लिए श्रीलंका को प्रमुखता प्रदान कर रहा है।

2.8. अमेरिका–सऊदी अरब संबंध

(U.S.-Saudi relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खाड़ी देशों के नेताओं के एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सऊदी अरब का दौरा किया।

अमेरिका–सऊदी गठबंधन में दरार

यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है, जिससे यह साझेदारी भी भारी दबाव में है। ईरान को नियंत्रित कैसे करें, इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई कैसे जारी रखी जाए, सीरिया का भविष्य और यमन में झड़प आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई आपसी सहमति नहीं बन पा रही है और अविश्वास का माहौल कायम है।

- **मिस्रः** होस्नी मुबारक के शासन को वाशिंगटन ने संरक्षण प्रदान करने से इंकार कर दिया था।
- **सीरियाः** ओबामा प्रशासन बशर अल–असद की राज्य–व्यवस्था पर बमबारी करने के खिलाफ है क्योंकि उसे लगता है कि सीरिया में राज्य के पतन से इस्लामिक स्टेट को मदद मिलेगी।
- **ईरानः** सऊदी अरब ईरान परमाणु करार के खिलाफ था। अमेरिका चाहता है कि ईरान क्षेत्रीय राजनीति, विशेषकर ईराक में स्थिरता लाने और सीरिया में इस्लामिक स्टेट को हराने में और अधिक जिम्मेदार भूमिका का निर्वहन करे। यह दोनों तथ्य इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अमेरिका में सऊदी विरोधी भावनाएँ

- '9/11 बिल': सीनेट में पेश एक विधेयक जो अगर पारित हो गया, तो 9/11 आतंकवादी हमले के पीड़ितों को अनुमति होगी कि वह सऊदी अरब के खिलाफ मुकदमा कर सकें।
- यमन में सऊदी आक्रामकताः सामरिक चिंतकों का मानना है कि सऊदी सैन्य अभियान ने 'अल–कायदा इन अरेबियन पेनिन्सुला (AQAP)' को यमन में स्वच्छंदता से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक मुक्त क्षेत्र प्रदान कर दिया है।
- यमन में सऊदी कार्रवाई की वजह से सिविल सोसाइटी समूहों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है।

अमेरिका की नीति में बदलाव के कारण

- अमेरिका अपने घरेलू शेल ईंधन के उत्पादन में वृद्धि के कारण अब तेल के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रह गया है।
- वाशिंगटन महसूस करता है कि इस क्षेत्र में स्थिरता कायम करने के लिए ईरान की आवश्यकता है।

विश्लेषण

पश्चिम एशिया के कई मुद्दों पर अमेरिका के मत में भिन्नता का अर्थ यह नहीं है कि यह रियाद से दूरी बढ़ाने जा रहा है या तेहरान के करीब आ रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब दोनों को अभी भी एक दूसरे की आवश्यकता है।

- अमेरिका सऊदी अरब को उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य और खुफिया सहायता प्रदान करता है।
- सऊदी अरब अल–कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ़ लड़ाई में मदद करता है और यह संयुक्त राज्य

VISION IAS

अमेरिका को खनिज तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

- अमेरिका अभी भी खाड़ी में अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
- दूसरी तरफ, वाशिंगटन और तेहरान के बीच अभी भी पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं हैं।

> - अमेरिकी–सऊदी संबंध विरोधाभासों से पूर्ण रहे हैं।
> - दोनों में से एक लोकतंत्र है जिसने यहाँ तक कि मानव अधिकारों के मुद्दों को भी विदेश नीति के कार्यों से संबद्ध किया है। जबकि दूसरा एक बंद समाज है जो एक रूढ़िवादी, सत्तावादी परिवार द्वारा शासित है।
> - लेकिन आर्थिक और सामरिक हितों – अमेरिका की तेल के लिए खाड़ी पर निर्भरता, सोवियत साम्यवाद के खिलाफ लड़ाई और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध – ने इन दोनों देशों के विरोधाभासों को दरकिनार करने और विश्वास पर आधारित एक मजबूत साझेदारी के निर्माण में मदद की थी।
> - सऊदी अरब ने प्राथमिक रूप से एक अस्थिर क्षेत्र में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर रुख किया। अमेरिका ने शिया बहुल ईरान के विरुद्ध सुन्नी बहुल सऊदी अरब को हथियार प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया।
> - संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में स्थिरता के एक स्रोत के रूप में सऊदी अरब को समर्थन दिया।

2.9. यमन संघर्ष–विराम

(Yemen ceasefire)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सऊदी अरब एवं सहयोगी बलों तथा शिया हौथी विद्रोहियों के बीच संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक संघर्ष–विराम प्रस्ताव यमन में प्रभावी हो गया है।

पृष्ठभूमि

यमन में विद्यमान संघर्ष के कारण क्षेत्र की जटिल भू–राजनीति में निहित हैं। सऊदी अरब हौथियों को ईरानी प्रभुत्व में सहायक एक मोर्चे के रूप में देखता है और यह अपने देश से सटे हिस्से में एक शिया बहुल सरकार नहीं चाहता है। दूसरी ओर ईरान ने सऊदी अरब पर संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया है।

सऊदी अरब के नेतृत्व में सुन्नी अरब गठबंधन

- सऊदी अरब और उसके सहयोगी दलों ने राष्ट्रपति हादी की अपदस्थ सरकार की बहाली और शिया हौथी विद्रोहियों, जिन्होंने राजधानी सना पर अधिकार कर लिया था, को कमजोर करने के लक्ष्य के साथ मार्च 2015 में यमन पर बमबारी शुरू कर दी।
- लेकिन रियाद द्वारा अथक बमबारी के एक साल बाद, हौथी अभी भी राजधानी पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और पश्चिमी यमन के बहुत सारे हिस्सों को नियंत्रित करते हैं।

यमन पर संघर्ष का प्रभाव

- उग्रवाद का उदय

✓ एक विनाशकारी युद्ध के बीच राज्यविहीन अराजकता ने 'अल–कायदा इन अरेबियन पेनिन्सुला (AQAP)' के सशक्त होने में मदद की है। इसने देश में तेजी से अपना विस्तार किया है। अब यह दक्षिणी यमन में एक लघु राज्य की भांति व्यवस्था का संचालन करता है।

- मानवीय त्रासदी

✓ 6,000 से अधिक लोग, जिनमें से आधे नागरिक हैं, सऊदी बमबारी की शुरुआत के बाद मारे जा चुके हैं, और लगभग 20 लाख लोग विस्थापित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

✓ एक अनुमान के अनुसार 80 प्रतिशत जनसंख्या को मानवीय सहायता की जरूरत है, जबकि लाखों बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं।

आगे की राह

ईरान और सऊदी अरब के बीच मतभेद के कारण युद्धविराम के लिए पिछले तीन प्रयास असफल हो चुके हैं।
किसी भी व्यावहारिक समाधान के लिए बाहरी सैन्य हस्तक्षेप ख़त्म करने, हिंसा की समाप्ति और राष्ट्रीय एकता की सरकार के गठन की आवश्यकता होगी।

(**नोट:** यमन संकट के पूरे कवरेज के लिए कृपया विजन समसामयिकी मार्च 2015 देखें)

2.10. अफगानिस्तान में भ्रामक शांति

(Elusive Peace in Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

19 अप्रैल को काबुल में हुए एक बड़े बम विस्फोट ने अफगानिस्तान में 2016 में संघर्ष की शुरुआत के संकेत दिए हैं। इसी के साथ तालिबान ने 'ऑपरेशन ओमारी' के आरम्भ की घोषणा की है।

तालिबान की रणनीति

- तालिबान प्रमुख शहरों में बम विस्फोट करके और आत्मघाती हमलों से लोगों को हताहत करके यह दर्शाना चाहते हैं कि वे सबसे संरक्षित लक्ष्यों को भी अपना निशाना बना सकते हैं।
- काबुल के प्राधिकार की सीमा का खुलासा करने के लिए कुछ दिनों के लिए एक प्रांतीय राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश करना।

VISION IAS

शांति वार्ता

तालिबान और अफगान सरकार के बीच सीधी बातचीत की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सम्मिलित करके एक चतुष्पक्षीय समन्वय समूह (Quadrilateral Coordination Group, QCG) का गठन किया गया है।

- तालिबान ने तब तक अफगान सरकार के साथ बातचीत करने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बनी हुई है।
- तालिबान के साथ शांति वार्ता को गति देने के लिए पाकिस्तान का सहयोग हासिल करने की दिशा में राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रयास विफल साबित हुए हैं।
- यह आशा भी गलत साबित हुई है कि इसके लिए चीन पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा।
- अमेरिका ने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) की बढ़ती असुरक्षा को भांप कर, यह घोषणा की है कि अफगानिस्तान में उसके तैनात मौजूदा सुरक्षाबल इस वर्ष के अंत तक बने रहेंगे।

नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG)

2014 के अत्यधिक विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका ने दो महत्वपूर्ण प्रत्याशियों को नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए सहमत करके तथा एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का सृजन करके चतुराई का प्रदर्शन किया था।

- अफगान संविधान राष्ट्रपति प्रणाली की व्यवस्था करता है; हालांकि माना जा रहा था कि दो साल के भीतर अर्थात् सितंबर 2016 तक, संविधान का संशोधन कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को प्रधानमंत्री के पद में बदल दिया जाएगा, और कार्यपालिका शक्तियों का बँटवारा किया जाएगा।
- इसके लिए नए संसदीय चुनाव की आवश्यकता थी, जिसका आयोजन एक स्वतंत्र चुनाव आयोग द्वारा किये गए चुनाव सुधारों के बाद किया जाना तय हुआ था, परन्तु इनमें से कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि चुनाव आयोग का गठन नहीं किया गया; परिणामस्वरूप, संसदीय चुनावों का भी आयोजन नहीं किया जा सकता।
- राष्ट्रपति गनी और मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला के बीच के मतभेदों ने प्रशासन को पंगु बना दिया है।

शांति प्रक्रिया में भारत की भूमिका

अमेरिका अब इस बात से और भी अधिक सहमत है कि अफगानिस्तान में भारत द्वारा एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए। अमेरिका के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन आंशिक रूप से पाकिस्तान की विफलता या वादे पूरा करने की उसकी (पाकिस्तान की) अनिच्छा से उत्पन्न हताशा के कारण हुआ है।

- अमेरिका ने अफगानिस्तान में विकास, पुनर्निर्माण और संस्था–निर्माण की दिशा में भारत के प्रयासों का स्वागत किया है, लेकिन सुरक्षा के संदर्भ में भारत की भूमिका पर अस्पष्टता को बनाए रखा है।
- पाकिस्तान के आग्रह पर अमेरिका ने भारत को अफगानिस्तान शांति वार्ता से बाहर रखा है।
- भारत और अफगानिस्तान ने 2011 में सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन सुरक्षा सहयोग धीमा पड़ गया क्योंकि दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की आपत्ति को ध्यान में रखा।
- प्रधानमंत्री की हाल ही की अफगानिस्तान यात्रा और भारत द्वारा तीन Mi–25 लड़ाकू हेलिकॉप्टर अफगान वायु सेना (AAF) को हस्तांतरित किया जाना, भारत की ओर से नए सिरे से विचार की ओर संकेत करता है।

2.11. शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

(The International Conference of Zero)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के सहयोग से 6 अप्रैल को यूनेस्को मुख्यालय में शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य गणित के समृद्ध और उल्लेखनीय इतिहास का जश्न मनाना था।
- सम्मेलन में गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय योगदान का प्रदर्शन किया गया जिसके बारे में दुनिया बहुत अधिक नहीं जानती है।
- मानव संसाधन विकास मंत्री ने "शून्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, और यूनेस्को मुख्यालय को आर्यभट्ट की एक कांस्य प्रतिमा भेंट की।

महत्व

- यूनेस्को में आयोजित यह सम्मेलन शून्य की शक्ति के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को प्रदर्शित करने के प्रयासों में एक योगदान था।
- इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और यूनेस्को में एक संस्कृत सम्मेलन को प्रायोजित किया था।

VISION IAS

2.12. उइघुर नेता डोल्कुन इसा का वीजा मुद्दा

(Uighur leader Dolkun Isa's visa issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीनी बागी नेता और उइघुर कार्यकर्ता डोल्कुन इसा को इस साल की शुरूआत में जारी किया गया वीजा भारत सरकार द्वारा बाद में रद्द कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

- डोल्कुन इसा जर्मनी स्थित विश्व उइघुर कांग्रेस (WUC) के एक नेता हैं। उन्हें धर्मशाला में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रदान किया गया था। WUC नेताओं को वीजा अनुमति देने के भारत के फैसले को बीजिंग द्वारा संयुक्त राष्ट्र में JeM प्रमुख मसूद अज़हर पर प्रतिबंध लगाने के कदम को अवरुद्ध करने की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाया गया कदम बताया गया।
- झिंजियांग, जो तुर्किक मूल के मुसलमानों की 10 लाख से अधिक उइघुर आबादी का घर है, देश के अन्य हिस्सों से 'हान (Hans)' लोगों को बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में बसाये जाने के खिलाफ कई वर्षों से संघर्षरत और अशांत है।
- चीन, उग्रवादी इस्लामी गुट ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) को झिंजियांग और देश के अन्य भागों में आतंकवादी हमलों के लिए दोषी मानता है।

चीनी प्रतिक्रिया

चीन ने विश्व उइघुर कांग्रेस (WUC) के नेता डोल्कुन इसा के प्रत्याशित भारत आगमन पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि उसका नाम इंटरपोल के रेड कॉर्नर पर एक "आतंकवादी" के रूप में दर्ज है ।

विश्लेषण

- कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि चीनी बाग़ी उइघुर नेता डोल्कुन इसा को जारी किए गए वीजा को रद्द करने के निर्णय के साथ बीजिंग के साथ एक बड़ा राजनयिक टकराव टल गया है।
- भारत सरकार को इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस या आतंकवादी सूची में जगह पाए किसी भी व्यक्ति को वीजा देने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह भारत की वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

✓ भारत ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि आतंकवाद के सभी रूपों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए, "अच्छे आतंकवादी" और "बुरे आतंकवादी" जैसा कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए।

✓ आतंकवाद पर भारत के नैतिक दृष्टिकोण अपनाने से महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर इसकी विश्वसनीयता में वृद्धि और इसके विचारों को स्वीकृति प्राप्त हुई है।

2.13. राष्ट्रपति की पापुआ न्यू गिनी यात्रा

(President visit to Papua New Guinea)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा पापुआ न्यू गिनी की पहली आधिकारिक यात्रा थी।

राष्ट्रपति की इस यात्रा के मुख्य बिंदुः

- कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में चार समझौता ज्ञापन (MoU)।
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना के लिए एक समझौते सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पापुआ न्यू गिनी को 100 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट।
- भारत संयुक्त उद्यमों और निवेश के माध्यम से पापुआ न्यू गिनी के विशाल तेल और गैस संसाधनों का पता लगाने और उन्हें विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
- पापुआ न्यू गिनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे के संबंध में अपने समर्थन को दोहराया तथा एक प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौते (IPPA) द्वारा निवेश को सुसाध्य बनाने में तेजी लाने के लिए सहमति व्यक्त की।
- इसने भारतीय पर्यटकों के लिए आगमन–पर–वीजा (वीजा–ऑन–अराइवल) सुविधा की घोषणा की।
- FIPIC, अर्थात् भारत–प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम, एक बहुपक्षीय मंच है जो नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
- भारत प्रशांत महासागरीय द्वीपों के साथ अपने सहयोग को 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक प्रमुख घटक मानता है।

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था

3.1. प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र

[Priority Sector Lending Certificates (PSLCS)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने PSL प्रमाणपत्र जारी करने और उसके व्यापार की अनुमति देने के लिए 7 अप्रैल 2016 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत बैंक अपने प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस तरह के लिखत (क्रेडिट) को खरीद और बेच सकते हैं।

PSLCs क्या हैं?

- PSLCs व्यापार–योग्य प्रमाणपत्र होते हैं जोकि बैंकों के प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के ऋण के एवज में निम्न के लिए जारी किये जाते हैं–
  - ✓ जो बैंक प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य और उप–लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं, उन्हें इन लिखतों की खरीद के लिए सक्षम बनाने के लिए।
  - ✓ साथ ही अधिशेष वाले बैंकों को प्रोत्साहन देना, जिससे अंततः PSL के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों को और अधिक ऋण प्रदान करने के लिए इन्हें प्रेरित किया जा सके।
- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग की तर्ज पर PSLCs का लक्ष्य बाजार तंत्र के माध्यम से विभिन्न बैंकों को उनके प्रतिस्पर्धी क्षमता के आधार पर प्राथमिक क्षेत्रक ऋण को बढ़ावा देना है।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), शहरी सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और लोकल एरिया बैंक PSLCs के व्यापार के लिए पात्र हैं।

PSLCs के प्रकार

चार प्रकार के PSLCs होंगे:

- **PSLC कृषिः** कुल कृषि उधार लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए।
- **PSLC SF/MF:** छोटे और सीमांत किसानों को उधार के उप–लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए।
- **PSLC सूक्ष्म उद्यमः** सूक्ष्म उद्यम को उधार के उप–लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए।
- **PSLC सामान्य :** समग्र प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य की प्राप्ति की गणना के लिए।

तर्क

- वर्तमान में कई बैंकों को अपनी PSL आवश्यकता को पूरा करने में कठिनाई आ रही है क्योंकि वे ग्रामीण या MSME क्षेत्रक को उधार देना व्यवहार्य नहीं मानते।
- कृषि पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित होने के बावजूद, कृषि के क्षेत्र में पूंजीगत निवेश में कोई ख़ासा वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि बैंक सिर्फ RBI के नियमों को पूरा करने के लिए लघु अवधि के लिए इस क्षेत्र को ऋण देते हैं (आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15)।
- आधे से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (26 में से 16) वर्ष 2014 में 18 प्रतिशत के कृषि ऋण के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए थे, जबकि 20 में से 13 निजी बैंक कृषि के लिए उप–लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे थे।

लाभ

- प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ बैंकों के पास इस कमी को पूरा करने के लिए, अब एक और अधिक व्यावहारिक और आसान तरीका उपलब्ध होगा।
- यह बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को खरीदने और बेचने के लिए एक सहज मंच प्रदान करता है।
- जो बैंक प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किये हुए हैं, उनके पास अब ऐसे प्रमाण–पत्र जारी करने और द्वितीयक बाजार में उन्हें आसानी के साथ बेचने के साधन उपलब्ध होंगे।
- इससे पहले, जब एक बैंक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता था, उसे दूसरे बैंकों से इस तरह के ऋण खरीदने पड़ते थे, जिसका मतलब था खरीदार बैंक की बैलेंस शीट में वृद्धि। लेकिन अब बैंक अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य बैंक से PSLCs खरीद सकते हैं।
- PSLC के लिए किया जाने वाला भुगतान बाजार द्वारा निर्धारित होगा। PSLCs की कीमत कई कारकों पर निर्भर होगी जैसे ऋण की श्रेणी और मांग तथा आपूर्ति का परिदृश्य।
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा आनन–फानन में लक्ष्य को पूरा करने का मुद्दा भी हल हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, किसी बैंक को उसके बही–खाते में अंतर्निहित ऋण के बिना पिछले वर्ष की PSL उपलब्धियों के 50 प्रतिशत तक PSLCs जारी करने की अनुमति है।
- यह बैंकों को उनके खुद के मजबूत पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वयं के संसाधनों को डायवर्ट करने के बजाय यह ऐसे बैंकों को अन्य बैंकों से उक्त लिखत (क्रेडिट) के खरीद की अनुमति देता है।
- हर बैंक अपने कुशल व मजबूत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए ऋण का सामाजिक उद्देश्य प्रत्येक बैंक पर बोझ डाले बिना पूरा हो जायेगा।

VISION IAS

संभावित चिंताएं

- ऐसे ऋण से सभी जोखिम ऋणदाता के पास होंगे जबकि PSLCs के खरीदार के लिए लगभग कोई जोखिम नहीं होगा।
- ऋणदाता बैंक PSLCs की बिक्री से लाभ कमाने के उद्देश्य से ऋण की आवश्यक मात्रा की तुलना में अधिक ऋण देना चालू कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भारतीय रिजर्व बैंक की PSLCs पहल एक अत्यंत अभिनव पहल है, और यह एक लंबे समय से वांछित थी (2008 में पहली बार रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया था)। इसमें समावेश और समता के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय बैंकिंग में कुशलता बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि यह ध्यान रखा जाना चाहिए, कि बैंक अतिरिक्त पीएसएल व्यापार के माध्यम से शुल्क कमाने में बहुत अधिक शामिल न हों। इस तरह के प्रमाणपत्र के द्वितीयक व्यापार पर भी अंकुश लगाना होगा।

3.2. द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के लिए केंद्र–राज्य निवेश करार

[Centre-State Investment Agreement for Bilateral Investment Treaties (BIT)]

सुर्ख़ियों में क्यों?

बजट प्रस्ताव में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने द्विपक्षीय निवेश संधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र–राज्य निवेश समझौते, जोकि विभिन्न राज्य सरकारों तथा केंद्र के बीच हस्ताक्षरित होगा, के विचार को सबके सामने रखा।

द्विपक्षीय निवेश संधि क्या है?

- BITs वस्तुतः निवेश किए जाने वाले मेजबान देश द्वारा निवेश के प्रति किये जाने वाले व्यवहार को विनियमित कर निवेशक के निवेशों की संरक्षा करती है।
- इसमें भेदभाव रहित बर्ताव, राष्ट्रीयकरण के खिलाफ संरक्षण, निवेशक राज्य विवाद निपटान प्रावधान (जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले निवेशकों के लिए सारे स्थानीय उपचार का उपयोग करना आवश्यकता होता है) जैसे प्रावधान शामिल हैं।

केन्द्र–राज्य निवेश करार (Centre & State Investment Agreement&CSIA) क्या है?

- यह राज्य और केंद्र के बीच एक प्रकार का स्वैच्छिक समझौता है, जहाँ राज्यों को BITs के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
- भारत के द्विपक्षीय निवेश संधि भागीदारों को उन राज्यों के बारे में सूचित किया जाएगा, जो इस करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

लाभ

- जो राज्य इस करार पर हस्ताक्षर करेंगे, उन्हें निवेश के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जाएगा।
- इससे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित होगा तथा "ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस" की स्थिति में भी सुधार होगा।

आलोचना

- CSIA के बिना भी, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों पर बाध्यकारी कानून बना सकती है।
- यदि CSIA के तहत राज्य अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसे में संप्रभुता की अवधारणा के तहत केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- राज्य इस करार को द्विपक्षीय निवेश संधि के उल्लंघन का दोष राज्यों पर स्थानांतरित करने के रूप में देख सकते हैं।
- जो राज्य इस करार पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे उन्हें निवेश करने के लिए असुरक्षित माना जा सकता है, जोकि निवेश के सन्दर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि कर सकता है।

आगे की राह

- द्विपक्षीय निवेश संधि के विभिन्न प्रावधानों और इसके तहत दायित्वों के प्रति राज्य सरकारों को जागरूक करना बेहतर होगा।
- अंतरराष्ट्रीय संधियों के संबंध में राज्यों के साथ संस्थागत तौर पर परामर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नीति आयोग की संचालन परिषद् या भूतपूर्व राष्ट्रीय विकास परिषद् जैसे मंच बनाये जा सकते हैं।
- यह सहकारी संघवाद की अवधारणा के समान होगा और अंतरराष्ट्रीय संधियों के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

3.3. एकीकृत कृषि बाजार

(Unifying Agriculture Markets)

पृष्ठभूमि

- आर्थिक सर्वेक्षण 2014–15 के अनुसार, भारत में मुख्य रूप से विनियमित प्राथमिक कृषि बाजारों की कुल संख्या 2477 हैं।
- ये संबंधित राज्यों के APMC अधिनियम द्वारा संचालित होते हैं, जिसने बाजार में विभाजन और बिचौलियों और अक्षमताओं द्वारा शोषण को प्रेरित किया है।
- सरकार ने जुलाई 2015 में 585 बाजारों में राष्ट्रीय कृषि मार्केट स्कीम शुरू की थी और अप्रैल 2016 में प्रायोगिक तौर पर ई–व्यापार की शुरुआत की।
- इसी प्रकार का एक सफल प्रयोग कर्नाटक में आरंभ किया गया, जहाँ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्कीम (ReMs) नामक ई–प्लेटफ़ॉर्म में प्रमुख बाजारों को एकजुट किया गया।

कर्नाटक मॉडल से सबक

- काफी सफलता के बावजूद किसानों, एजेंटों, व्यापारियों, APMCs सरकार जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल न करने के कारण प्रगति धीमी रही है।

VISION IAS

- हालांकि बिचौलिए कमीशन लेते हैं, पर वे किसान को समय पर ऋण व उधार की सुविधा प्रदान करते हैं। इसलिए इसमें उन्हें शामिल करना और बाजारों को एकीकृत करने से पहले उनके डर को दूर करना महत्वपूर्ण है।
- इसी प्रकार, तकनीकी समाधान पर अति निर्भरता धीमी रहेगी जिससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

आगे की राह

- कृषि बाजार के एकीकरण के प्रयास से पहले सभी हितधारकों को एक साथ लाना चाहिए।
- सभी राज्यों में मॉडल APMC अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित एक समान नीति होनी चाहिए, ताकि सही अर्थ में एक राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके।

3.4. व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम 2015

(Trade Faciliation and Trade Enforcement Act 2015)

सुर्ख़ियों में क्यों?

फ़रवरी 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्यापार सुविधा और व्यापार प्रवर्तन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, जो बौद्धिक संपदा अधिकार के मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों को लागू करेगा।

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि USTR, बौद्धिक संपदा नीति सहित अमेरिकी व्यापार नीति के प्रवर्तन की देखरेख करते हैं। USTR वार्षिक तौर पर स्पेशल 301 सूची जारी करता है। यह देशों को उनके बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटता है:–

✓ प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री (PFC)– सबसे गंभीर उल्लंघन करने वाले (most serious violators)

✓ प्रायोरिटी वाच लिस्ट (PWL)– गंभीर उल्लंघन करने वाले (Serious offenders)

✓ वाच लिस्ट (WL) – कम उल्लंघन करने वाले (less serious offenders)

- भारत को पिछले 2 वर्षों से PWL देशों की श्रेणी में रखा गया है।

अधिनियम के वे मुख्य प्रावधान जो भारत को प्रभावित कर सकते हैं:

- इस अधिनियम के अनुसार, USTR को PWL में शामिल देशों के संदर्भ में एक बेंचमार्क के साथ एकतरफा कार्य योजना विकसित करना होता है।
- इस बेंचमार्क को पालन करने से मना करने वाले देशों पर व्यापार प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं।
- इसने USTR कार्यालय के अंतर्गत "मुख्य नवाचार और बौद्धिक संपदा वार्ताकार" (Chief Innovation and Intellectual Property Negotiator) नामक एक नया पद सृजित किया है, जो अमेरिका के नवाचारों और बौद्धिक संपदा के हितों की रक्षा करेगा।
- इसने अमेरिका के लिए उचित और न्यायसंगत बाजार पहुंच सुनिश्चित करने व अन्य देशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक अलग कोष की भी स्थापना की है।

भारत पर प्रभाव और आगे की राह

- यह भारत पर इसके बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को अमेरिकी हितों के अनुसार बनाने के लिए दबाव डालेगा, विशेषकर दवा क्षेत्र में।
- हालांकि भारत को इस तरह के दबाव का विरोध करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कानून विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन न करें।
- इसके अलावा, भारत को इस तरह के मुद्दों को हल करने के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए।

3.5. रोजगार पर श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण 2015

(Labour Bureau Survey on Employment 2015)

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

- आठ श्रम प्रधान उद्योगों में वर्ष 2015 के पहले नौ महीनों में नई नौकरियों का सृजन वस्तुतः पिछले छह साल के निचले स्तर पर आ गया – सिर्फ 1.55 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ।
- इसके विपरीत, जनवरी से सितंबर 2014 के बीच 3.04 लाख नए रोजगार और 2013 की इसी अवधि में 3.36 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ था।
- जनवरी से सितंबर 2015 के बीच 21000 संविदा नौकरियां कम हुईं जबकि 2014 की इसी अवधि में 1.2 लाख की वृद्धि हुई थी।
- सर्वेक्षण में पाया गया है कि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में 2015 के दौरान 19000 नौकरियां कम हुईं और हथकरघा/पावरलूम में 11000 नौकरियां कम हुईं।
- चमड़े और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में 8000 नौकरियां कम हुईं और परिवहन क्षेत्र में 4000 नौकरियों की कमी दर्ज की गयी।

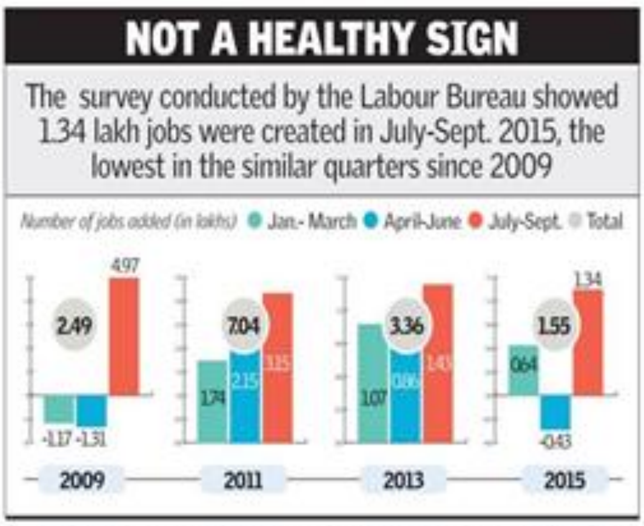

Source: Quarterly report on changes in employment in selected sectors, Labour Bureau

VISION IAS

सर्वेक्षण
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत, श्रम ब्यूरो ने 2008–09 के वैश्विक संकट के बाद से तिमाही सर्वेक्षण चालू किया जिसका उद्देश्य आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रोजगार पर प्रभाव का आकलन करना था – वस्त्र, चमड़ा, धातु, वाहन, रत्न एवं आभूषण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और हथकरघा।

3.6. भारत में ई–कॉमर्स

E-Commerce in India

सुर्ख़ियों में क्यों?

सीआईआई–डेलोइट रिपोर्ट (CII-DELOITTE REPORT) में ई–कॉमर्स को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है।

कारण

- 2020 तक, बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) मॉडल में 2 गुना वृद्धि हो सकती है, जबकि बी2सी (बिजनेस टू कस्टमर) में 7 गुना वृद्धि होने की उम्मीद है।
- दीर्घावधि में इसमें रोजगार सृजन, निर्यात राजस्व में वृद्धि और कर संग्रह बढ़ाने की क्षमता है।
- चूंकि बी2बी मॉडल और अधिक स्वीकार्यता प्रदर्शित कर रहा है, अतः इससे दूरदराज के इलाकों में लघु उद्योग और उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होगी।

ई–कॉमर्स उद्योगों के लिए चुनौतियां

- राज्यों में एक समान कराधान के अभाव में वस्तुओं की आवाजाही में कठिनाई।
- संचालन और अवसंरचना से जुड़े मुद्दे।
- भुगतान सुविधा और बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार भी एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि नकद लेनदेन में उच्च लागत आती है।
- इंटरनेट की पैठ।
- कुशल श्रम।

रिपोर्ट की सिफारिशें

- वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए GST के रूप में समान कर ढांचा।
- ई–कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रामीण पैठ के लिए डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि जैसे कार्यक्रमों का समय पर क्रियान्वयन।
- ई–कॉमर्स उद्योग में स्टार्ट–अप के लिए करावकाश वर्षों की संख्या को बढ़ाना।

3.7. मराठवाड़ा में सूखा और चीनी मिलों का मुद्दा

(Marathwada Drought and Sugar Factories)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र पानी की भीषण कमी का सामना कर रहे हैं (करीब 40%)। इस क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष वर्षा कम होने से सूखे की स्थिति विद्यमान है।

मुद्दाः क्या गन्ने की खेती मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे के लिए जिम्मेदार है?

समर्थन में तर्क

- गन्ने की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है (2000 से 2500 मिमी पानी)। उत्तरी क्षेत्रों में नदियों का विशाल नेटवर्क है, लेकिन महाराष्ट्र में गन्ने की खेती पानी की कमी वाले क्षेत्रों में होती है।
- गन्ने की खेती के तहत यहाँ केवल 4% भूमि, सिंचाई के लिए उपलब्ध जल के 71.5% का उपयोग करती है।
- इस क्षेत्र में 20 से अधिक चीनी मिलें हैं और प्रत्येक मिल में प्रति टन गन्ने की पेराई के लिए लगभग 1500 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है।
- कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र जल और सिंचाई आयोग ने भी गन्ने की खेती को इस क्षेत्र में बंद करने की सिफारिश की थी।

विरोध में तर्क

- गन्ना प्रति दिन के आधार पर और बायोमास की प्रत्येक इकाई वजन के उत्पादन के आधार पर भी कम पानी की खपत करता है, क्योंकि धान के विपरीत, गन्ना साल के 365 दिन बढ़ता है।
- ऐसी मिलें पूरे वर्ष संचालित होती हैं, और अगर इन चीनी मिलों से चारा, बिजली (खोई से) और शराब के उत्पादन को देखा जाए, तो ये मिल कोई अतिरिक्त पानी या बिजली का उपभोग नहीं करते।

निष्कर्ष

- खेती की प्राथमिकताओं और जल आवंटन के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है।
- ड्रिप सिंचाई, जिससे 40% पानी बचाया जा सकता है, को कानूनी रूप देकर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 के अनुसार, दलहन और मोटे अनाज की तरह कम पानी की खपत वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- चीनी कारखानों पर कोई भी प्रतिबंध इनपुट लागत और उनसे उत्पादित चीनी, बिजली, इथेनॉल और खोई के उत्पादन मूल्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर ही लगाना चाहिए।

3.8. मौद्रिक नीति में नकारात्मक ब्याज दरें

(Negative Rates of Interest in Monetary Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की हाल ही में आयोजित स्प्रिंग मीटिंग के दौरान मौद्रिक नीति पर अत्यधिक निर्भरता तथा विशेष रूप से नकारात्मक ब्याज दरों की चिंताओं में बारे में आवाज उठाई गयी।

नकारात्मक दरों का क्या उपयोग होता है?

- खपत में वृद्धि से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- स्थायी अपस्फीति के मामलों में मुद्रास्फीति में वृद्धि लाना।

VISION IAS

- नकारात्मक दरों से मुद्रा का अवमूल्यन होता है, जिससे निर्यात में वृद्धि होती है।

नकारात्मक ब्याज दरों के नकारात्मक प्रभाव:

- नकारात्मक ब्याज दर बैंकिंग क्षेत्रक और उसकी लाभप्रदता को नुकसान पहुँचा सकती है।
- इससे बेवजह करेंसी वार (मुद्रा युद्ध) और प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन को बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे तरलता जाल (liquidity trap) की स्थिति पैदा हो सकती है, जहाँ मौद्रिक नीति वांछित परिणाम नहीं दे पाती है।
- दीर्घावधि में, नकारात्मक दर नकदी की जमाखोरी को बढ़ावा दे सकती है और अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को कम कर सकती है।

3.9. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तपोषण (FDI फाइनेंसिंग)

(FDI Financing)

- नई तकनीक, उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार सृजन और उपभोक्ता विकल्प बढ़ाने के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) देश में अत्यंत आवश्यक विदेशी पूंजी लाता है।
- यह निर्यात को बढ़ावा देकर देश के चालू खाता घाटे (CAD) को पाटने में और सकारात्मक भुगतान संतुलन (BOP) को बनाए रखने में मदद करता है। इसे CAD की FDI फाइनेंसिंग कहते हैं।

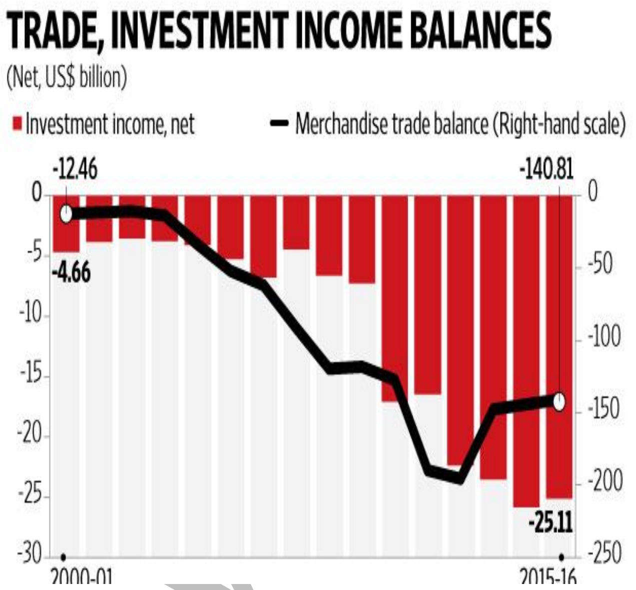

चालू खाता घाटे की FDI फाइनेंसिंग की आलोचना:

- FDI निर्यात उन्मुख होने के बजाय घरेलू बाजार को लक्षित कर सकता है, जिससे घरेलू उपभोग में वृद्धि होती है, और परिणामस्वरूप इससे आयात को बढ़ावा मिलता है।
- एक बार यदि ऐसे प्रारंभिक निवेश लाभदायक होने शुरू हो जाते हैं, तो मेजबान देश से मूल देश की ओर कैपिटल रिटर्न (पूँजी वापसी) देखने को मिलता है, जिससे CAD की स्थिति और बुरी हो जाती है।
- 2014–15 में इसी तरह की प्रवृत्ति देखने को मिली थी, तब FDI में वृद्धि के बावजूद CAD में बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई थी।

3.10. गरीबी मापन: नीति आयोग का कार्यदल

(Measuring Poverty: NITI Aayog Task Force)

- अरविंद पानगाड़िया की अध्यक्षता में नीति आयोग द्वारा नियुक्त एक कार्यदल ने निम्न गरीबी रेखा (low poverty line) की बात कही है।
- कार्यदल ने अन्य हितधारकों से विचार करके गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए चार विकल्प प्रस्तावित किये हैं।

ये चार विकल्प हैं:

- ✓ तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा को जारी रखना।
- ✓ रंगराजन समिति या अन्य उच्च ग्रामीण या शहरी गरीबी रेखा को अपनाना।
- ✓ निचली 30% आबादी की प्रगति पर अधिक समय तक निगाह रखना।
- ✓ गरीबी के विशिष्ट घटकों जैसे पोषण, आवास, पेयजल, साफ–सफाई, बिजली और कनेक्टिविटी के साथ प्रगति पर निगाह रखना।

- नीति आयोग तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा के पक्ष में है, जिसने गरीबी अनुपात 21.9% निर्धारित किया था; जबकि रंगराजन समिति ने 29.5% पर तुलनात्मक रूप से उच्च गरीबी अनुपात निर्धारित किया था।
- तेंदुलकर समिति की गरीबी रेखा के मानदंड को अपनाने पर बहुत से गरीब गरीबी रेखा से बाहर हो जायेंगे, इसलिए ऐसी आलोचना से बचने के लिए नीति आयोग ने कहा है कि गरीबी रेखा का इस्तेमाल गरीबों की पहचान कर उन्हें मदद देने के लिए नहीं बल्कि गरीबी से मुकाबले में उनकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए किया जाएगा।
- गरीबों को उनके अधिकार देने के लिए सक्सेना और हाशिम समिति द्वारा सुझावित सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा।

3.11. पनामा दस्तावेज़ लीक

(Panama Papers Leak)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मोसैक फ़ोनसेका नामक एक लॉ फर्म, जिसका मुख्यालय टैक्स हेवन देश पनामा में अवस्थित है, की गुप्त फाइलों में से 11 मिलियन से अधिक दस्तावेज लीक हो गए।
- इन दस्तावेजों में उन व्यक्तियों के नाम उजागर हुए हैं, जिन्होंने दुनिया भर के टैक्स हेवन देशों में अपतटीय संस्थाओं (offshore entitie) की स्थापना की है।
- ये अपतटीय संस्थायें वास्तविक स्वामित्व छुपाती हैं लेकिन फिर भी शिथिल कर नियामक प्रणालियों को अनुपालन करती हैं।
- फर्म की अपतटीय कंपनियों, संस्थाओं और ट्रस्ट की सूची में 500 से अधिक भारतीयों के नाम हैं।

प्रासंगिक कानून

- RBI के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति को उदारीकृत विप्रेषण योजना (Liberalized Remittance Scheme-LRS) के तहत प्रति वर्ष 2,50,000 डॉलर तक की राशि के प्रेषण (remit) की अनुमति है।
- हालांकि RBI व्यक्तियों (इंडिविजुअल्स) को LRS के तहत पहले केवल शेयर खरीदने की अनुमति देता था, परंतु इसने इन्हें अगस्त 2013 के बाद से विदेशों में कंपनियों की स्थापना करने की भी अनुमति प्रदान की।
- फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा निर्धारित "गैर–सहयोगी" (non-cooperative) देशों में उक्त धन नहीं भेजा जा सकता है।

आगे की राह

- अघोषित विदेशी आय और संपत्ति (कर अधिरोपण) अधिनियम 2015 [Undisclosed Foreign Income and Assets; Imposition of Tax) Act, 2015, को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक को अपतटीय संस्थाओं की स्थापना और उन्हें खरीदने की वैधता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए।
- अनुपालन लागत को कम करने के लिए भारत में कर व्यवस्था को सरल किया जाना चाहिए।
- पूंजी प्रवाह मानदंडों को सख्त करने के लिए G–20 जैसे बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना और कर चोरी से बचने के लिए कर जानकारी साझा करने वाले संधियों को लागू करना।
- कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए OECD देशों के बीच BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) पर संपन्न समझौते का अनुपालन किया जाना चाहिए।

3.12. मेक इन इंडिया पर नज़र रखने और राज्यों को रैंकिंग देने के लिए डैशबोर्ड

(Dashboards to Monitor Make in India and Rank States)

निम्नलिखित दो कार्य–योजनाओं (एक्शन–प्लान्स) पर हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा डैशबोर्ड विकसित किया गया है :

- ✓ मेक इन इंडिया एक्शन प्लान
- ✓ राज्य स्तरीय व्यापार सुधार एक्शन प्लान

मेक इन इंडिया डैशबोर्ड:

- ✓ 22 क्षेत्रकों को कवर करने वाले लगभग 21 मंत्रालयों को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत विनिर्माण और सेवा को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। ये मंत्रालय अपने कार्य योजनाओं की प्रगति को इस डैशबोर्ड पर देख सकेंगे व इसे अपडेट भी कर सकेंगे।
- ✓ यह निर्धारित एक्शन पॉइंट्स की समयबद्ध डिलीवरी को सुगम बनाएगा।
- ✓ यदि किसी प्रकार के कार्यान्वयन में देरी है तो उसकी पहचान एवं निगरानी को सुगम बनाना।
- ✓ यह PMO, कैबिनेट सचिवालय और DIPP को प्रगति की निगरानी करने और इस प्रकार के निर्दिष्ट प्रगति पर सुधारात्मक कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करेगा।

"ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस' डैशबोर्ड

- यह राज्य स्तरीय व्यापार सुधार एक्शन प्लान पर हुई प्रगति के बारे में राज्यों को उनके रिपोर्ट प्रस्तुत करने और DIPP को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
- इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गयी अच्छी कार्यविधि की पहचान और उसके बारे में जानकारी का प्रसार करने की सुविधा भी है।
- DIPP द्वारा प्रतिक्रिया के सत्यापन के बाद राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रियल टाइम रैंकिंग भी उपलब्ध होगी।
- राज्यों के प्रतिक्रिया का ब्योरा, उनकी प्रगति और परस्पर रैंकिंग जनता के लिए उपलब्ध रहेगी।

3.13. भारत में स्मार्ट सिटी पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट

(World Economic Forum Report on Smart Cities in India)

- विश्व आर्थिक मंच और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा 'भारत के स्मार्ट शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए सुधार' (Reforms to Accelerate the Development of India's Smart Cities) नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गयी है।
- रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अभी भी विभिन्न स्तरों पर सुधारों की आवश्यकता है।
- इसमें भूमि अधिग्रहण, विवाद समाधान, परमिट, जानकारी की उपलब्धता और खरीद प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन्हें अवश्य हीं संबोधित किया जाना चाहिए।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि वर्तमान में देश की शहरी आबादी लगभग 41 करोड़ (कुल जनसंख्या का 32 प्रतिशत) है, परंतु इसके वर्ष 2050 तक 81.4 करोड़ (50 प्रतिशत) तक पहुंचने की उम्मीद है।

समस्यायें:

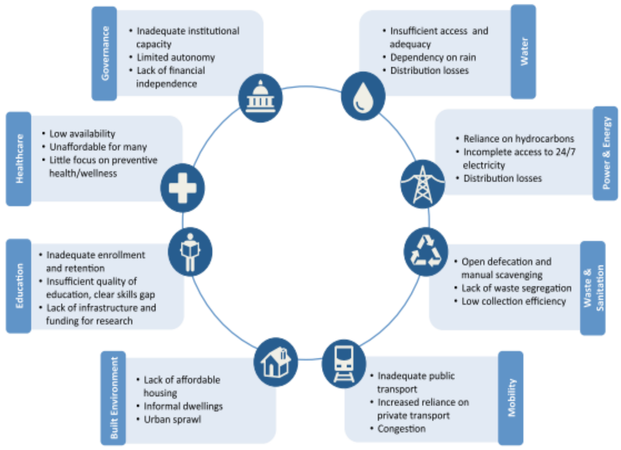

VISION IAS

रिपोर्ट के अनुसार समाधानः

- **एकल खिड़की प्रणालीः** अनुमति देने की प्रक्रिया में सहजता लाने से परियोजना के निष्पादन में तेजी आएगी, लागत में कमी आएगी और समय की बचत होगी तथा आंतर और अंतर–विभागीय सहयोग में सुधार होगा।
- **संस्थागत सुधारः** रिपोर्ट में एक शहर के भीतर योजनाओं और प्रशासनिक निकायों में बेहतर सहयोग और एक एकीकृत कमान संरचना की सिफारिश की गयी है।
- **स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरणः** स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उन्हें यूजर चार्ज और करों को निर्धारित करने और उनके संग्रह के अधिकार दिए जाने चाहिए।
- **क्षेत्र–विशिष्ट सुधारः** भौतिक अवसंरचना क्षेत्र के संबंध में रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी है कि, इस हेतू स्वतंत्र नियामकों को स्थापित किया जाए और यदि ऐसे नियामक पहले से हीं अस्तित्व में हैं तो उन्हें और सशक्त बनाया जाए, ताकि बड़े डिफाल्टरों के यूजर चार्ज और करों की पैमाइश और उनके संग्रह को सुनिश्चित किया जा सके।
- **निजी क्षेत्र का समर्थनः** यह पंगु और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कायाकल्प को सक्षम बनाएगा और राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में कमी के मुद्दे को भी संबोधित करेगा।

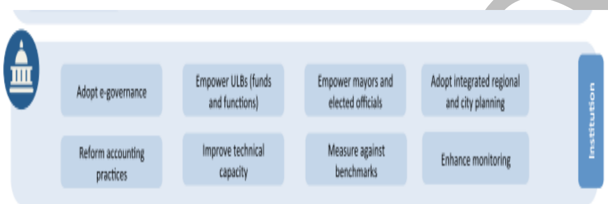

3.14. CSR खर्च को बढ़ावा देने के लिए FCRA में सुधार

(FCRA Tweaked to Boost CSR Spending)

FCRA में क्या संशोधन हुए हैं?

- नए संशोधन के अंतर्गत विदेशी कंपनियों के इंडियन सब्सिडियरी को भारतीय कंपनियों के रूप में पुनः परिभाषित किया गया है, जोकि संशोधन से पहले FCRA (फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट) के तहत "विदेशी स्रोत" (foreign source) के रूप में मानी जाती थीं।
- इसे पूर्वव्यापी प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट) देते हुए वर्ष 2010 से प्रभावी माना गया है, जब FCRA लागू हुआ था।
- अभी तक 50% से ज्यादा के विदेशी निवेश वाली किसी भी कंपनी को "विदेशी स्रोत" माना जाता था।

CSR (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के बारे में: वैसी फर्म/कंपनियाँ जिनका नेट वर्थ (निवल मूल्य) 500 करोड़ रुपये या 1000 करोड़ रुपए का टर्न ओवर या 5 करोड़ रूपये का निवल लाभ है, उन्हें कानूनन अनिवार्यतः अपने तीन साल के औसत लाभ का न्यूनतम 2% सामाजिक विकास कार्यो पर खर्च करना होता है।

पृष्ठभूमि

- मौजूदा नियमों के अनुसार, 50% से अधिक विदेशी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के धन को विदेशी स्रोत माना जाता था, और उन्हें केवल उन्हीं संगठनों के साथ भागीदारी की अनुमति थी जो FCRA नियमों के तहत गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत हैं।
- यहां तक कि ऐसी कंपनियों द्वारा संचालित संस्थाओं को भी FCRA नियमों के तहत एक लाइसेंस प्राप्त करना होता था।

विश्लेषण

- 50% से अधिक विदेशी हिस्सेदारी वाली कंपनियाँ, अब बिना यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा प्रदत राशि को प्राप्त करने वाले गैर–लाभकारी संगठनों को FCRA क्लीयरेंस प्राप्त है या नहीं, धन दान कर सकती हैं।
- यह छोटे NGOs के लिए लाभकारी होगा, जिन्हें ऐसे धन प्राप्त करने के लिए FCRA के साथ पंजीकरण की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
- हालांकि, इससे राजनीतिक दलों के भारत में काम कर रही विदेशी संस्थाओं (जैसे वेदांता) से धन प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो जायेगा। अब तक राजनीतिक दलों को विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी।
- भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ FCRA नियमों के उल्लंघन व विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करने के संदर्भ में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लंबित है। उक्त संशोधन के पूर्वव्यापी प्रभाव से ये राजनीतिक दल सजा से बच सकते हैं।

VISION IAS

4. सामाजिक मुद्दे

4.1 यौन अपराधियों का पंजीकरण

(Registry of Sex Offenders)

अमेरिका और ब्रिटेन की तरह अब भारत सरकार भी दोषी यौन अपराधियों का पंजीकरण करने की योजना बना रही है।

पंजीकरण की मुख्य बातें

- वे यौन अपराधी जिनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं, (जिनमें 18 वर्ष से कम उम्र के दोषी भी शामिल होंगे) डेटाबेस में शामिल किये जाएँगे तथा इसको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- यह डेटाबेस नागरिकों के लिए बन रहे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (CCTNS) पोर्टल के ज़रिए देखा जा सकेगा।
- सरकार अपराधियों की तस्वीर, नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, फिंगर प्रिंट और डीएनए के नमूनों की जानकारी को प्रकाशित करने की योजना बना रही है।
- मसौदे में उल्लिखित दिशा–निर्देशों में यह विचार रखा गया है कि अपराधी की विस्तृत जानकारी (जिसमें उपनाम, फोन नंबर, अस्थायी आवास के बारे में जानकारी, यात्रा और आव्रजन सम्बन्धी दस्तावेज शामिल हैं) उपलब्ध करायी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त उनके रोजगार से संबंधित जानकारी, स्कूली शिक्षा, कॉलेज, आपराधिक इतिहास, वाहन आदि का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस परियोजना को ई–अदालत और ई–जेल अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधार किया जा सके।

लाभ

- इससे बार–बार अपराध करने वाले यौन अपराधियों के मन में भय पैदा होगा तथा लोग इससे लाभान्वित होंगे।
- यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए लाभदायक और सुविधाजनक होगा।

आलोचना

- अमेरिका और ब्रिटेन में इसी तरह की पहल के अध्ययन से पता चलता है कि पंजीकरण का अपराधों को कम करने पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही यह दोषी करार दिए गए अपराधियों के जीवन को अस्थिर बना देता है और उन्हें अपराधी बने रहने पर मजबूर कर देता है।
- पंजीकरण कानून इस मिथक को और अधिक सुदृढ़ करता है कि अधिकतर यौन अपराध अजनबियों द्वारा किये जाते हैं।

आगे की राह

- सरकार को यौन अपराधियों के लिए संज्ञानात्मक उपचार (cognitive therapy) उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपराधों को नहीं दोहरायेंगे।
- सरकार को यह सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए कि प्रक्रिया में पुनः किसी अनावश्यक मानसिक उत्पीड़न से गुजरे बिना पीड़ित स्वास्थ्य और कानूनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हों।

4.2. शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर अद्यतन जानकारी

(Women entry to Shani Shingnapur Temple: updates)

- बंबई उच्च न्यायालय ने पूजा स्थलों में प्रवेश पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार को अग्र सक्रिय (प्रो एक्टिव) कदम उठाने के निर्देश दिए थे।
- उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह एक महिला का मौलिक अधिकार है और सरकार को इसकी रक्षा करनी चाहिए।
- यदि पुरुषों को उपासना स्थल में जाने की अनुमति दी जाती है तो, महिलाओं को भी अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि कोई भी कानून उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकता है।
- उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि किसी भी मंदिर या व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसे महाराष्ट्र राज्य के कानूनों के तहत छह महीने तक की सजा हो सकती है।
- **महाराष्ट्र हिन्दू पूजा स्थल (प्रवेश अधिकार) कानून 1956** के तहत किसी भी मंदिर या व्यक्ति द्वारा यदि किसी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसे छह महीने तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

(नोटः इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए विजन करंट अफेयर्स का फरवरी, 2016 का अंक पढ़ें।)

4.3. परिवार कानून में सुधार

(Family law reforms)

- हाल ही में सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय पैनल ने परिवार कानूनों में सुधारों से संबंधित सुझाव दिए हैं।

VISION IAS

- इस पैनल का गठन विवाह, तलाक, संरक्षण (कस्टडी), विरासत और उत्तराधिकार के संबंध में महिला और परिवार कानूनों की समीक्षा के लिए किया गया था।

पैनल द्वारा दिए गए सुझाव

- **व्यभिचार से संबद्ध मामले में भारतीय दंड संहिता में संशोधन (धारा 497)** — वर्तमान में इसका इस्तेमाल केवल पति द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है।
- उन कानूनों में अन्तर्निहित लैंगिक भेदभाव को हटाना जो लड़की के लिए न्यूनतम वैधानिक विवाह आयु तय करते हैं।
- तिहरे तलाक और बहुविवाह का निषेध करना।
- मुस्लिम महिलाओं को उनके पर्सनल लॉ के अंतर्गत, और साथ ही साथ लिव–इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं तथा अविवाहित आश्रित पुत्री को, निर्वाह राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।
- "ऑनर किलिंग" से निपटने के लिए एक अलग कानून को लागू करना।
- विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन–अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी करने वालों की रक्षा के लिए, अधिनियम में निहित 30 दिन के सार्वजनिक नोटिस के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए।
- 'क्रूरता' शब्द को भी फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है क्योंकि पर्सनल लॉ के तहत 'क्रूरता' को तलाक के लिए एक आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है।

सुधार की आवश्यकता क्यों है ?

- भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की परिकल्पना संविधान के अनुच्छेद 44 में की गयी है।
- विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ में निहित लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए यह अत्यावश्यक है।
- जो लोग अपनी पसंद के अनुसार अपना जीवनसाथी चुनना चाहते हैं उनके लिए शांतिपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करने तथा उन्हें खाप पंचायत जैसे सामाजिक दबावों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए।
- यह सुधार पुरुष प्रधान भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में सहयोग देगा।

4.4 नौसेना ने महिलाओं को स्थायी नियुक्ति (परमानेंट कमीशन) प्रदान की

(Navy Grants Permanent Commission for Women)

- हाल ही में लैंगिक बाधाओं को तोड़ते हुए भारतीय नौसेना ने सात महिला अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति प्रदान की है और 2017 से आठ शाखाओं में परमानेंट कमीशन लागू करने की योजना बनाई है।
- हालाँकि यह उनकी मेडिकल फिटनेस और अच्छी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) के अधीन है।
- 2017 से शिक्षा, कानून, मौसम विज्ञान, हवाई यातायात नियंत्रण, रसद, पर्यवेक्षण, समुद्री टोही विमान पर पायलट और नौसेना कंस्ट्रक्टर्स आदि शाखाओं में भी स्थायी कमीशन लागू किया जायेगा।

पृष्ठभूमि

- अब तक महिला अधिकारियों को थल और वायु सेना के केवल कुछ चुनिंदा विभागों में ही स्थाई कमीशन की अनुमति दी गई थी।
- नौसेना में अब तक केवल 14 वर्षों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की ही अनुमति थी, जिसके कारण महिला अधिकारी पेंशन से वंचित रह जाती थीं।
- भारतीय वायु सेना ने पिछले वर्ष लड़ाकू वर्ग में महिलाओं के प्रवेश की घोषणा की और इस प्रकार वह पहला भारतीय सशस्त्र बल बना जिसमें लड़ाकू भूमिका में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई। हालाँकि ऐसा केवल प्रायोगिक आधार पर किया गया है।

4.5 भारत में वृद्धों की बढ़ती संख्या

(Ageing India)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में "भारत में बुजुर्ग, 2016" नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

आयु निर्भरता अनुपातः वृद्ध आश्रितों (64 वर्ष से ऊपर के लोगों) का कार्यकारी आयु वर्ग की आबादी (15 और 64 वर्षों के बीच) से अनुपात।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- 60 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीयों की संख्या में 2001 से 2011 तक 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- केरल में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत अधिकतम है तथा यह राज्य की आबादी का 12.6% है।
- अधिक बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में गोवा, तमिलनाडु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सम्मिलित हैं।
- 71 प्रतिशत बुजुर्ग गाँवों में निवास करते हैं, जबकि 29 प्रतिशत शहरों में रहते हैं।
- अरुणाचल प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत न्यूनतम है जहाँ राज्य की आबादी का केवल 4.6 प्रतिशत 60 वर्ष से ऊपर है।
- भारत का आयु निर्भरता अनुपात भी 2001 में 10.9% से बढ़ कर 2011 में 14.2% हो गया है।
- बुजुर्गों के बीच साक्षरता का अनुपात 1991 में 27% था जो 2011 में बढ़कर 47% हो गया है।

चुनौतियाँ

- बढ़ती वृद्ध जनसंख्या के कारण सरकार पर स्वास्थ्य व्यय और पेंशन के रूप में आर्थिक बोझ बढ़ता है।
- यद्यपि वे सामाजिक कल्याण पर निर्भर होते हैं किन्तु राजस्व में सक्रिय रूप से योगदान नहीं करते हैं।

VISION IAS

- संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन के कारण सरकार पर बुजुर्गों की देखभाल करने का दबाव बढ़ गया है।
- अत्यधिक सुभेद्य होने के कारण यह आयु वर्ग अनेक अपराधों का सहज ही शिकार बन जाता है।

4.6 मधुमेह

(Diabetes)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

इस वर्ष 7 अप्रैल को मनाये गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था – **'बीट डायबिटीज'** (Beat Diabetes)।

मधुमेह क्यों ?

- WHO की रिपोर्ट और लांसेट अध्ययन से पता चलता है कि 1980 से 2014 के बीच मधुमेह के मामलों में चार गुना वृद्धि हुई है और उनमें से आधे मामले भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं।
- भारत में 1980 में 11.9 मिलियन मधुमेह के मामले थे। यह संख्या 2014 में बढ़कर 64.5 मिलियन हो गयी है।
- 2030 तक भारत में विश्व के सर्वाधिक मधुमेह रोगी होंगे तथा यह "विश्व की मधुमेह राजधानी' होगा।

पृष्ठभूमि

- ब्लड शुगर के उच्च स्तर के कारण व्यक्ति मधुमेह का शिकार होता है। यह स्थिति इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन से या मानव शरीर के इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करने या दोनों कारणों से सम्बंधित हो सकती है। यह एक गैर संचारी रोग है।
- **मधुमेह के विभिन्न प्रकारः** (i) **टाइप 1:** इंसुलिन का उत्पादन नहीं होना या अत्यल्प होना, **(ii) टाइप 2:** शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, (iii) गर्भावस्था सम्बन्धीः गर्भावस्था के दौरान महिलाओं से संबंधित; और (iv) पूर्व–मधुमेहः इसमें ब्लड शुगर टाइप 2 जितना उच्च नहीं होता।
- **कारणः** तेजी से बढ़ता शहरीकरण, निष्क्रिय जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर आहार। मोटापे की वजह से मधुमेह का जोखिम अत्यधिक बढ़ जाता है।
- **लक्षणः** सामान्य लक्षणों में अधिक पेशाब आना, भूख और प्यास का बढ़ जाना शामिल है।
- **प्रभावः** यह अंधापन, गुर्दे की विफलता या अंग क्षय, हृदयाघात का खतरा, गर्भावस्था की जटिलताओं में वृद्धि आदि जैसी स्थितियाँ पैदा कर सकता है।

चुनौतियाँ

- भारत की अर्थव्यवस्था और लोगों की जेब पर बढ़ता बोझ।
- भारत में वयस्कों के बीच विकलांगता का एक प्रमुख कारण है।
- मधुमेह की स्क्रीनिंग में देरी, जानकारी की कमी और अच्छी तरह प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी।

आगे की राह

- खान–पान की आदतों में बदलाव की जरूरत है, अधिक फाइबर और प्रोटीन तथा कम शर्करा और स्टार्च वाला आहार मधुमेह के खतरे को कम करता है।
- शर्करा वाले पेय पदार्थों पर करों में वृद्धि।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मधुमेह की शीघ्र पहचान एवं प्रभावी इलाज नियमित तौर पर उपलब्ध होना चाहिए।
- शहरी नियोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सुरक्षित और आनंददायक शारीरिक गतिविधियाँ की जा सके।
- मधुमेह की रोकथाम और उपचार जैसे विषय पर लोगों को सार्वजनिक रूप से जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

4.7 शहरी स्वास्थ्य पर वैश्विक रिपोर्ट

(Global Report on Urban Health)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

"शहरी स्वास्थ्य पर वैश्विक रिपोर्टः सतत विकास के लिए न्यायसंगत और स्वस्थ शहर" को हाल ही में WHO और संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम (UN-Habitat) द्वारा जारी किया गया था।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- यह रिपोर्ट यह प्रकट करती है कि शहरों में, स्वास्थ्य में प्रगति न केवल स्वास्थ्य प्रणालियों की सक्षमता पर निर्भर करती है, बल्कि स्वस्थ शहरी वातावरण पर भी निर्भर करती है।
- गैर संचारी रोग (NCD) वर्तमान मानव स्वास्थ्य के लिए केवल एक खतरा मात्र नहीं हैं बल्कि इसके महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ भी हैं।
- गैर–संचारी रोग जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर 2012–2030 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.2 ट्रिलियन तक का नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- शहरीकरण और उससे जुड़ी जीवन शैली शहरों में गैर संचारी रोगों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है।
- शहरीकरण के लिए अपर्याप्त नियोजन सामाजिक और पर्यावरणीय असंवहनीयता उत्पन्न कर रहा है।
- भारत और चीन में, हृदय और मानसिक स्वास्थ्य रोग सबसे बड़े आर्थिक खतरे उत्पन्न कर रहे हैं, इसके बाद मधुमेह और कैंसर जैसे रोग बड़े खतरे हैं।

4.8 कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा आवरण : भारत में स्वास्थ्य' रिपोर्ट

(Poor Health Cover: Health In INDIA REPORT by NSSO)

सुर्ख़ियों में

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 'भारत में स्वास्थ्य' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
- इस रिपोर्ट में NSS के 71वें दौर के जनवरी से जून 2014 के बीच एकत्रित किए गए आंकड़े शामिल हैं।

VISIONIAS

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- भारत की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का खराब प्रदर्शन – केवल 12% शहरी तथा 13% ग्रामीण आबादी को ही बीमा कवर प्राप्त है।

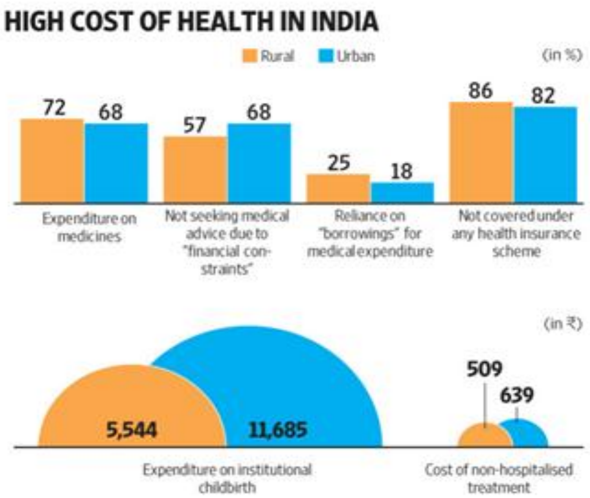

- बजट से बाहर व्यय में दवाओं का अत्यधिक योगदान– कुल स्वास्थ्य व्यय में से, ग्रामीण क्षेत्रों में 72% और शहरी क्षेत्रों में 68% व्यय गैर अस्पताल भर्ती उपचार के लिए दवाएं खरीदने हेतु किया गया था।
- निजी डॉक्टर इलाज का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं – ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किये गए उपचार का 72 प्रतिशत तथा और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत निजी क्षेत्र द्वारा किया गया।
- निजी क्षेत्र के अस्पतालों में लोगों द्वारा उच्चतर व्यय किया गया – ग्रामीण आबादी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में औसतन 5,636 रुपये खर्च करती है जबकि निजी क्षेत्र के अस्पताल में 21,726 रुपये खर्च करती है।

कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा आवरण की पृष्ठभूमि में निहित कारण

- वित्तीय बाधा – ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह सबसे बड़ी बाधा है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता – यह ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों के कम घनत्व और सरकारी अस्पतालों की ख़राब स्थिति के कारण एक बड़ा कारक है।
- दवाओं की बढ़ती लागत और सरकारी अस्पतालों में बजटीय आवंटन में कटौती ने दवाओं पर व्यय को बढ़ा दिया है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य हेतु सरकारी आवंटन 1986–87 में 1.47% था जो 2015–16 में 1.05% तक गिर गया है।
- कमजोर वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता ने बीमा सुविधाओं की कवरेज को कम किया हैं।

आगे की राह

- निःशुल्क दवाइयां और निदान को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए।
- लोगों को जागरूक बनाना और बैंकिंग करेसपोंडेंट मॉडल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का वितरण किया जाना चाहिये।

4.9 भारत में चिकित्सीय अति प्रयोग संकट

(Medical Overuse Crisis in India)

पिछले कुछ दशकों से स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों, चिकित्सा पत्रिकाओं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने "चिकित्सीय अति प्रयोग संकट" के बारे में भारत को चेतावनी दी है।

भारत में चिकित्सीय अति प्रयोग के कारण

- बीमा कवर को बढ़ाना
- निजी अस्पतालों का अत्यधिक मात्रा में होना
- सरकारी स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के वित्तीय प्रावधानों का दुरुपयोग

संकट के निहितार्थ

- एक मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 2009 से 2015 के बीच, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जाने वाली सर्जरी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- सीजेरियन (C-section), हिस्टरेक्टमी (hysterectomies) और अन्य आपातकालीन सर्जरी में कई गुना वृद्धि हुई है।
- 2014 में विश्व बैंक ने चेतावनी दी थी कि भारत में अत्यधिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोग की स्थिति से रोगियों को नुकसान हो सकता है जबकि इससे केवल सीमांत लाभ प्राप्त होंगे।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 30000 रुपये वार्षिक का नगदी–रहित बीमा प्रदान किया जाता है, उन योजनाओं में से एक है जिसका डॉक्टरों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है।
- छत्तीसगढ़ का 'गर्भाशय घोटाला' जिसमें युवा महिलाओं की अनावश्यक सर्जरी करके गर्भाशय निकाला गया था, ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था।
- हिस्टरेक्टमी (सर्जरी के द्वारा गर्भाशय हटाना) के दुष्प्रभावों में हृदय रोग के खतरे सहित कई स्वास्थ्य जटिलतायें सम्मिलित हैं।
- WHO का कहना है कि सीजेरियन (C-section) तभी किया जाना चाहिये जबकि जीवन को खतरा हो तथा किसी भी क्षेत्र में यह 10–15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये जबकि भारत का राष्ट्रीय औसत 20 प्रतिशत के लगभग है।
- भारत में गरीबों की जटिल सर्जरी तक तो पहुँच है लेकिन बुनियादी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुँच नहीं है।

समाधान

- तृतीयक सहायक सेवाओं और विशेषज्ञों पर निर्भरता कम करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिये।

VISION IAS

- सरकारी स्वास्थ्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत चिकित्सा प्रक्रियाओं की सख्त तकनीकी लेखा परीक्षा को संभव बनाया जाना चाहिये।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, निजी स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा योजनाओं का अधिक से अधिक विनियमन किया जाना चाहिये।
- यह जागरूकता फ़ैलाने की आवश्यकता है कि अधिक दवाओं और चिकित्सकीय परीक्षण का अर्थ बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सेवा नहीं है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना जिससे निजी स्वास्थ्य सेवा में कदाचार पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

4.10 वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन का मुद्दा

(Forest Rights Act Implementation Issues)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट से वन अधिकार अधिनियम का मुद्दा सुर्ख़ियों में आया है।

वन अधिकार अधिनियम क्या है?

- 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम' या 'वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम; 2006 में अस्तित्व में आया तथा इस अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय जनजातीय मामलों का मंत्रालय है।
- इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वनवासियों जो पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं किन्तु जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा सकी है, के वन अधिकारों और उपजीविका को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है।
- यह केवल ग्राम सभा की सिफारिश पर वन भूमि के अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
- इसके अलावा आजीविका के लिए स्वयं कृषि कार्य करने के अधिकार, लघु वनोपज पर अधिकार, निस्तार (Nistar) जैसे सामुदायिक अधिकारों को सम्मिलित किया जाता है।

वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- ग्राम सभाओं की सहमति से पारित संकल्पों को संबद्ध पक्षों द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए भूमि के अन्य किसी कार्य में उपयोग करने के लिए जाली तरीके से परिवर्तित किया जाना।
- संबंधित मंत्रालयों द्वारा वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) को विकास के लिए एक बाधा के रूप में देखा जाता है, जो इसकी सफलता की राह में रोड़ा बनता है, जबकि मंत्रालयों को चाहिये की वे इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।
- आदिवासी और वन में निवास करने वाले समुदायों के ज्ञान को निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा है।
- आदिवासियों और वनवासियों के बीच जागरूकता और शिक्षा का अभाव।
- एफआरए संरक्षित क्षेत्रों (जैसे वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि) में अधिकार जैसे अन्य कानूनों के साथ अक्सर मेल नहीं खाता है।
- सक्सेना समिति ने एफआरए के कार्यान्वयन में कई समस्याओं की ओर इंगित किया है। अधिकारियों द्वारा उचित जांच–पड़ताल न किये जाने के कारण दावों को गलत तरीके से अस्वीकृत कर दिया जाता है।

4.11 संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के लिए नियम

(Rules for Amended SC/ST Act)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने दिसम्बर, 2015 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन किया था।
- संशोधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाना था।
- साथ ही अत्याचार के पीड़ितों को उदार और शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए तथा महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में विशेष संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया था।

महत्वपूर्ण प्रावधान

- संशोधित प्रावधानों ने राहत पैकज को 75000 से 7,50,000 तथा 85000 से 8,50,000 तक बढ़ा दिया है जो अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
- इसके अलावा गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को राहत प्रदान की जाएगी चाहे अंत में उनके द्वारा लगाये गए आरोप सत्यापित ना हों।
- इस कानून की न्याय प्रदान करने में सक्षमता की जाँच करने हेतु राज्य, जिला और उपसंभाग स्तरीय समितियों की बैठकों में नियमित समीक्षा करना।
- साठ दिनों के भीतर जाँच पूरी करना और आरोपपत्र दाखिल करना।
- पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिनों के भीतर राहत का प्रावधान।
- इसके अलावा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए पहली बार राहत के प्रावधान किये गए हैं।
- गैर–हमलावर अपराधों जैसे यौन उत्पीड़न, महिलाओं के शील का अपमान करने के उद्देश्य से किये गए इशारों या कार्यों, के संबंध में राहत प्राप्त करने के लिए किसी चिकित्सकीय जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

VISION IAS

- अत्याचारों की सूची में नए अपराधों जैसे सिंचाई सुविधाओं का उपयोग न करने देना, वन अधिकार की प्राप्ति में बाधक बनना आदि को सम्मिलित किया गया है।

4.12 भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति

(Allowing Foreign Universities in India)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

नीति आयोग ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना के पक्ष में विचार रखा गया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- इसने भारत में विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के प्रवेश के लिए तीन मार्गों का सुझाव दिया गया है:
  - ✓ देश में इस तरह के विश्वविद्यालयों के संचालन को विनियमित करने के लिए एक नया कानून।
  - ✓ UGC अधिनियम,1956 और डीम्ड यूनिवर्सिटी के विनियमनों में संशोधन जिससे उन्हें डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में प्रवेश दिया जा सके।
  - ✓ UGC और AICTE के विनियमनों में परिवर्तन जिससे भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच संयुक्त उपक्रम की अनुमति दी जा सके।
- विदेशी संस्थाओं द्वारा देश में अपने कैंपस स्थापित करने से भारत को मानव और वित्तीय संसाधनों, शिक्षण पद्धति, अनुसंधान और नवाचार के मामले में अत्यधिक लाभ होने का अनुमान है।
- यह भारत में उच्च शिक्षा की माँग को पूरा करने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और देश में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने में मदद करेगा।
- इस तर्क के संबंध में कि 'यह शिक्षा की लागत में वृद्धि करेगा तथा यह आबादी के एक बड़े हिस्से की पहुँच से बाहर होगी,' नीति आयोग का यह कहना है कि योग्य छात्रों को मेरिट और आय के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

4.13 बिहार में शराब बंदी

(Liquor Ban in Bihar)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- 6 अप्रैल को बिहार सरकार ने शराब निषेध कानून की घोषणा की। इसके द्वारा राज्य में देशी और विदेशी शराब की बिक्री और उपभोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गयी है।
- सरकार ने शराबियों को नशे की आदत से मुक्त करने की जिम्मेदारी ली है तथा शराबियों को नशे की आदत से मुक्त करने के लिए राज्य भर में 39 नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की गयी है।

महत्व

- शराब पीने की आदत में कमी के स्पष्ट स्वास्थ्य लाभ।
- घरेलू हिंसा, जिसकी सर्वाधिक शिकार महिलायें और बच्चे होते हैं, में कमी।
- सामान्य रूप से शराब बंदी से अपराध और अपराध दर में कमी आयेगी।
- इससे श्रम उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।

चुनौतियाँ

- पुलिस और अन्य अधिकारियों के हाथ में असीम शक्ति, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- प्रतिबंध को लागू करने में कठिनाई।
- तस्करी और अवैध व्यापार में वृद्धि हो सकती है।
- 4000 करोड़ रूपए की अनुमानित राजस्व हानि बिहार जैसे समस्याग्रस्त राज्य पर अत्यधिक राजस्व बोझ डाल सकती है।
- पड़ोसी राज्यों से होने वाली शराब की अवैध आवाजाही भी एक चुनौती हो सकती है।
- शराब व्यापार के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे लोगों का विस्थापन। हालांकि, राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए सुधा डेयरी पार्लरों की घोषणा की है।

VISIONIAS

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

5.1 पेटेंट से जुड़े मुद्दे व भारतीय जेनरिक दवाएं

(Issue of Patents and Indian Generic Medicine)

पृष्ठभूमि

- यू. एस. ए. तथा यूरोपीय संघ ने पुनः भारतीय पेटेंट कानूनों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं।
- इस संबंध में पश्चिमी देशों के दवा विनिर्माताओं द्वारा 2 प्रावधानों को दोषपूर्ण बताया गया है–

✓ भारतीय पेटेंट अधिनियम का अनुच्छेद 3 (D), जो तर्कहीन आधारों पर दवाओं के पेटेंट की 'एवर ग्रीनिंग' को नियंत्रित करता है।

✓ अनिवार्य लाइसेंसिंग (CL): इसके तहत पेटेंट के स्वामी की सहमति के बिना किसी और को पेटेंट वाले उत्पाद या प्रक्रिया के उत्पादन की अनुमति प्रदान की जाती है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने नोवार्टिस के ग्लाइवेक (Glivec) नामक दवा की एवरग्रीनिंग के विरुद्ध निर्णय दिया था और साथ ही भारत ने कैंसर की दवा नेक्सावार के लिए जेनेरिक दवाएँ जारी करने हेतु लाइसेंस प्रदान कर दिया है।
- यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय ने अपने वार्षिक स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को "प्रायऑरिटी वाच लिस्ट" (PWL) की श्रेणी में रखा है।

WTO के नियम क्या कहते हैं?

- भारतीय पेटेंट कानून ट्रिप्स (ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स) का अनुपालन करते हैं।
- यदि कोई मूल उत्पादक प्रतिस्पर्द्धारोधी नीति अपनाता है या सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में सरकार ऐसा जरूरी समझती है, तो यह सरकारों को अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी करने के लिए समर्थ करता है।

वर्तमान मुद्दा

- भारत अपनी प्रथम **IPR** नीति निर्माण की प्रक्रिया में है और भारत पर यह आक्षेप लगाया गया है कि यू. एस. इण्डिया बिजनेस कांउसिल (USIBC) एवं यू. एस. चैम्बर ऑफ कामर्स जैसे अमरीकी औद्योगिकी गुटों ने भारतीय अधिकारियों से यह मौखिक एवं निजी आश्वासन प्राप्त किया है कि भारत 'अनिवार्य लाइसेंसिंग' का इस्तेमाल नहीं करेगा।
- USIBC ने यह भी उद्घाटित किया कि इसने भारत के पेटेंट परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किए हैं, जो कि पेटेंट परीक्षण तन्त्र की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है।

भारत के लिए चिन्ताएँ

- यह भारत के "फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड" के ओहदे को प्रभावित करेगा।
- यह दवाओं तक लोगों की पहुंच को प्रभावित करेगा।
- ड्रग रेसिसटेंट TB, HIV, कैंसर इत्यादि के विरुद्ध भारत के अभियान को प्रभावित करेगा।
- अफ्रीकी देशों के समक्ष एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि अफ्रीकी देशों के लिए भारत कम मूल्य की जीवनरक्षक दवाओं का मुख्य स्त्रोत है।

आगे की राह

- अमरीकी औद्योगिक गुटों के दबाव का प्रतिरोध करना और यह सुनिश्चित करना कि नई IPR नीति ट्रिप्स के प्रावधानों के अनुकूल हो।
- अन्तर्राष्ट्रीय नियमों में अन्तर्निहित लचीलेपन का सदुपयोग करना ताकि अल्प विकसित एवं विकासशील देशों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- इस मुद्दे पर समान सोच रखने वाले देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साथ लाना।

5.2 एकीकृत भुगतान व्यवस्था

(Unified payment System)

UPI क्या हैं?

यह एक मोबाइल इण्टरफेस हैं जो विभिन्न बैंकों में 1 लाख तक के अन्तरणों के तत्काल हस्तांरण के लिए एक वर्चुअल ID का इस्तेमाल करेगा।

HOW TO USE UPI

What will UPI work on?
It is a mobile interface and will work on mobile phones only.

How does one start using UPI?
Some banks have integrated UPI into their existing apps. Some have launched new ones for it. Users download the app and register (the important part of this is a virtual ID and a mobile PIN or MPIN).

And?
That's it. People can send you money using your virtual ID (you don't have to give them any other details). And you can shop using the virtual ID. Enter the virtual ID on the payments page of the vendor and you will receive an alert on the mobile asking you to authorize the transaction.

महत्व

- इससे ई–कामर्स अन्तरणों के सुगम होने की आशा है।
- यह सूक्ष्म भुगतानों एवं व्यक्ति से व्यक्ति को होने वाले भुगतानों को भी सुगम बनाएगा।
- यह विभिन्न बैंकों में ग्राहकों के लिए तत्काल कोष हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाएगा।

VISION IAS

- UPI की मदद से संवेदनशील जानकारी जैसे खाता संख्या इत्यादि साझा किए बिना ही वर्चुअल ID के माध्यम से अन्तरण संभव हो सकेंगे।
- भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के व्यापक प्रचलन न हो पाने के पीछे मुख्य कारण हमारी भुगतान व्यवस्था में निहित खामियाँ है। UPI में पूरे देश की संपूर्ण भुगतान प्रणाली को बदल देने की क्षमता है।
- वर्तमान स्थितिः 19 बैंकों ने UPI आधारित सेवाओं को ऑफर करने के लिए NPCI (सभी फुटकर भुगतान प्रणालियों के लिए एकीकृत संगठन) के साथ साझेदारी की है।

5.3. SRSAM (शार्ट रेंज सरफेस–टू–एयर) मिसाइल प्रणाली

(SRSAM (Short Range Surface-To-Air) Missile System)

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) एवं फ्रांसीसी फर्म MBDA संयुक्त रूप से भारत में **SRSAM** प्रणालियों का निर्माण एवं विकास करेंगे।
- यह पुरानी हो चुकी इजरायली बराक–1 वायु रक्षा प्रणाली एवं रूसी अस्त्र प्रणालियों का स्थान लेगी।
- यह परियोजना अभी भी सरकार से अन्तिम अनुमति की प्रतीक्षा कर रही है।

SRSAM के बारे में

- SRSAM मैक–3 वर्ग का मिसाइल है जिसका वजंन लगभग 100 किग्रा है।
- इसका परास (रेंज) 40 किमी है जिसे 360° के डिफेंस कवरेज के लिए उर्ध्वाधर रूप से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- आकाश (मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली) मिसाइलों के विपरीत यह मिसाइल उर्ध्वाधर प्रक्षेपण के योग्य एवं कनस्तर आधारित होगी। जो नौसेनिक जहाजों के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
- इसे जहाज की गोदी (डॉक) में छिपाया जा सकता है एवं यह शत्रु के निगरानी राडारों को भी चकमा दे सकता है।
- थल सेना एवं वायु सेना भी इसका उपयोग कर सकती है।

5.4 के–4 मिसाइल–मध्यम दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपण योग्य बैलिस्टिक मिसाइल

[K-4 missile – Intermediate-range submarine-launched ballistic missile (SLBM)]

विशेषताएँ

- यह परमाणु क्षमता से सम्पन्न मिसाइल है।
- यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के तत्वाधान में निर्माणाधीन है।
- अरिहन्त वर्ग की पनडुब्बियों को इस मिसाइल से लैस किया जाएगा।
- यह 2.2 टन तक विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम होगा।

सुर्खियों में क्यों?

DRDO ने स्वदेशी INS अरिहन्त से नाभिकीय मिसाइल K-4 का परीक्षण किया है।

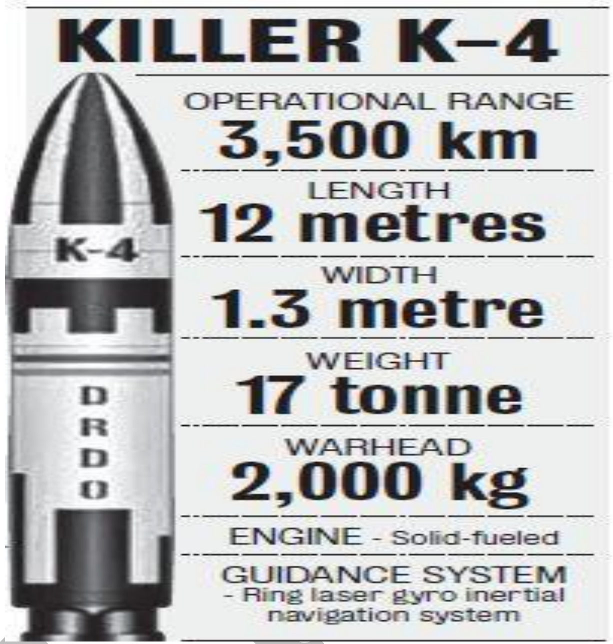

के–4 मिसाइल का विकास इसलिए किया गया ताकि INS अरिहन्त में अग्नि III मिसाइल की तैनाती में आ रही कठिनाई को दूर किया जा सके।

5.5 सिंथैटिक आर्गेनिज्म

(Synthetic Organism)

सिंथैटिक बायोलॉजी एवं सिंथैटिक आर्गेनिज्म क्या है?

सिंथैटिक बायोलॉजी वस्तुतः नए जैविक इकाइयों जैसे एन्जाइम, अनुवांशिक परिपथ एवं कोशिकाओं के निर्माण या डिजाइन अथवा विद्यमान जैविक प्रणालियों की पुर्नरचना से संबद्ध है।

इस प्रकार निर्मित नई जैविक इकाइयों को सिंथैटिक आर्गेनिज्म कहा जाता है।

हाल के शोध

- वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिंथेटिक आर्गनिज्म तैयार किया है जिसको जीवित रहने और स्वयं को द्विगुणित करने के लिए सबसे कम जीनों की आवश्यकता है।
- इन नई आर्गेनिज्म में केवल 473 जीन हैं।

व्यावहारिक अनुप्रयोग

- यह धरती पर जीवन के उद्भव के विषय में संकेत प्रदान कर सकता हैं।
- नई दवाओं, जैव रसायनों, जैव ईधनों एवं कृषि के विकास में नवीन शोध के मार्ग को प्रशस्त्र करेगा।
- सिंथैटिक आर्गेनिज्म की रचना एवं निर्माण में माँग के आधार पर विशिष्ट गुण जोड़े जा सकते हैं।

सिंथैटिक बायोलॉजी से जुड़े नैतिक मुद्दे

- सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा एवं पर्यावरणीय संदूषण
- जानलेवा जैविक हथियारों के निर्माण द्वारा संभावित दुरूपयोग

- डिजायनर बेबी के प्रचलन की संभावना
- प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच, लाभ में हिस्सेदारी इत्यादि से संबंधित मुद्दे।

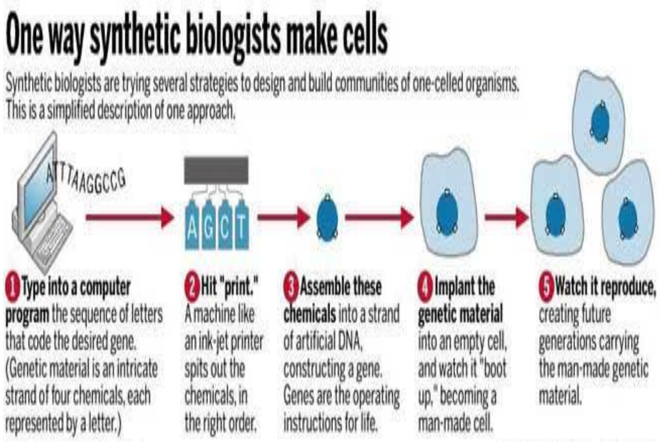

5.6 भारत का विशालतम प्रकाशिक दूरबीन

(India's Largest Optical Telescope)

हाल ही में भारत तथा बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने ब्रसेल्स से उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित भारत के विशालतम प्रकाशिक दूरबीन का शुभारंभ किया।

- यह दूरबीन भारत–बेल्जियम के संयुक्त प्रयास का परिणाम है जिसे रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। इस पर 2007 में ही कार्य आरंभ हुआ था।
- एरीज (ARIES) दूरबीन को बेल्जियम की कंपनी एम ओ एस (रशियन एकेडेमी ऑफ साइंसेज द्वारा सहयोग प्राप्त) के सहयोग से बनाया गया था।
- यह एशिया का विशालतम भूतल आधारित प्रकाशिक दूरबीन है।
- इसमें 3.6 मीटर व्यास वाले दर्पण का इस्तेमाल होता है।
- इसे 2500 मी. तुंगता वाले एक स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से आकाश का स्पष्ट अवलोकन आसान होगा।
- इसका प्रयोग तारों की संरचना एवं उनके चुम्बकीय क्षेत्र की संरचना के अध्ययन के लिए किया जाएगा।

5.7 महासागरीय दशा पूर्वानुमान सेवाएं

(Ocean State Forecast Services)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संस्था–इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनफॉर्मेशन सर्विसेज (INCOIS) को हाल ही में महासागरीय पूर्वानुमान एवं सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया।

महासागरीय दशा पूर्वानुमान सेवा के बारे में–

- यह निम्नलिखित मापनों (पारामीटर) के आधार पर सूचना प्रदान करती है–
    - ऊंचाई, दिशा एवं काल (वायु तरंगो एवं महातरंगों की)
    - समुद्र तल की धाराएँ
    - मिश्रित स्तर गहराई (समुद्र की सुमिश्रित ऊपरी सतह)
    - **समुद्र तल का तापमान**
    - 20 डिग्री समताप रेखा की गहराई (थर्मोक्लाइन की गइराई की माप)
    - खगोलीय ज्वार
    - वायु की गति व दिशा
    - तेल–प्लवन का पथ
- हिन्द महासागर के लिए रियल टाइम डेटा आधारित सटीक पूर्वानुमान उपलब्ध है। इसके अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उत्तरी हिन्द महासागर, दक्षिणी हिन्द महासागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी एवं दक्षिणी चीन सागर के लिए भी पूर्वानुमान उपलब्ध है।
- 'द रिजनल इंडिग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया' के सहयोग से ऐसे पूर्वानुमान सेवाओं को मालदीव, श्रीलंका तथा सेशेल्स जैसे देशों तक भी विस्तारित किया गया है।

उपयोग

- प्रयोक्ता समुद्री दशा के आधार पर उपलब्ध सूचना के संबंध में उपयुक्त निर्णय ले सकते है जिससे जान–माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
- गहरे समुद्र में कार्यरत एवं पारंपरिक मछुवारों की मदद संभव होगी।
- उच्च स्तरीय तेल अन्वेषण में भी मदद मिलेगी।
- पत्तनों पर होने वाली गतिविधियों, जैसे जहाजों का प्रवेश एवं निकास आसान होगा।
- समुद्र के आसपास मनोरंजक पर्यटन (समुद्री वायुयानों सहित) को बढ़ावा मिलेगा।
- खोज व बचाव कार्यों, तेल प्लवन एवं चक्रवातों इत्यादि जैसी आकस्मिक आपदाओं के समय बेहतर प्रबंधन।

5.8 IRNSS अब नाविक

[IRNSS is now NAVIC (Navigation with Indian Constellation)]

नाविक क्यों: हिन्दी में नाविक का अर्थ नाव चलाने वाला या जहाजी होता है।

- IRNSS 1 G के सफल प्रक्षेपण के साथ ही, भारत ने अपने सभी सातों नेविगेशन सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित कर दिया है। भारत के इस पोजिशनिंग सिस्टम को नाविक कहा जाएगा।
- IRNSS 1 G को श्री हरिकोटा से PSLV-C 33 नामक रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया।
- जीवनकाल–12 वर्ष
- जी पी एस से अधिक सटीक
- यह प्रयोक्ताओं को संपूर्ण देश में तथा इस क्षेत्र से 1500 km की दूरी तक अवस्थिति सूचना सेवा उपलब्ध कराएगा।

VISION IAS

- यह दो प्रकार की सेवाएं देगा– मानक अवस्थिति सेवा एवं प्रतिबंधित सेवा

नोटः मार्च की पत्रिका में विस्तृत विवरण उपलब्ध है।

5.9 जीनो–ट्रांसप्लाण्ट्स

(Xenotransplants)

सुर्खियों में क्यों?

- एक सुअर के हृदय को एक बबून के पेट में 2 वर्षों से अधिक समय तक स्वस्थ एवं सक्रिय रखा गया। यह एक विश्व रिकार्ड है जो इस ओर संकेत करता है कि एक प्रजाति से दूसरी प्रणाली में अंग प्रत्यारोपण निकट भविष्य में संभव है।
- वैज्ञानिक कहते हैं कि इस प्रयोग को मानव हृदय पर भी किया जा सकता है क्योंकि सुअर का हृदय मानव हृदय के सर्वाधिक समरूप है।
- जीनो ट्रांसप्लांट उस प्रक्रिया को कहते हैं जब जीवित कोशिकाएँ, उतक या अंग एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में प्रत्यारोपित की जाती है।

जीनो ट्रांसप्लाटेशन के उपयोग

- **अंग प्रत्यारोपण–** बीमार अंगों का प्रतिस्थापन जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय एवं वृक्क।
- **कोशिका प्रत्यारोपणः** मधुमेह, अल्जाइमर एवं पर्किसन जैसे रोगों में क्षतिग्रस्त या विनष्ट कोशिकाओं को बदलना।
- **ऊतक प्रत्यारोपण–** त्वचा, कॉर्निया या हड्डी प्रत्यारोपण
- **ब्रिजिंग प्रत्यारोपण (Bridging Transplants)–** अंग के निष्क्रिय हो जाने पर बाहर से उस अंग की प्रक्रिया के संचालन की व्यवस्था करना।

चुनौतियाँ

- यदि मनुष्यों के लिए यह प्रयोग सफल होता है तो भी प्रत्यारोपित अंग प्राप्त करने वाले मरीज को जीवन भर प्रतिरोधक क्षमता को दबाने वाली दवाइयों पर आश्रित रहना पड़ेगा।
- जानवरों से मनुष्यों में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा।

5.10 क्वाण्टम स्पिन लिक्विड

(Quantum Spin Liquid)

- वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था ''क्वाण्टम स्पिन लिक्विड'' खोजी है जो इलेक्ट्रानों के सूक्ष्मतर कणों में टूटने का कारण है।
- इसकी भविष्यवाणी 40 वर्ष पहले ही हुई थी किन्तु अस्तित्व की पुष्टि अब जाकर हुई है।

क्वाण्टम स्पिन लिक्विड क्या है?

- स्पिन का यह मतलब नहीं कि कोई वस्तु पदार्थ में भौतिक रूप से चक्रण कर ही रही है, बल्कि यह क्वाण्टम यांत्रिकी में अर्न्तनिहित कोणीय संवेग के एक प्रकार को दर्शाता है।
- यहाँ 'लिक्विड' अपने पारंपरिक अर्थ में नही है बल्कि यह उस अवस्था को दर्शाता है जब पदार्थ में इलेक्ट्रानों का क्वाण्टम चक्रण अकस्मात अर्न्तक्रिया करके एक अव्यवस्थित दशा (उदाहरणार्थ क्रिस्टलीकृत बर्फ की अपेक्षा तरल जल की अव्यवस्थित अवस्था) का निर्माण करते हैं।
- इसका इस्तेमाल क्वाण्टम कंप्यूटरों में किया जा सकता है जोकि नियमित कंप्यूटरों से अधिक तीव्र गति के होंगे।

5.11 बीम

BEAM (Bigelow Expandable Activity Module)

- इसे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के कार्गो घटक के साथ ले जाया जाता है। ड्रैगन कैप्सूल को अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था ताकि इसके क्रू सदस्यों को हवायुक्त आवास एवं जरूरी आपूर्ति की जा सके।
- BEAM अन्वेषकों को यह पता लगाने में मदद करेगा कि यह मॉड्यूल सौर विकिरणों, अन्तरिक्ष कचरों, संदूषकों इत्यादि से कहाँ तक सुरक्षा देने में सक्षम है।
- इस प्रकार यह भविष्य के अपेक्षाकृत बड़े एवं विस्तारयोग्य आवासों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

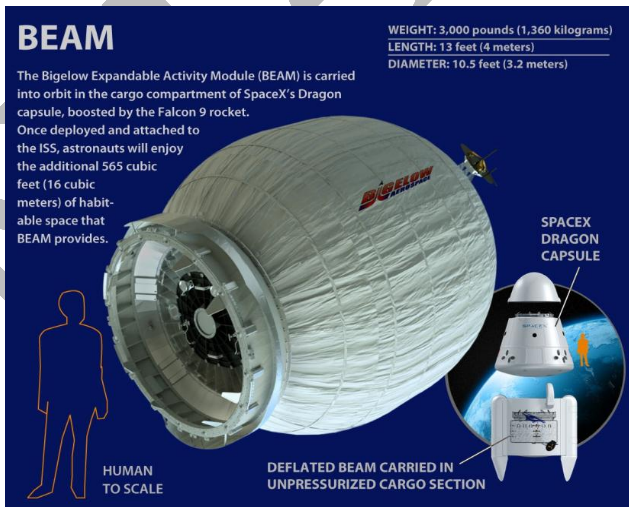

5.12 जलशुद्धिकरण के लिए नई पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी

(New eco-friendly technology for water purification)

- गुवाहाटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (IASST) के वैज्ञानिकों ने जल–मृदुलीकरण हेतु एक पर्यावरण मित्र नैनोटेक्नोलाजी विकसित की है जिसे सार्वजनिक जल शोधक संयत्रों में जल को शुद्ध करके पीने योग्य बनाने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है।

यह कैसे काम करता है?

- वैज्ञानिकों के दल ने चिटासैन (chitosan) (केकड़ों, झींगा मछली सहित शेलफिश के बाहरी सख्त कंकाल से प्राप्त) नामक एक प्राकृतिक तत्व का प्रयोग करते हुए एक जैव बहुलक बनाया है।
- इस बहुलक पर नैनो कण जुड़े हुए हैं।
- इस जैव बहुलक में नैनो कण इस प्रौद्योगिकी के मुख्य क्रियाशील घटक है। ये आयनों के विनिमय द्वारा जल के

VISION IAS

कैल्शियम मैग्नीशियम संघटकों को हटाते हैं। यहीं प्रक्रिया साधारण जल शोधकों द्वारा भी अपनायी की जाती है।

- यह अपने प्रकार का पहला पदार्थ है जो जल को मृदु करने वाले अनुप्रयोगों हेतु एक हरित एवं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है।

5.13 सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन का उपयोग

(Graphene to boost solar energy technology)

- हाल ही के शोध के अनुसार, ग्राफीन के आवरण वाले सौर पैनल वर्षा की बूंदों से भी बिजली पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार यह सौर पैनलों की दक्षता को बढ़ाएगा।
- वर्षा जल लवणीय होने के कारण धनायन व ऋणायन से युक्त होते हैं। इन आयनों का उपयोग बिजली पैदा करने में होता है।
- ग्राफीन के गुण
  - ✓ इस्पात से मजबूत
  - ✓ ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक
- **अनुप्रयोग:** पेण्ट एवं कलई, स्नेहकों, तेलों एवं कार्यात्मक तरलों, संघरित्रों (capacitors) एवं बैटरियों, ऊष्मीय प्रबंधन अनुप्रयोगों, डिस्प्ले संबंधी पदार्थों एवं पैकेजिंग, सौर सेलों, स्याही एवं 3डी प्रिंटर्स सामग्रियों एवं फिल्मों में।
- **संरचना:** कार्बन परमाणुओं का मधुमक्खी के छत्ते के समान संजाल

5.14. पेट्रीफिकेशन

(Petrification)

- पेट्रीफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थ जीवाश्म में रूपान्तरित होता है। यह प्रक्रिया मूल पदार्थ के प्रतिस्थापन तथा मूल छिद्रों में खनिजों के भरने से संपन्न होती है।
- इसे घटित होने में कम से कम 10000 वर्ष लग जाते हैं।

सुर्खियों में क्यों:

हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक 20 मिलियन वर्ष पुराना जीवाश्मी कृत वृक्ष खोजा गया है।

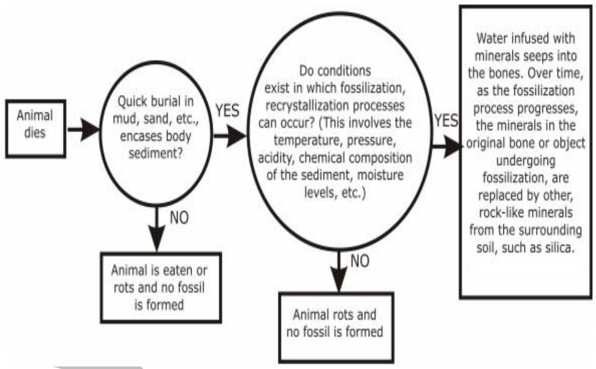

6. आतंरिक सुरक्षा/कानून व्यवस्था

6.1. वृहद् समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली

[Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS)]

तकनीक के माध्यम से पाकिस्तान से सटी हुई हमारी पश्चिमी सीमा की 24X7X365 सतत निगरानी हेतु एक वृहद् समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) को सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है।

CIBMS के उद्देश्य

घुसपैठ, तस्करी और पठानकोट सरीखे आतंकी हमलों से सुरक्षा।

CIBMS-विस्तृत जानकारियाँ

- पाकिस्तान से लगी 2900 किलोमीटर लम्बी सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए यह पाँच स्तरों का विस्तृत कार्यक्रम है। इन पाँच स्तरों में शामिल हैं –

✓ CCTV कैमरे
✓ थर्मल इमेज और नाइट विज़न उपकरण
✓ युद्धक्षेत्र निगरानी राडार
✓ भूमिगत निगरानी संसर
✓ लेजर अवरोधक (laser barriers)

- एकीकृत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि किसी अवैध घुसपैठ की स्थिति में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो दूसरा उपकरण इसकी त्वरित सूचना कंट्रोल रूम तक पहुँचा सके।
- लेजर अवरोधक जम्मू कश्मीर से गुजरात तक फैले उन 130 जलीय और पर्वतीय क्षेत्रों की सुरक्षा करेगा जहाँ अभी तक बाड़ लगाने का कार्य नहीं हो सका है।
- इस उच्च तकनीकी प्रणाली से आगामी दो वर्षों में पूरी सीमा को सुरक्षित किया जा सकेगा।

6.2. आतंकरोधी साइबर–विस्तार

(Anti-Terror cyber-push)

साइबर खतरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक 'राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति' लाने का निर्णय किया है।
नीति का मुख्य फोकस : सांप्रदायिक तनाव सम्बन्धी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर किये जाने वाले मत प्रचार के विरुद्ध कदम उठाना।

नीति के लिए उत्तरदायी कारक :

- **युवाओं में कट्टरपंथी झुकाव:** ऑनलाइन वीडियो और सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से इस्लामिक स्टेट द्वारा प्रसारित कट्टरपंथ से प्रभावित होने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।
- **सांप्रदायिक हिंसा:** सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है।
- तस्वीरों में छेड़–छाड़ करके सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है।
- पिछले दो सालों में 48 भारतीय IS से जुड़ाव के चलते गिरफ्तार किये गए हैं और 25 लोग IS के पक्ष में लड़ने के लिए सीरिया जा चुके हैं।

6.3. सीमा–पार मानव तस्करी : एक संगठित अपराध

(Organized Crime: Trans-National Human Trafficking)

दुनिया में ड्रग्स और हथियारों के अवैध व्यापार के बाद मानव तस्करी तीसरा सर्वाधिक लाभप्रद अवैध व्यापार माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के रूप में घोषित किया है।

'भारत –बांग्लादेश सीमा पार मानव तस्करी

बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की 2200 किमी लम्बी भूमि सीमा और 259 किमी. लम्बी जल सीमा का ज्यादातर हिस्सा बाड़ रहित होने के कारण यह क्षेत्र सीमा–पार मानव तस्करी, ड्रग्स और जाली नोटों (FICN) की अवैध तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित है।

- पश्चिम बंगाल मानव तस्करी के पारगमन बिंदु (ट्रांजिट पॉइंट) के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही यह आंतरिक और सीमा–पार तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भी है।

तस्करी :

- 'संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध रोधी कन्वेंशन ' को सुदृढ़ करने के लिए 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव तस्करी के निरोध, निषेध एवं संलिप्तता पाए जाने पर दण्ड से सम्बंधित मसौदा तैयार किया गया। यह मानव तस्करी को परिभाषित करता है जिसमें यौन शोषण हेतु तस्करी और बंधुआ मजदूरी भी शामिल हैं। भारत ने भी इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। हालाँकि यह इसे परिभाषित नहीं करता है।
- 2013 का आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम (जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370 को प्रतिस्थापित

VISION IAS

कर दिया गया), शोषण के लिए मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। परन्तु यह अधिनियम और 1956 का अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, दोनों ही बंधुआ मजदूरी का उल्लेख नहीं करते हैं।

वर्तमान कानून में खामियाँ :

- वर्तमान कानूनों में सबसे बड़ी खामी यह है कि सीमा–पार तस्करी का शिकार व्यक्ति दो बार शोषण का शिकार होता है, जबकि अपराधी या अवैध व्यापारी (भारतीय या विदेशी) को मामूली सजा ही मिलती है।
- यदि अपराधी और अवैध व्यापारी भारत में पकड़े जाते हैं तो दोनों के ही ऊपर 'अन्यदेशीय व्यक्ति अधिनियम 1946 (Foreigners Act 1946)' के अनुसार मुकदमा चलेगा।

✓ इस अधिनियम के अनुसार यदि अपराधी विदेशी नागरिक है, तो उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सजा दी जानी चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरुप, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति को भारत में अवैध उपस्थिति का दोषी माना जाता है।

✓ जबकि तस्करी का दोषी व्यक्ति, यदि विदेशी है तो, उसे सजा के उपरांत अपने मूल देश निर्वासित कर दिया जाता है; और शिकार हुए व्यक्ति को भारत में किसी 'शेल्टर होम' में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और न्यायालय के आदेशानुसार उसे न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने तक वहीं रहना होता है, चूंकि वह इस मामले में एक गवाह है।

विस्तृत कानून की अनुपस्थिति :

- भारतीय कानून तस्कर और उसके सहयोगियों को लक्षित नहीं करता है या पर्याप्त सजा नहीं देता है।
- कई बार कानून के उपबन्धों के उचित प्रयोग न किये जा सकने से प्रभावित व्यक्ति न्याय से वंचित रह जाता है।

प्रावधानों की समुचित जानकारी न होना :

- तस्कर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366B (जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से कम उम्र की महिला को किसी देश में पहुँचाना या ले जाना दंडनीय अपराध है) के तहत दोषी ठहराया जा सकता है परन्तु पुलिस को सामान्यतः इसकी जानकारी न होने के कारण इसका प्रयोग यदा–कदा ही होता है।

प्रभावित व्यक्ति का पता–ठिकाना सत्यापित करने में होने वाली देरी :

- कभी–कभी इसमें दो से तीन वर्ष लग जाते हैं।
- इस देरी के कारणों में बांग्लादेश सरकार द्वारा पुष्टिकरण में की जाने वाली देरी तथा कई बार प्रभावित व्यक्ति द्वारा शेल्टर होम में अपुष्ट, गलत या अधूरा पता दिया जाना सम्मिलित हैं।

आगे की राह :

- सीमा पार दोनों देशों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों और NGO के मध्य अधिक समन्वयन।
- सीमा पार तस्करी पर BSF द्वारा अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाना और सामुदायिक गतिशीलता।
- कुछ NGO, BSF के सहयोग से सीमा के निकट ट्रांजिट होम संचालित कर सकते हैं ।
- जब तस्कर और प्रभावित व्यक्ति BSF द्वारा गिरफ्तार किये जाएँ, तब प्रभावित व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के बजाये ट्रांजिट होम भेजा जा सकता है, जहाँ वह बांग्लादेश सरकार द्वारा सत्यापन होने तक रहे।
- मानव तस्करी की समस्या को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से सुलझाने की जरूरत है। अक्सर गरीबों को रोजगार के नाम पर इस जाल में फंसाया जाता है।
- तस्करी के शिकार व्यक्तियों, खासतौर पर बच्चों, का उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।
- मानव तस्करी के परिणामस्वरुप यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी, श्रमिकों का अन्य तरीकों से शोषण, जबरदस्ती विवाह और सशस्त्र संघर्षों में बच्चों का शोषण आदि हर तरह की दासता को बढ़ावा मिलता है। अतः आवश्यकता है कि इसे पूरी तरह समाप्त किया जाए।

6.4. भारत ने वैश्विक आतंकी डेटाबेस में शामिल होने से इंकार किया

(India opts not to join global terror database)

- खुफ़िया एजेंसियों की आपत्तियों के कारण भारत सरकार ने अमेरिका समर्थित वैश्विक आतंकी डेटाबेस में शामिल होने से इंकार कर दिया।
- यह प्रस्ताव 2012 में अमेरिका द्वारा लाया गया था परन्तु अब तक अधर में था।
- भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आशंकित हैं कि इसके माध्यम से आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील सूचनाओं तक अमेरिका की निर्बाध पहुँच हो जाएगी।

होमलैंड सिक्यूरिटी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव 6(HSPD 6)

- यह चुनिंदा भारतीय जाँच एजेंसियों और अमेरिका के टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर (TSC) के मध्य आतंकवादियों की छानबीन से जुड़ी सूचनाओं के आदान–प्रदान से सम्बंधित समझौता है।
- TSC के पास लगभग 11000 संदिग्ध आतंकियों की जानकारी है जिसमें आतंकी का नाम, राष्ट्रीयता, जन्मतिथि, तस्वीरें, फिंगरप्रिंट (यदि उपलब्ध हो) और पासपोर्ट नंबर शामिल हैं।
- अमेरिका अब तक 30 देशों के साथ यह समझौता कर चुका है।

6.5. वैश्विक सैन्य व्यय

(World military expenditure)

वर्ष 2015 में सैन्य आवश्यकताओं पर किये गए वैश्विक व्यय के बारे में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नलिखित हैं –

- 2015 में सैन्य आवश्यकताओं पर 51.3 बिलियन डॉलर खर्च कर भारत ने सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाले देशों में छठा स्थान प्राप्त किया है।

VISION IAS

- रिपोर्ट के अनुसार भारत 2015 में भी हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार बनकर उभरा है और रूस ने भारत को सर्वाधिक हथियार बेचे हैं। 2001–13 में भारत द्वारा आयातित हथियारों के 75 प्रतिशत हिस्से की आपूर्ति रूस द्वारा की गयी थी।
- 2015 में वैश्विक सैन्य व्यय में 1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।
- इस वर्ष भी विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देशों में अमेरिका अव्वल रहा। उसके बाद चीन, सऊदी अरब, रूस और यूनाइटेड किंगडम का स्थान रहा।

6.6. भारत का पहला समुद्री शिखर सम्मेलन

(India's First Maritime Summit)

भारत समुद्री शिखर सम्मेलन 2016 (मैरीटाइम इंडिया समिट – MIS 2016) भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय की एक अभिनव पहल है।

उद्देश्य :

संभावित निवेशकों को समुद्री क्षेत्रक की असीम संभावनाओं की ओर आकर्षित करना।

प्रमुख बिंदु :

- इसमें 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
- दक्षिण कोरिया इस सम्मलेन में सहयोगी राष्ट्र था।
- भारत और दक्षिण कोरिया ने बंदरगाह क्षेत्र में सहयोग और आपसी सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए।
- केंद्र सरकार ने शिखर सम्मेलन में सागरमाला परियोजना के लिए एक भावी राष्ट्रीय योजना जारी की। इसमें वर्ष 2025 तक भारत का निर्यात 110 अरब डॉलर तक बढ़ाने, तथा 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 60 लाख लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को ध्यान में रखा गया है।
- शिखर सम्मलेन के दौरान 140 परियोजनाओं में 13 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जाहिर की गयी।

सम्मेलन का महत्व :

- ऐसा अनुमान है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए 1.14 लाख करोड़ और बंदरगाह से संलग्न विकास कार्यों के लिए 3 लाख करोड़ रुपयों के निवेश अवसर उपलब्ध हैं।
- सरकार ने समुद्री क्षेत्र में निवेशकों की सुविधा के लिए उठाए गए अपने प्रमुख कदम भी रेखांकित किये हैं। जैसे –

✓ बंदरगाहों में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की स्वीकृति।

✓ अंतर्देशीय बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और कार्यरत बंदरगाहों के विकास और देखरेख में संलग्न उद्यमों के लिए 10 वर्षों तक 'कर अवकाश' बढ़ा दिया गया है।

✓ महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना, बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। इसमें 150 से अधिक परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी, जैसे –

  - मौजूदा बंदरगाहों का आधुनिकीकरण
  - 5–6 नए बंदरगाहों का निर्माण
  - भारी ढुलाई वाले रेल गलियारों से बंदरगाहों को जोड़ना
  - अंतर्देशीय जलमार्ग
  - भाड़ा अनुकूल एक्सप्रेस वे
  - तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक समूह

समुद्री क्षेत्रक का महत्व

- **आर्थिक आयाम**

✓ भारत की तटीय सीमा लगभग 7500 किमी लम्बी है।

✓ भारत का समुद्री आयात–निर्यात व्यापार 4.5 प्रतिशत की दर से वर्ष दर वर्ष (5 वर्षीय संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर) बढ़ रहा है और भारत के कुल आयात–निर्यात व्यापार के 95 प्रतिशत हिस्से के लिए उत्तरदायी है।

✓ लम्बी तटीय सीमा रेखा वाले देशों के आधारभूत आर्थिक ढांचे के विकास के लिए सुदृढ़ समुद्री क्षेत्रक का विकास अति आवश्यक है।

✓ समुद्री क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था में गुणन प्रभाव उत्पन्न करने के साथ–साथ देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

✓ सुदृढ़ जहाजरानी क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ इसके द्वारा लागत में होने वाली बचत है। जहाँ रेलवे से मालभाड़ा ढुलाई लागत 1.5 रुपये प्रति टन प्रति किमी और सड़क मार्ग से 2.5 रुपये प्रति टन प्रति किमी है, वहीं जलमार्ग से यह महज 0.15 से 0.20 रुपये प्रति टन प्रति किमी के खर्च में हो जाती है।

सामरिक आयाम

- भारतीय नौसेना ने खुले समुद्र (high sea) में समुद्री डकैती रोकने में अहम भूमिका निभाई है और यह क्षमता निर्माण, संयुक्त अभ्यास और बढ़ते बहुपक्षीय आदान–प्रदान के साथ व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में "शुद्ध सुरक्षा प्रदाता"के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रही है।
- हिन्द महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत ने हिन्द महासागरीय देशों से मजबूत रिश्ते बनाए हैं।
- भारत पड़ोसी म्यांमार और बांग्लादेश में जलमार्ग और बंदरगाह अवसंरचना के विकास में सहयोग कर रहा है।

निष्कर्ष :–

- भारत की विकास गाथा में सामुद्रिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
- भारत ने पिछले काफी समय से अपने समुद्र–तट द्वारा प्राकृतिक रूप से प्रदान की जाने वाली आर्थिक संभावनाओं के दोहन के लिए आवश्यक आधारभूत ढ़ांचे को धीमी गति से और तदर्थ (अस्थायी) रूप में ही विकसित किया है।
- व्यावहारिक नीति, राजकोषीय प्रोत्साहन और आधारभूत संरचना की त्रिआयामी नीति से भारत के तटीय जहाजरानी क्षेत्र का विकास और संवृद्धि सुनिश्चित होगी।
- समुद्री क्षेत्र के विकास में अब दो बिंदुओं पर जोर दिया जा रहा है – ऊर्जा एवं व्यापार मार्गों की सुरक्षा द्वारा

VISION IAS

आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करना और अन्य देशों द्वारा उत्पन्न परोक्ष खतरों की निगरानी करना।

6.7 नोमेडिक एलीफैंट –2016

(Nomadic Elephant- 2016)

- 11वाँ भारत–मंगोलिया संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास नोमेडिक एलीफैंट.2016 मंगोलिया में संपन्न हुआ।
- 2004 से प्रतिवर्ष होने वाले इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत उग्रवाद और आतंकवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों में दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच तालमेल और पारस्परिकता विकसित करना है।

6.8. शत्रुजीत सैन्याभ्यास

(Exercise Shatrujeet)

मथुरा स्थित 'स्ट्राइक 1 कार्प्स' ने राजस्थान के मरुस्थल में वृहद् सैन्य अभ्यास 'शत्रुजीत' संपन्न किया।

उद्देश्य :

एकीकृत वायु–भूमि संघर्ष के वातावरण में शत्रु के क्षेत्र में घुसकर हमला करने में सेना की क्षमता का मूल्यांकन करना।

- इस ऑपरेशन–अभिविन्यस्त अभ्यास (operation-oriented exercise) का फोकस "एकीकृत युद्ध–क्षेत्रीय अवधारणा की पुष्टि (Validating Integrated battle theatre fighting concept)" पर है जिसके लिए नई प्रौद्योगिकियों, हथियारों और प्रणालियों के साथ–साथ लम्बी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाले (वाहकों) को शामिल किया गया है।
- यह अभ्यास नाभिकीय–जैविक–रासायनिक युद्ध की परिस्थितियों में सभी सैन्य बलों के मध्य सहयोग और सहज समन्वय के लक्ष्य को हासिल करने पर बल देता है।

6.9. लक्षद्वीप पर नौसैनिक टुकड़ी तैनात

(Naval detachment set up at Lakshadweep)

प्रमुख नौपरिवहन गलियारों की बेहतर निगरानी के लिए नौसेना ने लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप पर एक नयी नौसैनिक टुकड़ी तैनात की है।

- लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों का अरब सागर में अत्यधिक सामरिक महत्व है। इनके निकट से ही कई नौपरिवहन गलियारे गुजरते हैं।
- एंड्रोथ द्वीप पर सैन्य टुकड़ी की उपस्थिति से नौसेना की पहुँच और निगरानी क्षमता तो बढ़ेगी ही साथ ही इससे सामुद्रिक सुरक्षा और स्थिरता भी बढ़ सकेगी।
- इसके साथ कावारत्ती, मिनिकॉय, अगत्ती और एंड्रोथ द्वीपों पर स्थित नौसेना इकाईयों पर बहुत सी आधारभूत सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

VISION IAS

7. पारिस्थितिकी और पर्यावरण

7.1 सूखा रोकथाम और प्रबंधन

(Drought Prevention and Management)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- राज्यों में विकट जल संकट की पृष्ठभूमि में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि ऐसी परिस्थिति को केंद्र सरकार 'अनदेखा ना करे'।
- एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया है कि ऐसे सभी राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करे।
- केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया गया है कि वह अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक मनरेगा के अंतर्गत रोके गए धन को जारी करे।

वास्तविक स्थिति

- देश एल नीनो से उसकी सामान्य अवधि से अधिक समय तक प्रभावित रहा है जिसने वर्षा और सम्पूर्ण उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- खाद्य वस्तुओं की कम हो रही कीमतों ने समस्या को और गंभीर बना दिया है जिसने किसानों की आय को कम कर दिया है।
- हालांकि सरकार का प्रयास अभी तक राहत उपायों में धीमा रहा है:
  - ✓ मनरेगा के अंतर्गत सरकार पर 2014–15 में 12000 करोड़ रु. की बकाया देनदारी लंबित है।
  - ✓ मनरेगा के अंतर्गत पहली किस्त जारी नहीं की गयी है।
  - ✓ मनरेगा के अंतर्गत सरकार के द्वारा भुगतान की जाने वाली मजदूरी सांविधिक न्यूनतम मजदूरी से कम है।
  - ✓ खाद्य सुरक्षा कानून अभी भी सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया है।

सूखा रोकथाम उपाय

- सिंचाई में निवेश बढ़ाया जाये, विशेष रूप से सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों जैसे कि ड्रिप सिंचाई इत्यादि में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से इसमें मदद मिलेगी।
- फसल प्रतिरूप में सुधार। जैसे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर सूखे का एक कारण गन्ना की खेती है जो कि अत्यधिक जल गहन फसल है। कृषि–जलवायविक फसल प्रतिरूप को न्यूनतम समर्थन मूल्य सहयोग व्यवस्था की तरह प्रोत्साहित करना चाहिए।
- इसके अलावा जल गहन फसल जैसे कि गन्ना को सूखारोधी फसलों से प्रतिस्थापित करना चाहिए और मराठवाडा जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में दलहन जैसी फसलों की खेती की जानी चाहिए।
- जल के अपव्यय को कम करने के लिए बिजली और सिंचाई सब्सिडी को निश्चित रूप से तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।
- वर्षा जल संचयन तकनीक आदि के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- जल विभाजक प्रबंधन हेतु मनरेगा का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।
- सूखा रोधी फसल किस्मों का उपयोग।

सूखा प्रबंधन

- **प्रभावी सूखा प्रबंधन के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं–**
  - ✓ सूखे की तीव्रता का आंकलन और निगरानी; शीघ्र पूर्वानुमान की आवश्यकता जिससे बोये जाने वाली फसलों के लिए विभिन्न विकल्प पहले से हीं उपलब्ध हो, बोये जाने वाले क्षेत्र का नियोजन और जल संसाधन का समुचित आवंटन किया जाना।
  - ✓ सूखा प्रबंधन के लिए सूखे की घोषणा और प्राथमिकता का निर्धारण, तथा
  - ✓ सूखा प्रबंधन रणनीति का विकास और कार्यान्वयन।
- कृषि के सन्दर्भ में भी कई हस्तक्षेपों की आवश्यकता है:
  - ✓ मानसून की देरी की स्थिति में आकस्मिक योजना
  - ✓ बीजों के तत्काल वितरण की उपलब्धता सुनिश्चित करना
  - ✓ किसानों में कृषि पद्धतियों जैसे कि फसल चक्र, पलवार, खरपतवार नियंत्रण, अंतर सांस्कृतिक परिचालनों के प्रति जागरूकता फैलाना।
  - ✓ वनीकरण को प्रोत्साहन
  - ✓ गुणवत्तायुक्त चारा की उपलब्धता व मवेशी शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करना
- सूखे की स्थिति में भुखमरी की रोकथाम के लिए स्थायी आय समर्थन उपायों को बढ़ाने के साधन अपनाये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मनरेगा के तहत रोजगार का विस्तार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विशेष खाद्य रसद की व्यवस्था और स्कूलों में उन्नत भोजन की व्यवस्था करना।
- सूखा प्रबंधन नियमावली, 2009 के कार्यान्वयन में केंद्र का राज्यों के साथ समन्वय।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सूखे से निपटने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय आपदा नीति का अविलम्ब कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

- सूखे के लिए न केवल वर्षा बल्कि जल संसाधन के अकुशल प्रबंधन अधिक जिम्मेदार है।
- उदाहरण के लिए, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन।

संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2014

प्रश्नः सूखे को उसके स्थानिक विस्तार, कालिक अवधि, मन्द प्रारंभ और कमजोर वर्गों पर स्थायी प्रभावों की दृष्टि से आपदा के रूप में मान्यता दी गयी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सितम्बर 2010 के मार्गदर्शी सिद्धांत पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारत में एल नीनो और ला नीना के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयारी की कार्यविधियों पर चर्चा कीजिये।

VISION IAS

7.2 ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल विरंजन

(Coral Bleaching on Great Barrier Reef)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आस्ट्रेलिया का विश्व विरासत स्थल ग्रेट बैरियर रीफ अब तक के दर्ज इतिहास में सर्वाधिक 93 प्रतिशत प्रवाल विरंजन से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है।

प्रवाल विरंजन के बारे में

- विरंजन तब होता है जब असामान्य पर्यावरणीय परिस्थितियाँ यथा सागर के तापमान में वृद्धि, के कारण कोरल प्रकाश संश्लेषण करने वाले सूक्ष्म शैवाल को निष्कासित कर देते हैं।
- जब प्रवाल विरंजित होता है, तो यह मरता नहीं है। प्रवाल, विरंजन की घटना के बाद भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन दबाव और मरणासन्न स्थिति में रहते हैं।
- यदि जल का तापमान कम हो जाता है तो प्रवाल पुनः स्वस्थ हो सकते हैं एवं शैवाल से संयुक्त होकर पुनः घरौंदा बनाने में सक्षम हो जाते हैं।

प्रवाल के लिए अन्य खतरे

- कृषि अवशेष के बहाव से सुपोषण, अवसादों का बहाव, खनन और तेल रिसाव के कारण होने वाले प्रदूषण से।
- क्राऊन ऑफ थॉर्न स्टारफिश द्वारा प्रवाल पॉलिप का शिकार
- कीस्टोन प्रजातियों के अपोषणीय और अतिमत्स्यन से प्रवाल भित्तियों की महत्वपूर्ण खाद्य श्रृंखला बाधित हो सकती है।
- नौवहन दुर्घटनाएँ

ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में

- यह दुनिया की सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है जो 2900 से अधिक व्यक्तिगत भित्तियों से बना है।
- ग्रेट बैरियर रीफ को बाह्य अंतरिक्ष से देखा जा सकता है और यह जीवित जीवों द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है।

संघ लोक सेवा आयोग 2007

प्रश्नः विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पायी जाती है?

(a) ऑस्ट्रेलिया
(b) क्यूबा
(c) घाना
(d) फिलीपींस

7.3 ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचः NSSO सर्वेक्षण

(Open Defecation in Rural Areas: NSSO Survey)

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा हाल ही में जारी किये गए स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट (Swachhta Status Report) के अनुसार, देश की आधे से अधिक ग्रामीण आबादी अभी भी खुले में शौच करती है।
- सर्वेक्षण का आंकलन है कि शहरी क्षेत्रों के 7.5 प्रतिशत के मुकाबले ग्रामीण भारत के 52.1 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं। केवल 45.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास स्वच्छ शौचालय है जबकि शहरी क्षेत्रों में इसका अनुपात 88.8 प्रतिशत है।
- 55 प्रतिशत गावों में स्वच्छता का कार्य या तो पंचायतों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा अथवा अनुबंध भुगतान के द्वारा किया गया। 17 प्रतिशत गावों में स्वच्छता का कार्य निवासियों द्वारा स्वयं किया गया जबकि 22.6 प्रतिशत गावों में सफाई हुई ही नहीं।
- इसकी तुलना में, शहरो में 73 प्रतिशत स्वच्छता का कार्य स्थानीय नगर निकायों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया। अन्य दोनों पहलू क्रमशः12 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत हैं।

विश्लेषण

- एक उत्साहवर्धक अवलोकन यह भी सामने आया है कि शौचालय की सुविधा वाले परिवार इसे उपयोग में ला रहे हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रोत्साहित सस्ता जैव–शौचालय जिसका दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, ग्रामीण भारत में इसे प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, क्योंकि इसमें नियमित रूप से गड्ढा खाली करने की आवश्यकता होती है और यह कार्य सामाजिक बहिष्करण से जुड़ा है।
- भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा के प्रयासों में स्थानीय सामुदायिक सशक्तिकरण सबसे शक्तिशाली उपकरण है।

7.4 पवित्र वनों की सुरक्षा

(Protecting Sacred Groves)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में, केरल के राज्य औषधीय पादप बोर्ड ने एक परियोजना आरंभ की है, जिसमें बायो–फेंसिंग, पौध बहुलता की सूची तैयार कर, जलीय निकायों की सफाई और संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से इन वनों की सुरक्षा की जाएगी।

VISION IAS

पवित्र वन क्या हैं ?

विभिन्न आकार के वनीय पेड़ जो समुदायों द्वारा संरक्षित हैं और सामान्यतः इन समुदायों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं।

पवित्र वनों का महत्व

- **परंपरागत उपयोग**

✓ यह आयुर्वेदिक गुणों वाले औषधीय उपयोग के पौधों का भंडार गृह है।
✓ फल और शहद जैसे पुनर्भरणीय संसाधनों का स्रोत
✓ ये वन अक्सर तालाबों और नदियों के साथ संबद्ध रहते हैं। वे समुदायों के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करने और जल संभरों के पुनर्भरण में मदद करते हैं।
✓ शिकार और पेड़ों की कटाई वर्जित है। वनस्पति आवरण से मिट्टी का कटाव रोकने में मदद मिलती है।

- **आधुनिक उपयोग**

✓ आधुनिक समय में, वे आस पास के इलाकों में बढ़ते आवास क्षति के कारण जैव विविधता हॉटस्पॉट बन गए हैं।
✓ वे एक समृद्ध जीन पूल के रूप में काम करते हैं जिसमे दुर्लभ, संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियां रहती हैं।
✓ शहरी परिदृश्य में पवित्र वन शहर के लिए 'फेफड़ों' के रूप में कार्य करते हैं।

चुनौतियाँः

- नगरीकरण और अतिक्रमण
- संसाधनों का अति दोहन जैसे अतिचारण और जलावन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रहण
- धार्मिक प्रथाएँ; उन्हें धार्मिक स्थलों और मंदिरों के निर्माण के लिए साफ करना
- बाह्य प्रजातियों का आक्रमण

संरक्षण के उपाय:

- वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 'समुदाय रिजर्व' नामक एक नई संरक्षित क्षेत्र श्रेणी शुरू की गयी है। पवित्र वनों को इसके तहत इसमें डाला गया है।
- इसके अंतर्गत स्थानीय समुदायों को प्रशासन के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गयी है।
- इसकी सुरक्षा के लिए कई गैर सरकारी संगठन स्थानीय लोगों के साथ काम कर रहे हैं।

7.5 राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना

(National Hydrology Project)

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3679 करोड़ रूपये की राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना को मंजूरी दी गयी है ।
- इसका लक्ष्य पूरे भारत से जल–मौसम विज्ञान संबंधी आकड़ों का संग्रह करना और इसे कुशल जल प्रबंधन के लिए उपयोग करना है।

विशेषताएं:

- इसमें समय पर और विश्वसनीय जल संसाधन आकड़ों की प्राप्ति, भंडारण, उसकी तुलना और प्रबंधन का एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- यह राज्य तथा केन्द्रीय संगठनों के लिए सूचना तंत्र तथा अत्याधुनिक तकनीकों जैसे कि सुदूर संवेदन को अपनाकर जल संसाधन प्रबंधन में क्षमता निर्माण कर सहयोग करेगा।
- गाँव के स्तर तक जल के 'कुशल और न्यायसंगत' उपयोग को प्रोत्साहित करेगा विशेष रूप से भूमिगत जल के संदर्भ में, और साथ ही जल की गुणवत्ता की भी सूचना प्रदान करेगा।
- यह जल–मौसम विज्ञान संबंधी आकड़ों को संग्रहित करेगा जिसका भण्डारण और विश्लेषण वास्तविक समय के आधार पर किया जाएगा और जिसे बिना किसी बाधा के राज्य, जिला या गांव के स्तर पर किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- पूर्व की जलविज्ञान परियोजना से भिन्न, जो केवल 13 राज्यों को समाहित करता था, यह सम्पूर्ण देश को समाहित करता है।
- अनुदान प्रतिरूप – 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण से, जबकि शेष बजटीय समर्थन द्वारा दिया जाएगा।

महत्व :

- देश में जल की उपलब्धता के बारे में जनता को बेहतर जानकारी उपलब्ध होगी। इससे फसल प्रतिरूप जैसी गतिविधियों में विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।
- बाढ़ के पूर्वानुमान में कम से कम एक से तीन दिन की वृद्धि।
- आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों के उपयोग के लिए बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्रण।
- मौसमी उपज पूर्वानुमान और सूखा प्रबंधन के माध्यम से जलाशय संचालनों में सुधार।
- संसाधनों के नियोजन और आवंटन के लिए नदी बेसिन में सतही और भूमिगत जल संसाधनों का बेहतर मूल्यांकन।

7.6. केंद्रीय सूचना आयोग ने GM सरसों के जैव सुरक्षा आकड़ों को मंत्रालय से सार्वजनिक करने के लिए कहा

(CIC Asks Ministry to Make GM Mustard Bio Safety Data Public)

- केंद्रीय सूचना आयोग ने पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति

VISION IAS

(GEAC), से कहा है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित GM सरसों के बैद्धिक संपदा स्वामित्व वाले आकड़ों को छोड़कर सुरक्षा से सम्बद्ध आकड़ों को सार्वजनिक करे।

- इसने कहा है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- पारदर्शिता पैनल ने भी निर्देश दिया है कि अन्य सभी GM फसलों से संबंधित आकड़े को भी यह पब्लिक डोमेन में रखे; जैसा कि इन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा IV के तहत स्वैच्छिक रूप से जारी करना होता है।
- कार्यकर्ता समूहों का यह मानना है कि GM सरसों के संबंध में उक्त आदेश अन्य GM खाद्य फसलों (जैसेः– टमाटर, चावल, बैंगन आदि) के संदर्भ में भी ऐसे आंकड़े प्राप्त करने हेतु यह एक सकारात्मक कदम होगा। वर्तमान में GM कपास एकमात्र ऐसी ट्रांसजेनिक फसल है जिसका खेतों में व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल होता है।

आकड़ें जारी करने के विरुद्ध मंत्रालय के तर्क

- मंत्रालय ने यह कहकर आपत्ति व्यक्त की है कि थर्ड पार्टी (द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनीपुलेशन ऑफ़ क्रॉप्स) के वाणिज्यिक गोपनीयता से संबंधित RTI क्लॉज़ के तहत इसे छूट प्राप्त है।
- इसने यह भी दावा किया है कि परीक्षण अभी अपरिपक्व है, अतः जानकारी नहीं दी जा सकती है।

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल

- जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल (CPB), सुरक्षित हस्तांतरण, प्रचालन, परिवहन और लिविंग मॉडिफाइड ओर्गनिज्म (LMOs) के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय नियामक ढांचा है जो जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के तत्वावधान में तय किया गया था।
- यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से व्युत्पन्न LMOs की सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन तथा उपयोग को सुनिश्चित करना है, जिसका जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही इसमें मानव स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को भी ध्यान में रखा गया है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन एक सांविधिक निकाय है।
- यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों और पर्यावरण में इसके उत्पाद के साथ प्रयोगात्मक क्षेत्र परीक्षण से संबंधित प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए शीर्ष निकाय है। (Biosafety Research Level trial&I and II known as BRL-I and BRL-II)
- यह शोध और औद्योगिक उत्पादन के लिए खतरनाक सूक्ष्म जीवों के बड़े पैमाने पर उपयोग और पुनर्योगज गतिविधियों के अनुमोदन के लिए भी जिम्मेदार है।
- GM फसलों के लिए दो स्तरीय विनियामक ढांचा विद्यमान है– जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनीपुलेशन (RCGM) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC)।
- RCGM (जिसमें प्रौद्योगिकी से परिचित कुशल वैज्ञानिक सम्मिलित होते हैं) के अनुमोदन के बाद ही GEAC परीक्षण प्रस्ताव पर विचार करता है।

7.7 परागणकारियों की संख्या में गिरावट व संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट

(Declining Pollinators: UN Report)

पृष्ठभूमिः

- संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वन्य मधुमक्खियों की कई प्रजातियाँ, तितलियाँ और अन्य कीड़े जो पौधे का परागण करती हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- यह रिपोर्ट इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफ़ॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) द्वारा एक साथ लाये गए वैज्ञानिकों के एक पैनल द्वारा किये गए अध्ययन पर आधारित है।
- अकशेरुकी परागणकारी जैसे मधुमक्खियों और तितलियों की पाँच में से दो प्रजतियां विलुप्त होने की ओर अग्रसर हैं।

परागणकारी का महत्वः

- परागणकारी वृद्धि कर रहे फलों, सब्जियों और नकदी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, हालांकि अनाज फसलों के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।
- 250 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का खाद्य उत्पादन परागणकारियों पर निर्भर करता है, विशेष रूप से कॉफी, फल जैसे उद्योगों में।

गिरावट का कारणः

- कृषि की बदलती प्रकृति के साथ–साथ परागणकारियों के भोजन के लिए उपयोगी वन्य फूल और इनकी विविधता में कमी,
- कीटनाशक का प्रयोग,
- शहरों में आवास का संकट,
- रोग, परजीवी और रोगजनक,
- वैश्विक तापन आदि।

परागण एक प्रक्रिया है जसमे परागकण, बीज वाले पौधे के मादा प्रजनन अंग में स्थानांतरित किये जाते हैं, जिसके फ़लस्वरूप ये निषेचन एवं प्रजनन में सक्षम होते है। यह भोजन आपूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।

VISION IAS

समाधानः

- IPBES रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गयी है –
- ✓ कीटनाशकों के उपयोग हेतु कड़े विनियमन, जैविक खेती को बढ़ावा देना
- ✓ वन्य परागणकारी के लिए आवासों की पुनर्स्थापना और सुरक्षा; उदाहरण के लिए फसली खेतों में जंगली फूलों की पट्टी का विकास, शहरों में पश्च बगीचे में पौधे लगाना
- ✓ बेहतर भूमि प्रबंधन, इसे 'स्मार्ट सिटी मिशन' में शामिल किया जा सकता है
- ✓ जंगली परागणकारी की निगरानी द्वारा परागण विज्ञान में सुधार, शोध एवं विकास में निवेश
- भारत ने अपने देश के पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतर निगरानी के लिए इंडियन लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जरवेशन (I–LTEO) के रूप में एक नेटवर्क की स्थापना हेतु एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

IPBES के बारे में:

- 2012 में सृजित IPBES सदस्य देशों के नीति निर्माताओं के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है।
- इसका सचिवालय जर्मनी में है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रशासित है।

यू.पी.एस.सी. 2012

प्रश्नः जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए:
1. चमगादड़
2. मधुमक्खी
3. पक्षी

उपर्युक्त में से कौन–सा/से परागणकारी है/हैं?
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

7.8. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नए नियम

(New Rules for Management of Construction and Demolition Waste)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य ऐसे अपशिष्टों हेतु पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग (रिकवर, रिसायकल एंड रियूज) की प्रक्रिया का निर्माण करना है।

आवश्यकताः

- भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण निर्माण गतिविधियाँ है।
- भारत में प्रतिवर्ष 530 मिलियन टन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
- वर्तमान में इसे मौजूदा नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत प्रबंधित किया जा रहा है जोकि अपर्याप्त है। इस प्रकार यह ठीक ढंग से प्रबंधित नहीं किया जा रहा है।

उल्लेखनीय बिंदुः

- स्थानीय प्राधिकारियों पर जिम्मेदारी
  - संपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन योजना को स्थानीय प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद ही निर्माण और विध्वंस की अनुमति प्रदान की जानी है।
  - अवैध रूप से अपशिष्ट निपटान करने वालों पर अंकुश लगाना
- बड़े पैमाने पर अपशिष्ट सृजन करने वालों पर उत्तरदायित्वः इन्हें संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, और निपटान के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित उचित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- पुर्नप्रयोग/पुनः उपयोग पर बलः
  - स्थानीय प्राधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के 10–20 प्रतिशत का उपयोग नगर निगम और सरकारी ठेके में करे, जैसे– नालियों को ढकने में।

चुनौतियाँः

- मुख्य चुनौती नियमों के उचित कार्यान्वयन की है।
- उपबंधों को लागू करने से पहले ठेकेदारों और अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- उपयुक्त वित्तीय और मानव संसाधन, दोनों स्थानीय प्राधिकारियों को आवंटित किये जाने चाहिए।
- इसके लिए क्षमता निर्माण और पुनर्चक्रण अवसंरचना को बढ़ाने की भी आवश्यकता होगी।

7.9. अनुल्लंघनीय वन नीति

(The Inviolate Forest Policy)

वन क्षेत्र विशाल खनिज सम्पदा के साथ पारिस्थितिकी और जैव विविधता के स्रोत होते हैं। विकास की आवश्यकता का दबाव और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता वनों के संबंध में एक द्वन्द्व को प्रस्तुत करते हैं।

अनुल्लंघनीय वन नीतिः

- यह खनन जैसी गतिविधियों के लिए कुछ क्षेत्रों को निषिद्ध घोषित करने का प्रयास करता है।
- इसे मूल रूप से 'गो–नो–गो' (go-no-go) क्षेत्र नीति कहा जाता था।
- इसे पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के कार्यकाल में 2009 में पहली बार लाया गया।
- यह एक वन समर्थित नीति है जिसमे अधिकतर कोयला ब्लॉकों को खनन की अनुमति से बाहर रखा गया था।
- यह वन घनत्व, वन प्रकार, जैव विविधता समृद्धि आदि जैसे विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर वनों का वर्गीकरण करता है।

VISION IAS

- हालांकि समय और दबाव के साथ इसे आसान बनाया गया है। यह लगातार कई पुनरीक्षणों से गुजरने के कारण अधिक आसान हो गया इसमें खनन के लिए कई कोयला ब्लॉकों को अनुमति दी गयी है।
- नीति को 2014 में चौथी बार संशोधित किया गया और तब से इसे जारी नहीं किया गया।
- नवम्बर 2014 में, टी. एस. आर. सुब्रमण्यम के अधीन गठित विशेषज्ञ समिति ने आगे और सुधार की सिफारिश की।

मुद्दे:

- भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य जिसमें कुल क्षेत्र का 33 प्रतिशत वन क्षेत्र के अंतर्गत लाने और 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण बढाकर 2.5–3 अरब टन CO_2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक विकसित करने की योजना है।
- वर्त्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16 प्रतिशत वन है (दिसम्बर: 2015)। भारत की विकास आवश्यकताओं के कारण जंगलों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता जा रहा है।
- इस प्रकार सरकार से यह उम्मीद है कि वह एक स्पष्ट और वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित नीति को जारी करे, जो वन क्षेत्र को खनन और इस तरह की गतिविधियों की सीमा से बाहर रखे। साथ हीं इस क्षेत्र के हितधारकों को निश्चितता की स्थिति प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें वनों को काटने और खनन के लिए अनुमति प्रदान की गयी है।
- हालांकि अधर में लटकी इस अनुल्लंघनीय वन नीति में इसका अभाव है।

UPSC MAINS 2013

- प्रश्न: अवैध खनन के क्या परिणाम होते हैं? कोयला खनन के क्षेत्र के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाँ या नहीं (GO AND NO GO) की अवधारणा की विवेचना कीजिए।

7.10 कार्बन प्रच्छादन

(Carbon Sequestration)

- कार्बन प्रच्छादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के संचय को कम करने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाई ऑक्साइड (CO_2) को दीर्घावधि भंडारण के लिए अभिग्राहित (capture) कर लिया जाता है।
- समय के साथ कार्बन प्रच्छादन के लिए कई कृत्रिम विधियों को विकसित किया गया है तथापि वनारोपण प्रच्छादन के लिए प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है।

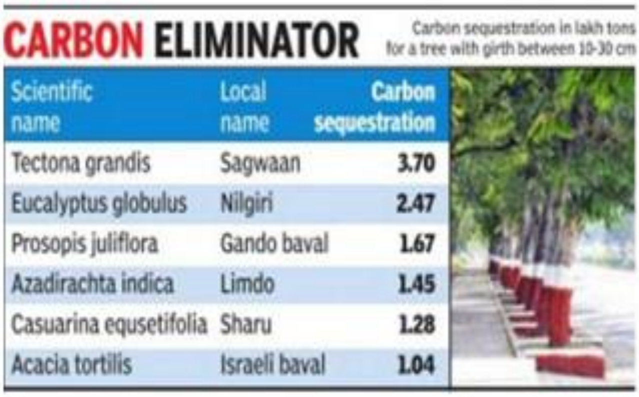

CARBON ELIMINATOR

Carbon sequestration in lakh tons for a tree with girth between 10-30 cm

Scientific name	Local name	Carbon sequestration
Tectona grandis	Sagwaan	3.70
Eucalyptus globulus	Nilgiri	2.47
Prosopis juliflora	Gando baval	1.67
Azadirachta indica	Limdo	1.45
Casuarina equsetifolia	Sharu	1.28
Acacia tortilis	Israeli baval	1.04

- गुजरात पारिस्थितिक शिक्षा एवं शोध संस्थान ने एक अध्ययन में कार्बन प्रच्छादन के लिए भारत में स्थानीय वृक्षों की अपनी क्षमता के अनुसार एक पदानुक्रम तैयार किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार सागवान (टीक) में कार्बन प्रच्छादन की उच्चतम क्षमता है। एक सामान्य सागवान वृक्ष अपने जीवन काल में वायुमंडल से 3.70 लाख टन CO_2 अवशोषित कर सकता है। इसके पश्चात नीलगिरी, विलायती बबूल (Gando baval), नीम आदि है।

महत्व:

- इससे विभिन्न वृक्षों में विद्यमान कार्बन प्रच्छादन की क्षमता की गणना करने में शोधकर्ता एवं वन अधिकारियों को मदद मिलेगी।
- यह वृक्षारोपण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में निर्णयन को सुगम बनाएगा। उदाहरण के लिए उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले स्थानों पर उच्च कार्बन प्रच्छादन वाले वृक्ष लगाये जा सकते हैं।

UPSC 2012

प्रश्न: निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिये:

1. समोच्च बांध (Contour bunding)
2. अनुपद सस्यन (Relay cropping)
3. शून्य जुताई (Zero tillage)

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में, उपर्युक्त में से कौन–सा/से मृदा में कार्बन प्रच्छादन/संग्रहण में सहायक है/हैं ?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 1, 2, और 3
(d) इनमे से कोई नहीं

7.11. भारत में स्वच्छ ऊर्जा

(Clean Energy in India)

पृष्ठभूमि:

- भारत को 2022 तक 175 GW अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 200 अरब डॉलर (13 लाख करोड़ रुपया) की आवश्यकता होगी।

VISION IAS

- अक्षय ऊर्जा में निवेश वर्ष 2014 में 8 अरब डॉलर से बढ़कर 2015 में 10.9 अरब डॉलर हो गया है। हालांकि यह अभी भी आवश्यक राशि से काफी कम है।

वित्त पोषण से संबंधित मुद्दे:

- वर्तमान प्रणाली ज्यादातर विभिन्न वित्तीय संस्थानों (राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय आदि) के द्वारा प्रदत्त ऋण पर आधारित है।
- हालांकि उच्च एवं परिवर्तनीय ब्याज दरों और लघु अवधि के ऋण (विशेष रूप से भारतीय वाणिज्यिक बैंकों से) के कारण किसी अक्षय ऊर्जा परियोजना की लागत अमेरिका में ऐसी हीं परियोजना की लागत की तुलना में लगभग 25–30 प्रतिशत अधिक हो जाती है।
- ज्यादातर निवेश लार्ज–स्केल अथवा ग्रिड–स्केल परियोजनाओं पर केन्द्रित होते हैं। छोटी परियोजनाओं; जैसेकि– ऑफ ग्रिड, छत के ऊपर पैनल, विकेंद्रीकृत परियोजनाएँ आदि, की इस प्रक्रिया में अनदेखी की गयी है।
- सौर ऊर्जा को अति वरीयता दिए जाने के कारण अन्य नवाचारी यद्यपि जोखिम भरे मॉडलों जैसेकि– लघु जल–विद्युत, बायोमास से ऊर्जा आदि परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है।
- मुख्य फोकस अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत पर है। अन्य अनुप्रयोगों जैसे कि हीटिंग, कूलिंग और उत्पादन सम्बन्धी तथा यांत्रिक शक्ति पर कम ध्यान दिया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त अन्य सामान्य मुद्दे भी हैं; जैसे कि– राजस्व प्रवाह में अनिश्चितता, परियोजनाओं में देरी, प्रौद्योगिकी और परियोजना दक्षता चिंताएं आदि।

उठाए गए कदम:

- भारत सरकार ने अवसंरचना ऋण निधि, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष, अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र उधारी (PSL) के अंतर्गत शामिल करना आदि जैसे कई कदम उठाए हैं।
- हालांकि भारत के वृहद् लक्ष्य को देखते हुए इस संबंध में नये नवाचारी वित्तीय परियोजना की आवश्यकता है।
- उदहारण के लिए, सरकार सौर ऊर्जा के लिए 1 अरब डॉलर के इक्विटी फंड के गठन का विचार कर रही है और साथ हीं विश्व बैंक जैसी अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की क्षमताओं का दोहन भी करना चाहती है।

आगे की राह:

- सौर ऊर्जा क्षेत्रक में सोलर पार्क आवंटन आदि के सन्दर्भ में राज्य सरकारों की ओर से नयी नीतियों और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यह संभावित निवेशकों में अधिक विश्वास उत्पन्न करेगा।
- वित्तीय संस्थाओं को हरित वित्त के लिए नवाचारी वित्तीय उत्पादों के साथ अवश्य हीं आगे आना होगा। जैसे– हरित बांड, Yieldcos, dollar denominated PPA आदि।
- छत के ऊपर सौर पैनल जैसी छोटी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- ग्रामीण और शहरी परियोजनाओं के बीच संतुलन की आवश्यकता है। बेहतर व्यावसायिक अवसरों के कारण आगे अधिक निजी निवेश प्राप्त करने की संभावना है।
- विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। वर्त्तमान में विश्व बैंक 5 प्रतिशत ऋण अक्षय ऊर्जा के लिए जारी करता है। भारत की मांग है कि इसे बढाकर कम से कम 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

UPSC 2012

प्रश्न: निम्नलिखित पर विचार कीजिए :
1. काली गर्दन वाली सारस
2. चीता
3. उड़न गिलहरी (कन्दली)
4. हिम तेंदुआ

उपर्युक्त में से कौन–से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3, और 4

7.12. NGT द्वारा तवांग जल विद्युत परियोजना पर रोक

(NGT Halts Tawang Hydro Power Project)

- तवांग जिले के 6400 करोड़ रूपये की लागत वाली एक मौजूदा (चालू) जल विद्युत् परियोजना पर NGT द्वारा रोक लगा दी गयी है, क्योंकि इस परियोजना से ब्लैक नेक्ड सारस पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- NGT के अनुसार परियोजना के एनवायरनमेंटल क्लिअरेंस में इस पक्षी पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया दिया गया।
- संभवतः यह पहली बार हुआ है कि किसी जीव को होने वाले खतरे ने एनवायरनमेंटल क्लिअरेंस में केन्द्रीय भूमिका अदा की है।

ब्लैक नेक्ड सारस (Black-necked crane):

- यह एक प्रवासी पक्षी है जो सबसे अधिक चीन में पाया जाता है।
- इसे भूटान और भारत में क़ानूनी संरक्षण प्राप्त है और बौद्ध परंपरा में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है।

VISION IAS

- IUCN Status:– सुभेद्य (Vulnerable) ; बर्डलाइफ इंटरनेशनल :– संकटपूर्ण (Threatened)
- इसे भारत के वन्य जीव अधिनियम की सूची –1 में शामिल किया गया है।
- इसे स्थानीय नाम Dhung Dhung Karma से जाना जाता है। यह विश्व के 15 ज्ञात सारस प्रजातियों में से एकमात्र सारस है जो उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में पाया जाता है।

7.13. पेरिस समझौताः मुद्दे

(Paris Agreement: Issues)

विकसित और विकासशील देशों के बीच टकरावः

- 'पारदर्शिता' के मुद्दे पर विकसित देश चाहते हैं कि INDCs के तहत किये गये जलवायु कार्यों की तुलना के लिए एक 'साझी और एकीकृत' (कॉमन एंड यूनिफाइड) व्यवस्था हो। जबकि विकासशील देश चाहते हैं कि पारदर्शिता प्रावधानों में CBDR-RC सिद्धांत प्रतिबिंबित हो।
- 5 वर्षों में INDCs के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए 'Stocktale' प्रावधान, जिसके संबंध में यद्यपि विकसित देश न्यूनीकरण पहलू को विशिष्ट बनाये रखना चाह रहे हैं और सभी को इसके लिए उत्तरदायी बनाना चाहते हैं, परन्तु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रावधान के लिए वे ऐसा नहीं चाह रहे हैं।
- 'ऐतिहासिक जिम्मेदारी' के सिद्धांत को अब नजरअंदाज कर दिया गया है तथा अब केवल वर्तमान उत्सर्जन को हीं न्यूनीकरण रणनीति हेतु आधार बनाया गया है। इसलिए अब यदि चीन भारत से अधिक कोयले का उपयोग करता है तब भी उसे नजरंदाज कर दिया जाएगा, क्योकि पूर्व में इसके अति उत्सर्जन (CO_2) के वावजूद इसमें क्रमिक गिरावट आई है। यह समता पूर्ण नहीं है।
- वित्त, प्रौद्योगिकी और IPR (बौद्धिक सम्पदा अधिकार) के मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है।
- विशेषज्ञों कि राय है कि तापमान को 2°C तक कम करने का लक्ष्य अति आशावादी और अव्यावहारिक है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च लागत और भारत की विकास आवश्यकताओं को देखते हुए भारत के INDC के तहत 100 GW सौर ऊर्जा और 60 GW पवन ऊर्जा के उत्पादन के बारे में भी ठीक ऐसी हीं बात कही जा रही है।

7.14. इनडोर वायु प्रदूषण

(Indoor Air Pollution)

आवश्यकताः

- घर के अन्दर और इसके चारों ओर वायु की गुणवत्ता विभिन्न गैसों (जैसे– CO_2, CO, रेडोन, वोलेटाइल आर्गेनिक कंपाउंड्स), कणिकीय पदार्थों, माइक्रोबियल संदूषित पदार्थों या स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकने वाले कोई भी अन्य ऐसे पदार्थों से गंभीर रूप से संदूषित होती हैं।

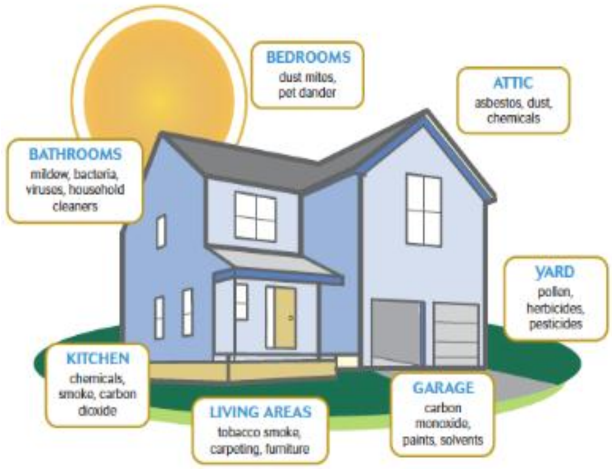

- हाल के वर्षों में इनडोर वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्यायों में वृद्धि हुई है, इस प्रकार के लक्षण को सिक बिल्डिंग सिंड्रोम (SBS) कहा जाता है।
- संदूषित पदार्थों को कम करने के लिए स्रोत नियंत्रण, निस्पंदन और वेंटिलेशन का उपयोग आदि विधियाँ अधिकांश भवनों में इनडोर वायु की गुणवत्ता सुधारने के प्राथमिक तरीके हैं।
- इस संदर्भ में एक सबसे बड़ी समस्या है– प्रभावशाली वायु गुणवत्ता मापन प्रणाली का अभाव।
- बहुत से हानिकारक रासायनिक गैसों में ppb (parts per billion) की सांद्रता अत्यंत कम होती है तथा निवर्तमान पर्यावरणीय सेंसर प्रौद्योगिकियों के द्वारा इनका पता लगाना अत्यन्त कठिन होता है और ये केवल ppm (parts per million) सांद्रता का पता लगा सकती हैं।

हाल में हुए विकासः

- वैज्ञानिकों ने घरों के वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए ग्राफीन–आधारित सेंसर और स्विच का विकास किया है।
- यह सेंसर पूरी संरचना में विद्युत् प्रवाह उत्पन्न कर प्रत्येक CO_2 अणुओं का पता लगाकर निलंबित ग्रैफीन द्वारा एक के बाद एक का अवशोषण कर कार्य करता है।

इससे ppm से ppb स्तर तक ऐसे पदार्थों का पता लगाने की सीमा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, यह विद्युत की खपत भी बहुत कम करता है।

VISION IAS

8. कला और संस्कृति

8.1 कनियन कूथु

(Kaniyan Koothu)

- कनियन कूथु तमिलनाडु में मंदिर त्योहारों के अवसर पर प्रदर्शित की जाने वाली एक पारंपरिक कला है जिसमे केवल पुरुष भाग लेते हैं।
- कनियन कूथु नाम वस्तुतः इसके कलाकारों के समुदाय कनियन से लिया गया है। कनियन एक अनुसूचित जनजाति है।

नृत्य

- सामान्यतः नृत्य मंडली में छः सदस्य होते हैं।
- वाद्य यंत्रः मगुदम या फ्रेम ड्रम मुख्य वाद्य यंत्र है। इसमें वृत्ताकार फ्रेम पर नए चमड़े को इमली के बीज से बने गोंद से चिपकाकर स्थायित्व दिया जाता है।
- मुख्य गायक अन्नावी (annavi) कहलाता है जो मंडली का नेतृत्व भी करता है।

परंपरा

- यह कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व भी है।
- नृत्य मंडली कभी भी विवाह, अंतिम संस्कार या घरों में होने वाले समारोहों में इस नृत्य का प्रदर्शन नहीं करती है।
- इसके कलाकार कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। गायक अपने पिता को सुनकर ही गीत और कहानियां सीख लेते हैं।
- कनियन कूथु में पौराणिक कहानियां जैसे मार्कंडेय और हरिश्चंद्र पुराण और स्थानीय देवताओं के अतिरिक्त रामायण तथा महाभारत की कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है।

इतिहास

- कनियन कूथु कम से कम 300 साल पुरानी कला है एवं 17 वीं शताब्दी से इसके संकेत मिलते हैं।
- इस कला का सर्वाधिक स्पष्ट सन्दर्भ मुक्कूदारपल्लू (नायक कालीन तमिल कविता) में है।
- किन्तु इस कला का वर्तमान स्वरूप वस्तुतः स्टेज परफॉर्मेंस (मंच प्रदर्शन) के स्वरूप है। तमिल नाटक से प्रभावित कला का यह मंचीय स्वरुप संभवतः 80 वर्ष पूर्व विकसित हुआ।

कनियन जनजाति

- कनियन तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में रहने वाला एक आदिवासी समुदाय है।
- इनकी आबादी 750 से कम है और वर्तमान में केवल लगभग 200 लोग ही इस कला का प्रदर्शन करते हैं।
- सामान्यतः ये समुदाय अशिक्षित और गरीब हैं।

8.2 चेरामन जुमा मस्जिद

(Cheraman Juma Masjid)

- केरल के त्रिशुर जिले में अवस्थित चुरामन जुमा मस्जिद भारत में अरब व्यापारियों द्वारा 629 ईसवी में निर्मित प्रथम मस्जिद है।
- यह भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से सक्रिय व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है।
- मस्जिद में एक प्राचीन दीपक है जो सदैव प्रज्वलित रहता है। सभी धर्मो के अनुयायी इस दीप के लिए चढ़ावे के रूप में तेल लाते हैं।
- संख्या में निरंतर बढ़ते हुए आगंतुकों के समायोजन हेतु मस्जिद का कई बार निर्माण किया गया।

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुलाज़िज़ अल सउद (Salman bin Abdulaziz Al Saud) को चुरामन जुमा मस्जिद का एक प्रतिरूप भेट किया।

- यह मान्यता है कि चेर राजा चेरामन पेरुमल के समकालीन मलिक बिन दीनार द्वारा यह मस्जिद निर्मित की गई थी, जो अरब गया था तथा मक्का में पैगम्बर मोहम्मद से मुलाकात के बाद ईस्लाम ग्रहण कर लिया था।

VISION IAS

8.3 रणजीत सिंह की मूर्ति

(Ranjit Singh's Statue)

- महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति उनकी सेना के जनरल Jean-Francois Allard, के जन्म स्थान फ्रांस के सेंट–ट्रोपेज़ टाउन (Saint-Tropez town) में, इस वर्ष सितम्बर माह में स्थापित की जाएगी।
- जनरल Jean-Francois Allard के साथ जनरल Ventura (Italian) ने भी महाराजा रणजीत सिंह की सेना में काम किया था। दोनों ने अपने रणनीतिक अनुभव से एवं फ़ौज –ए–ख़ास नामक एक विशेष 'शाही दस्ता' (royal brigade) बनाकर सेना के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।
- इस कदम से पंजाब– फ्रांस संबंधों में नए युग का विकास होगा और साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

महाराजा रणजीत सिंह

- वे सिख साम्राज्य के संस्थापक थे तथा भारतीय उपमहाद्वीप में 19 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में सत्ता में आये थे।
- सिक्ख साम्राज्य पंजाब प्रदेश में 1799 से 1849 के बीच अस्तित्व में रहा।
- इनकी मृत्यु के उपरांत ही अंग्रेजों ने सम्पूर्ण भारत पर अधिकार किया।

8.4 फुलकारी

(Phulkari)

- इस कला का प्रमाण 15वीं शताब्दी से मिलता है।
- यह शिल्प का एक रूप है जिसमें शॉल और दुपट्टे पर सरल और बिखरी हुई डिजाइन में कढाई की जाती है।
- जहां डिजाइन पर बहुत बारीक काम किया गया हो और पूरे वस्त्र पर कढाई की गयी हो, वहां इसे बाग (बाग–फूलों का बगीचा) कहा जाता है।
- इसमें प्रयुक्त सिल्क के धागे को पट (pat) कहा जाता है।
- फुलकारी और बाग दोनों ही परिधान विवाह, त्योहारों और अन्य खुशी के अवसरों पर सम्पूर्ण पंजाब में महिलाओं द्वारा धारण किये जाते हैं।
- **किस्में:** पंजाब में विभिन्न प्रकार के फुलकारी और बाग बनाये जाते हैं।
- चोप: यह शादी के पहले एक समारोह में दुल्हन को उसकी दादी माँ द्वारा दिया जाता है। इसमें सीधी और दो तरफ़ा रेखीय सिलाई की जाती है जिससे यह दूसरी ओर भी समान दिखाई देता है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

इससे जुड़े लोगों की भावनाओं की सराहना एवं प्रोत्साहन हेतु दिल्ली में Concept 1469 और कला इतिहासकार अलका पांडे ने साथ मिलकर 'Mela Phulkari: Threads of Punjab' के तीसरे संस्करण का आयोजन किया।

- वारी–दा–बाग/Vari-da-bagh (दुल्हन का साज समान) में भी लाल कपड़े पर सुनहरे रंग से कढाई की जाती है जो सुख एवं समृद्धि का प्रतीक है।
- बावन बाग (fifty-two in Punjabi) में कई ज्यामितीय पैटर्न होते हैं।
- दर्शन द्वार (देवता दर्शन के लिए द्वार) मंदिरों में प्रस्तुति के लिए ही बनाया जाता है । गुरुग्रन्थ साहिब को घर लाते समय इससे घर की दीवारों को सजाया जाता है।
- इसके अलावा विभिन्न दैनिक उपयोग की वस्तुओं और हमारे चारों ओर के जीव–जंतु और वनस्पतियों को भी स्थान दिया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्यमुखी का फूल, मोर, तोता आदि की आकृतियाँ।

8.5 फिल्मों के प्रमाणन हेतु श्याम बेनेगल समिति

(Shyam Benegal Committee on film certification)

पृष्ठभूमि :

- फिल्म प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) हेतु मानदंड नियत करने के लिए श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति को फिल्म प्रमाणन के लिए विश्व के विभिन्न भागों में प्रयुक्त पद्धतियों का अध्ययन करने और ऐसे मानदंडों का निर्धारण करने जो कलात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति को भी पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करें, संबंधी जिम्मेदारीयां दी गई थीं।

समिति की सिफारिशें निम्नांकित क्षेत्रों से सम्बंधित हैं –

- फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया और इसका सरलीकरण
- केंद्रीय और क्षेत्रीय सेंसर एडवाइजरी पैनलों के कर्मचारी–कार्यस्वरूपों (स्टाफिंग पैटर्न) का पुनर्गठन
- टेलीविज़न पर प्रसारित होने के लिए फिल्मों का पुनर्प्रमाणन तथा भारतीय सिनेमा की विशिष्ट पहचान के संरक्षण हेतु उपाय करना
- द सिनेमेटोग्राफ एक्ट (1952) तथा सिनेमेटोग्राफ रुल्स; जिसके तहत CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) कार्य करता है। •

VISION IAS

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफिकेशन

- सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफिकेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जो फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर नियंत्रण रखता है।
- भारत में फ़िल्में CBFC से प्रमाणन के बाद ही सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जा सकती हैं।
- इस समिति में एक अध्यक्ष और कुछ गैर–अधिकारिक सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- प्रमाणन की प्रक्रिया में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, सिनेमेटोग्राफ(सर्टिफिकेशन) रूल्स 1983 और धारा 5(B) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है।
- वर्त्तमान में फ़िल्में चार समूहों में प्रमाणित की जाती हैं–
- "U"– अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन
- "UA"– अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन– 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अभिभावक की सहमति से ही देखने की अनुमति के निर्देश के साथ
- "A"– केवल वयस्कों तक सीमित
- "S"– किसी खास वर्ग के लोगों तक सीमित

समिति के सुझाव

- CBFC को सिर्फ एक फिल्म प्रमाणन निकाय ही होना चाहिए जिसका कार्य फिल्मों को दर्शकों की उम्र और परिपक्वता के आधार पर वर्गीकृत करने तक सीमित हो।
- फिल्मों के वर्गीकरण के लिए समिति ने सुझाव दिया है कि वर्गीकरण की श्रेणियाँ अधिक स्पष्ट की जाएँ। U श्रेणी के बाद, UA श्रेणी को दो अन्य उपवर्गों –UA12+ और UA15+ में, और A श्रेणी को दो उपवर्गों A तथा AC (Adult With Caution) में विभाजित कर दिया जाए।
- बोर्ड (अध्यक्ष सहित), केवल CBFC के लिए एक मार्गदर्शक तंत्र की भूमिका निभाए। फिल्मों के प्रमाणन के दैनिक मामलों में यह हस्तक्षेप न करे।
- बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या 10 (नौ सदस्य और एक अध्यक्ष) से अधिक ना हो।

8.6 सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016

The Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 2016

विधेयक के बारे में:

- यह विधेयक सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 को संशोधित करेगा।
- इस विधेयक में 1944 में सहजधारी सिखों को पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत संघटित होने वाली समितियों एवं बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु चुनाव में वोट करने के लिए दी गयी छूट को समाप्त करने का प्रावधान है।

सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925

- यह अधिनियम चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में स्थित सिख गुरुद्वारों के प्रशासन को नियमित करता है।
- इसके तहत गुरुद्वारों के सामान्य प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) और प्रत्येक गुरूद्वारे के प्रबंधन हेतु समितियों का गठन किया गया।

SGPC और प्रबंधन समितियों हेतु चुनाव

- अधिनियम में प्रावधान है कि 21 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक सिख जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है, SGPC और प्रबंधन समितियों के चुनाव में मतदान करने का अधिकारी होगा।
- हालाँकि कोई भी व्यक्ति जो दाढ़ी या बाल हटवाता या छोटे करवाता है, इन चुनावों में मतदान का अधिकारी नहीं होगा।
- परन्तु यह अधिनियम दाढ़ी या बाल कटवाने वाले सहजधारी सिखों को मतदान की अनुमति प्रदान करता है। सहजधारी वह हैं जो पंचककारों (सिख धर्म के पांच प्रमुख चिह्न) को धारण नहीं करते परन्तु सिख धर्म को मानते हैं।
- परन्तु संशोधित विधेयक इस अपवाद को हटाकर सहजधारी सिखों को भी (यदि वे दाढ़ी/बाल हटवाते हैं) मतदान से वंचित करने का प्रावधान करता है।

सहजधारी सिख

- सहजधारी वह हैं जो सिख धर्म को मानते तो हैं परन्तु वे अमृतधारी नहीं हैं अर्थात उन्होंने दीक्षा नहीं ली है।
- ये गुरु गोविन्द सिंह द्वारा निर्देशित खालसा पंथ की प्रतिज्ञाओं को नहीं अपनाते हैं।
- ये हिन्दू, सिख या अन्य परिवारों में जन्मे हो सकते हैं परन्तु ये गुरु ग्रन्थ साहब को मानते हैं।
- अधिनियम के अंतर्गत, सहजधारी सिख वो हैं जो –
- सिख परम्पराओं के अनुसार समारोह का आयोजन करते हैं
- तम्बाकू या हलाल मांस का सेवन नहीं करते
- किसी धार्मिक अपराध के कारण धर्म से वहिष्कृत नहीं किए गए हैं।
- मूल मंत्र (सिख प्रार्थना) पढ़ सकते हैं।

VISION IAS

8.7 कलमकारी कला

(Kalamkari art)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में फ्रांस में आयोजित एक प्रदर्शनी के दौरान रामायण तथा अन्य चुनिंदा विषयों पर आधारित अनन्य कलमकारी कला की काफी प्रशंसा की गई।

कलमकारी चित्रकलाः

- इस शब्द की उत्पत्ति फ़ारसी शब्द कलम तथा कारी (शिल्प कौशल) से हुई जिसका आशय 'कलम से चित्रकारी करना' है।
- इन चित्रों को कपड़ों पर उकेरा जाता है।ये चित्र कपड़ों पर हाथ से बनाए जाते हैं तथा कपड़ों पर वेजिटेबल डाई (वनस्पति रंग) का प्रयोग कर ब्लॉक प्रिंटिंग भी की जाती है।
- कपड़ों पर वानस्पतिक रंगों का उपयोग वाली यह चित्रकला पद्धति भारत के कई भागों में प्रचलित है लेकिन कलमकारी कला का विकास मुख्यतः कलाहस्ती और मसुलीपटनम में हुआ।
- वस्तुतः 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों के संरक्षण में विकसित इस कला के अंतर्गत मंदिरों के आतंरिक भागों को चित्रित कपड़ों के पट्टिकाओं (panels) से सजाया जाता था।
- ये चित्र अत्यधिक टिकाऊ, आकार में नम्य और विभिन्न विषयों के अनुसार बनाये जाते हैं।
- इसके विषय मुख्यतः रामायण, महाभारत और हिन्दू पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं।
- इनमें कपड़ों पर चित्रकारी की प्रक्रिया में कोई रासायनिक उत्पाद प्रयुक्त नहीं होता और इनके धोने से नदियों में प्रवाहित होने वाले रंग भी जल को प्रदूषित नहीं करते।

दो विशिष्ट शैलियाँ

- भारत में कलमकारी कला की दो विशिष्ट शैलियाँ प्रचलित हैं। प्रथम, श्रीकलाहस्ती शैली और द्वितीय मसुलीपटनम शैली। दोनों शैली की निर्माण प्रक्रियाओं में अंतर पाया जाता है।
- कलमकारी की मसुलीपटनम शैली फ़ारसी कला से प्रभावित है। इसमें सामान्यतः पेड़–पौधे,पत्तियाँ,फूल आदि, को ठप्पों द्वारा मुद्रित (ब्लाक प्रिंटिंग) किया जाता है।
- श्रीकलाहस्ती शैली का विकास अधिकतर मंदिरों में हिन्दू शासकों के संरक्षण में हुआ। इस प्रकार यह मुख्यतः धार्मिक पहचान रखती है। इस शैली में कलम के प्रयोग से मुक्तहस्त चित्र (फ्रीहैण्ड ड्राइंग) बनाया जाता है और हाथ से उसमें रंग भरा जाता है।

8.8 कर्नाटक में बौद्ध शिलालेख पाया गया

(Buddhist inscription found)

- 12वीं सदी का एक शिलालेख कर्नाटक के गडग जिले में पाया गया है।
- यह कर्नाटक में बौद्ध धर्म के इतिहास पर प्रकाश डालता है।
- इस शिलालेख की अवधि होयसल राजा वीरबल्लाल द्वितीय (1173–1220 ई.) के शासनकाल में निर्दिष्ट की जा सकती है।
- शिलालेख में 'भगवान बुद्ध, 'धम्म', 'संघ' और तारा भगवती को नमस्कार' का उल्लेख है। इसका निचला हिस्सा टूट गया है।
- इस बात की संभावना है कि उक्त शिलालेख में लक्कुंडी स्थित एक बौद्ध मठ को अनुदान का विवरण है।
- यह उन चुने हुए शिलालेखों में से एक है जिसमें बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के 'तारा भगवती पंथ' को विशेष रूप से संदर्भित किया गया है जो इस क्षेत्र में 12 वीं सदी तक लोकप्रिय था।
- इस शिलालेख की खोज से राज्य के इस हिस्से में बौद्ध धर्म के अस्तित्व और लोकप्रियता की जानकारी मिलती है।
- केरल में अवस्थित कोडनगल्लूर को सबसे पुराने भगवती तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र मूल रूप से एक बौद्ध तीर्थ स्थल था।

VISION IAS

तारा भगवती

- तारा भगवती एक बौद्ध देवी हैं।
- बौद्ध धर्म में देवी तारा को, देवी काली के समान माना गया है।
- भगवती पंथ की शुरुआत संभवतः बौद्ध धर्म के अंतर्गत तांत्रिक वज्रयान अभ्यास के एक भाग के रूप में हुई।
- दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के पतन और उस दौरान प्रचलित मातृसत्तात्मक प्रथा के प्रभाव के कारण यह धीरे–धीरे प्रतिष्ठित हुआ और तदनुपरांत शक्ति और आत्मा की पूजा करने वाले हिंदू पंथ में समाहित कर लिया गया।

8.9. प्राचीन ताम्र–पत्र पर उत्कीर्ण विषयवस्तु की व्याख्या

(Decoding of text on an ancient Copper Plate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दक्षिण एशिया की पांडुलिपियों और दुर्लभ ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह–स्थल भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (BORI), के शोधकर्ताओं ने एक ताम्र–पत्र की व्याख्या की है।

ताम्र–पत्र से प्राप्त निष्कर्ष

- चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों सम्राट हर्षवर्धन के पराजित होने का काल 618 ईस्वी निर्धारित की गयी है।
- पहले यह माना जाता था कि यह लड़ाई 612 ईसवी से 634 ईसवी के बीच किसी समय हुई थी। लेकिन अब, यह निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि यह लड़ाई 618–619 ईसवी को सर्दियों में हुई थी।
- ताम्रपत्र 610–611 ईसवी में पुलकेशिन द्वितीय के राज्याभिषेक का विवरण निर्णित करने में भी उपयोगी है।
- इस ताम्रपत्र के अगले भाग में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ब्राह्मण–वताविय (आधुनिक समय में औरंगाबाद का पैठण तालुका) नामक एक ग्राम के नागाशार्मा नाम के एक वैदिक विद्वान को 50 'निवर्तन (भूमि–मापन की एक इकाई) के अनुदान का विवरण है।

हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध

- यह युद्ध नर्मदा तट पर हुआ था।
- चालुक्य राजधानी बादामी के राजा पुलकेशिन ने हर्ष के विजय अभियान को चुनौती दी।
- हर्ष दक्षिण में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के अस्तित्व को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था, वह एक बड़ी सेना के साथ कन्नौज से निकल पड़ा।
- वस्तुतः पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के दर्रों की सुरक्षा इतने कुशल तरीके से की गई थी कि हर्ष नदी को सीमा बिंदु के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश हो गया और अत्यधिक संख्या में अपने हाथियों को खोने के बाद युद्ध के मैदान से वापस लौट गया।

8.10. कामागाटामारू प्रकरण

(Komagata Maru Incident)

सुर्ख़ियों में क्यों?

18 मई को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो कामागाटामारू प्रकरण के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में माफ़ी मांगेगे।

घटनाः

- लगभग एक सदी पहले 23 मई, 1914 को, कामगाटामारू नामक एक मालवाहक जहाज कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रान्त के बुर्राई इनलेट (Burrard Inlet) पर अवस्थित वैंकूवर हार्बर के लिए रवाना हुआ।
- यह पोत गुरदीत सिंह नामक एक सिंगापुर के व्यवसायी द्वारा किराये पर लिया गया था।
- इस पर पंजाब के 376 यात्री सवार थे, जो हांगकांग में जहाज के प्रस्थान के समय अलग–अलग जत्थों में यहाँ आये थे।
- जहाज को कलकत्ता लौटने के लिए मजबूर किया गया और जब यह कलकत्ता पहुंचा तो अंग्रेजों द्वारा 19 यात्रियों की हत्या कर दी गई और कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया।
- कनाडा के "लगातार यात्रा विनियमन" (continuous journey regulation) के अंतर्गत यह प्रावधान था कि वैसे आप्रवासी, जो अपने मूल देश से लगातार यात्रा करके अर्थात सीधे कनाडा नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- कनाडाई कानूनों में स्पष्ट रूप से भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं था, तथापि उक्त विनियमन के माध्यम से भारतीयों का उत्प्रवास लगभग असंभव बना दिया गया था क्योंकि सुदूर स्थित कनाडा के लिए भारत से कोई सीधा मार्ग नहीं था। (कोमगाटामारू हांगकांग से आया था।)

8.11. सहपीडिया

(Sahapedia)

- यह एक ओपेन ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से भारत और दक्षिण एशिया में ऐसी सांस्कृतिक उपलब्धियों को पहचान और मान्यता प्रदान की जाएगी जो अब तक लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं रही है।
- 'सह' का तात्पर्य है साथ–साथ; जबकि 'पीडिया' शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है– सांस्कृतिक शिक्षा।

VISION IAS

- विकिपीडिया के अनुरूप डिज़ाइन की गयी यह मुफ्त साइट सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से लोगों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

वेबसाइट कुल 10 कोटियों में विभाजित है :

- ज्ञान परंपरा
- मूर्त और दृश्य कला
- प्रदर्शन कलाएं
- प्राकृतिक पर्यावरण
- सांस्कृतिक स्मारक
- सांस्कृतिक संस्था
- व्यक्तित्व
- प्रथाएं एवं परम्पराएं
- साहित्य एवं भाषाएँ
- इतिहास

- विकिपीडिया (जहाँ किसी भी व्यक्ति को अपना योगदान देने की स्वीकृति होती है) के विपरीत सह्पीडिया पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आलेख अथवा दिए गए सूचना की जांच उस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। ऐसे आलेख/सूचना के सत्यापन व संशोधन के पश्चात् उसे प्रकाशित किया जायेगा।
- रामलीला, कपडे की अजरक छपाई कला जैसे सांस्कृतिक विषयों पर सह्पीडिया अन्य संगठनों के साथ गठबंधन के माध्यम से विशिष्ट कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

8.12. कोहिनूर हीरा

(Kohinoor Diamond)

- क्या सरकार कोहिनूर हीरा को वापस लाने का इरादा रखती है अथवा नहीं; इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक याचिका की सुनवाई की जा रही है।
- सरकार के द्वारा पहले सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गयी थी कि कोहिनूर हीरा पंजाब के शासक द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 'उपहार' के रूप में दिया गया था । लेकिन बाद में सरकार के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि "यह सौहार्द्रपूर्ण ढंग से कोहिनूर हीरा वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के अपने संकल्प को दोहराती है"।

- सांस्कृतिक संपदा के अवैध आयात, निर्यात तथा स्वामित्व के हस्तांतरण के निषेध और रोकथाम के साधनों पर अभिसमय – 1970
  120 देशों के द्वारा अनुसमर्थित इस अभिसमय का फ्रेमवर्क वस्तुतः राष्ट्रों को पुरातात्विक और नृजातीय सामग्रियों के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने में सहयोग प्रदान करता है।

कोहिनूर की पुनः प्राप्ति

- 1970 में यूनेस्को द्वारा अपनाये गये सांस्कृतिक संपदा के अवैध आयात, निर्यात तथा स्वामित्व के हस्तांतरण के निषेध और रोकथाम के साधनों पर अभिसमय के आधार पर भारत कोहिनूर पर अपने अधिकार का दावा कर सकता है।
- हालांकि, यूनेस्को द्वारा अपनाये गए इस अभिसमय के मसौदे में यह स्पष्ट नहीं है कि किसी सांस्कृतिक सम्पदा का अतीत में किया गया हस्तांतरण भी इसकी परिधि में आता है अथवा नही।
- भारतीय पुरातन वस्तु एवं कलात्मक सम्पदा अधिनियम, 1972 में पुरातन वस्तुओं की तस्करी और धोखाधड़ी पूर्ण व्यापार के रोकथाम का प्रावधान है और साथ ही पुरातन वस्तु और कलात्मक सम्पदा के संरक्षण हेतु आवश्यक अधिग्रहण का प्रावधान भी है।

8.13 पुरातन वस्तुओं (पुरावशेष) के प्रति उदासीनता

(Apathy Towards Antiquities)

पुरातन वस्तुओं से संबद्ध मुद्दे

- विद्यमान और चोरी की गयी कलाकृतियों के लिए एकीकृत डेटाबेस मौजूद नहीं है।
- चोरी की गयी कलात्मक वस्तुओं के संबंध में पर्याप्त सूचना जुटाना एक दुष्कर कार्य है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2010 में संसद में चोरी गयी पुरातन वस्तुओं की कुल

VISION IAS

संख्या के विषय में पूछे जाने पर सरकार के द्वारा वर्ष 2007 से 2010 के बीच इनकी कुल संख्या 13 बताई गयी जो कि निश्चित रूप से वास्तव में चोरी की गयी पुरातन वस्तुओं की संख्या से बहुत कम है।

- राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पुरातन वस्तुओं की चोरी से संबंधित मामलों को देखता है, लेकिन ऐसे मामलों में कुशलता पूर्वक कार्य करने हेतु क्षमता निर्माण नहीं किया गया है।
- कुछ राज्य सरकारों ने अपने पुलिस बल के हिस्से के रूप में पुरातन वस्तुओं की चोरी के मामलों के लिए विशेष विभागों का गठन किया है, लेकिन इन विशेष विभागों के पास कार्य करने हेतु दक्ष एवं सक्षम कर्मियों का अभाव है।
- पुरातन वस्तु और कलात्मक सम्पदा अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पुरातन वस्तुओं के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। किन्तु इस प्रक्रिया के जटिल होने के कारण बहुत कम वस्तुओं का पंजीकरण हो पाया है।
- भारत में स्थित संग्रहालय दयनीय स्थिति में हैं।
- 2007 में, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा **राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन** का शुभारंभ किया गया। मिशन का उद्देश्य 70,00,000 पुरातन वस्तुओं के दस्तावेजीकरण का कार्य करना था। किन्तु 2014 तक, केवल 8,00,000 पुरातन वस्तुओं का दस्तावेजीकरण का कार्य संपन्न हो पाया था।
- इस संबंध में की गयी लेखा परीक्षा के द्वारा दिल्ली सहित देश के अनेक राष्ट्रीय संग्रहालयों में पुरातन वस्तुओं की बताई गयी संख्या और उनकी उपलब्ध संख्या में विसंगति के बारे में गंभीर चिंता जताई गयी है।

VISION IAS

9. सुर्खियों में

9.1. राजस्थान नगरीय भूमि (हक प्रमाणन) विधेयक, 2016

(Rajasthan Urban Land (Certification Of Titles) Bill 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राजस्थान शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व–पत्र पर कानून अधिनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

इसका अर्थ क्या है?

- शहरी क्षेत्रों में रहने वाले राज्य के निवासी राज्य सरकार को नाममात्र शुल्क का भुगतान कर अपनी भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- इन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन करना भूस्वामियों के लिए स्वैच्छिक है।

पृष्ठभूमि

- दोषपूर्ण रूप से परिभाषित संपत्ति के अधिकार और भूमि बाजार में उच्च विनिमय लागतें, देश में व्यापार करने की सुगमता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से हैं।
- राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव (Rights and Resources Initiative, RRI) द्वारा वर्ष 2014 में जारी की गई एक रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि भूमि के स्वामित्व से जुड़े झगड़ों से 25% से अधिक जिले प्रभावित हैं।
- भू–स्वामी के लिए किसी अधिसूचित प्राधिकारी के पास अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है।
- अधिकतर नगरपालिका प्रशासन, मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व के खराब रिकॉर्डों के कारण संपत्ति शुल्क या विकास शुल्कों से सम्बंधित 50% से अधिक कर–संग्रहण करने में असमर्थ हैं।

प्रभाव

- यह विधेयक भूस्वामी को स्पष्ट मालिकाना हक देगा और न्यायालयों में होने वाले मुकदमों को कम करेगा।
- यह शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि भूमि की खरीद और बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में भी सहयोग करेगा।
- यह कुशल और पारदर्शी आधुनिक भूमि बाजार भी निर्मित करेगा, कार्यकाल की निश्चितता प्रदान करेगा एवं विकास परियोजनाओं को प्रायः अवरुद्ध करने वाली मुकदमेबाजी को समाप्त करेगा।
- इसके द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि को परिसंपत्ति के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।
- यह अपनी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को भी निरूपित करेगा और भूमि अधिग्रहण विधेयक के उपबंधों के अनुसार बेहतर मूल्य निर्धारण में सहायता करेगा।

अधिनियम के प्रावधान

- एक स्वतंत्र भूमि स्वामित्व प्रमाणीकरण (Land Title Certification LTC) प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। यह प्राधिकरण सर्वेक्षण अभिलेखों एवं जारी किए गए स्वामित्व प्रमाणपत्रों के पंजीकरण का अभिरक्षक होगा।
- यू.एल.सी.टी. प्रणाली में दस्तावेज़ों को रिकार्ड करने और प्रबंधित करने के लिए, कंप्यूटराइज्ड लैंड इवैल्यूएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ रिकाड्र्स (CLEAR) नामक एक डिजिटल प्लेटफार्म निर्मित किया जाएगा।
- प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उन पर अधिनिर्णय प्रदान करने के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना है।

9.2. पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के लिए विवाद समाधान तंत्र

(Dispute Resolution Mechanism for PPP)

समाचार में क्यों?

- नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ) ने कहा है कि पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए विवाद समाधान तंत्र शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा।
- साथ ही, हाल ही में केलकर समिति ने बुनियादी ढांचा पी.पी.पी. परियोजना समीक्षा समिति (Infrastructure PPP Project Review Committee, आई.पी.आर.सी) एवं बुनियादी ढांचागत पी.पी.पी. अधिनिर्णय न्यायाधिकरण (Infrastructure PPP Adjudicatory Tribunal, आई.पी.ए.टी.) के द्विस्तरीय ढांचे की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा।

विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता क्यों?

- यह वाणिज्यिक और वित्तीय परिधियों/सीमाओं के भीतर परियोजना के पुनर्गठन के लिए लचीलापन प्रदान करता है।
- यह निजी संस्था और सरकार के बीच न्यायसंगत रूप से जोखिम साझा किया जाना सुनिश्चित करता है।
- इसकी आवश्यकता ठप पड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए है जो बैंकों की निरंतर बढ़ती गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) में वृद्धि कर रही हैं।

VISION IAS

विवाद समाधान तंत्र क्या है?

- निजी संस्था और सरकार के बीच विवाद की स्थिति में संबंधित संस्था, बुनियादी ढांचागत पी.पी.पी. अधिनिर्णय न्यायाधिकरण (आई.पी.ए.टी.) में जा सकती है जो इसकी स्वीकार्यता को देखते हुए, विशेष मामले के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता वाली एक बहु–विषयक विशेषज्ञ समिति (multi-disciplinary expert committee), अर्थात् आई.पी.आर.सी. की स्थापना करेगा।
- आई.पी.आर.सी. की अनुशंसाओं की समीक्षा के बाद, आई. पी.ए.टी. सभी हितधारकों के अभिवेदन (दलील) सुनेगी और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्णय की घोषणा करेगी।
- आई.पी.ए.टी. के अंतिम आदेश को केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

9.3. मानवरहित जमीनी वाहन (यू.जी.वी.)

[Unmanned Ground Vehicles (UGVs)]

- डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित, हमला करने में सक्षम मानवरहित जमीनी वाहन को रक्षा प्रदर्शनी DEFExpo 2016 में प्रदर्शित किया गया। यह अभी भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है।
- यह भविष्य में पारंपरिक मानव चालित वाहनों के लिए दुर्गम भूभागों और ऐसी ही परिस्थितियों में होने वाले युद्ध अभियानों का एक भाग होगा।
- यू.जी.वी. स्वचालित होगा और टोह लेने (शत्रु सेनाओं के कब्जे के क्षेत्र के बाहर पर्यवेक्षण करने) एवं लक्ष्य की पहचान करने में सक्षम होगा।
- यह अपने इलाके के चारों ओर लगभग 50 कि.मी. तक छुपकर कार्य करने और लगभग 50 कि.ग्रा. हथियार वहन करने में सक्षम होगा, हालांकि इसके द्वारा घातक बल का प्रयोग करने का निर्णय मानव नियंत्रण के अंतर्गत होगा।
- वास्तविक वाहन की ऑफ रोड क्षमताएँ बेहतर होने की संभावना है और यह कम तीव्रता वाले युद्ध में संचालित करने हेतु दो हल्के रॉकेट या मशीन गनों को ले जाने में सक्षम होगा।

9.4. सिलिका एयरोजेल

(Silica aerogel)

- यह विश्व का सबसे हल्का ऊष्मा–रोधी पदार्थ है।
- इसकी आवश्यकता क्यों: पिछले तीन वर्षों में, कम से कम 41 सैनिकों ने चरम(कठोर) मौसम के कारण सियाचिन ग्लेशियर पर अपना जीवन खोया है। यह चरम मौसम की स्थितियों से सैनिकों की रक्षा कर सकता है।
- यह एयरोजेल वास्तव में एक ठोस है किन्तु अपनी जटिल मैट्रिक्स के भीतर यह 99 प्रतिशत वायु संपुटित (encapsulate) करता है।
- सिलिका एयरोजेल का उपयोग क्रायोजेनिक इंजनों में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन धारित करने वाले टैंकों को ऊष्मा रोधी बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

9.5. कुनपेंग–1बी

(Kunpeng-1B)

विशेषताएँ

- इसे चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है।
- यह एक साउंडिंग रॉकेट है।
- साउंडिंग रॉकेट क्या है: साउंडिंग रॉकेट कम लागत के प्रक्षेपण वाहन हैं। ये रॉकेट की उप–कक्षीय उड़ान के दौरान मापन करने वाले वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाने हेतु अभिकल्पित किए गए हैं।
- यह ऊपरी वायुमंडल में मापन करेगा और उच्च गति की उड़ान तथा अंतरिक्ष पर्यटन अनुसंधान में सहायता करेगा।

9.6. आधार नामांकन की संख्या 100 करोड़ के पार

(Aadhaar enrolment hits 100-crore milestone)

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने साढ़े पांच वर्षों की अवधि में 100 करोड़ आधार नंबर जारी किए हैं।
- वर्तमान में भारत की वयस्क जनसंख्या के 93%, 5–18 आयुसमूह के 67% तथा 0–5 वर्ष आयु समूह के 20% व्यक्ति, आधार कार्ड धारण करते हैं।
- सरकार ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए नए स्मार्ट कार्ड जारी न करने का निर्णय लिया है क्योंकि आधार अब विधि द्वारा समर्थित है।

9.7. प्रधानमंत्री द्वारा 'स्टैंड अप इंडिया' के शुभारंभ से संबंधित नए तथ्य

(PM Launches Stand Up India: Updates)

विस्तृत विवरण के लिए कृपया स्टैंड अप इंडिया पर पूर्व में दिए गए आलेख को देखें। इस आलेख में केवल इस योजना से संबंधित नए तथ्य हैं।

- प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ किया। यह योजना गैर–कृषि क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला ऋणग्रहीताओं के लिए 10 लाख रु. से 1 करोड़ रु. तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप इंडिया के लोगो का भी उद्घाटन किया जिसकी टैग लाइन है ''करें प्रयास, पाएँ विकास''।

VISIONIAS

- शुभारंभ समारोह के भाग के रूप में, उन्होंने मुद्रा–योजना के तहत 5,100 ई–रिक्शा वितरित किए।
- ये ई–रिक्शा, साइकिल–रिक्शा मालिकों के साथ ही महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को भी दिये गए।

9.8. संविदा श्रमिकों के लिए मासिक मजदूरी का पुनरीक्षण

(Revision of Monthly Wages for Contract Workers)

- श्रम मंत्रालय ने संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है और संविदा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक आय को वर्तमान मजदूरी 6000 रु. प्रति माह की तुलना में बढ़ाकर 10,000 रु. तक करने का प्रस्ताव दिया है।
- यह किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले अनुबंध या संविदा श्रमिकों हेतु वैध होगा।

संभावित सकारात्मक प्रभाव

- यह संविदा श्रम (नियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत कवर किये जाने वाले 60 लाख संविदा श्रमिकों को लाभान्वित करेगा।
- एन.एस.एस.ओ. के अनुसार, संविदा श्रमिक नियमित श्रमिकों की तुलना में निर्धन हैं।
- बढ़ी हुई मजदूरियाँ संविदा श्रमिकों द्वारा बेहतर मजदूरी की मांग के लिए की जाने वाली हड़तालों को कम कर सकती हैं।

संभावित नकारात्मक प्रभाव

- यह लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है क्योंकि वे कम लाभ पर काम करते हैं और हो सकता है कि उनके पास बढ़ी हुई मजदूरी पर लोगों को रखने हेतु वांछित संसाधन न हों।
- यह रोजगारों का स्थान परिवर्तित कर उसे बड़े शहरों की ओर कर सकता है जहाँ न्यूनतम मजदूरी प्रति माह रु. 10000 के सममूल्य हैं।
- इससे अनौपचारिक रोजगारों को और अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है क्योंकि नियोक्ता, नियमित श्रमिकों की तुलना में संविदा श्रमिकों से और भी कम मजदूरी पर सभी प्रकार के कार्य करवा सकते हैं।
- इस कदम को संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है, जो समान कार्य के लिए संविदा श्रमिक को नियमित मजदूरी के समतुल्य मजदूरी प्रदान किया जाना अनिवार्य बनाता है।
- यह उद्योगों के और अधिक पूंजीकरण को बढ़ावा दे सकता है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार में कमी हो सकती है।

निष्कर्ष

- संविदा श्रमिकों की दुर्दशा पर विचार करते हुए मजदूरी में वृद्धि करना एक अच्छा निर्णय प्रतीत होता है।
- हालांकि, इस कदम के अनापेक्षित नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं जो संविदा श्रमिकों के और अधिक शोषण का कारण बन सकते हैं।
- इसलिए, प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों जैसे उद्योगों, व्यापार संघों, सरकारी अधिकारियों एवं श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकायों से अच्छी तरह से परामर्श किया जाना चाहिए।

9.9. आवंटित स्पेक्ट्रम के उदारीकरण हेतु नई नीति

(New policy for liberalizing allotted spectrum)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल आवंटित स्पेक्ट्रम के उदारीकरण करने के लिए नई नीति पर सहमत हो गया है। यह नीति दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आवंटित एयरवेव (airwaves) को आपस में साझा करने एवं व्यापार करने में सक्षम बनाएगी।
- पहले लाइसेंस के साथ आवंटित स्पेक्ट्रम को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता था जिनके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया हो।
- दूरसंचार कम्पनियाँ अब ट्राई द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य का भुगतान कर चार सर्किलों अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं राजस्थान में 800 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड (4G LTE सेवाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली) की अपनी एयरवेव्स का उदारीकरण कर सकती हैं।
- हालांकि एक बार नीलामी के पूरा होने पर, सेवा प्रदाताओं को प्रो डेटा के आधार पर, आधार(न्यूनतम) मूल्य एवं नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य के अंतर का भुगतान करना होगा।
- इस कदम से रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड, रिलायंस जियो और टाटा टेलीसर्विसेज को लाभ होना अपेक्षित है। ये कंपनियां 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम व्यापार के विकल्प तलाश रही हैं।

9.10. ब्रिक्स शहर कॉन्क्लेव

(BRICS Cities Conclave)

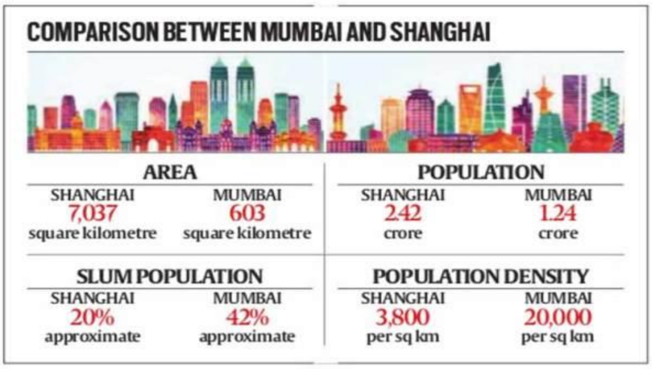

- शंघाई, जोहान्सबर्ग, रियो डी जनेरियो, और सेंट पीटर्सबर्ग सहित ब्रिक्स देशों के प्रमुख शहरों से 75 प्रतिनिधियों ने

VISION IAS

मुंबई में शहरी नियोजन पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया।

- इसमें शहरी परिवहन, सस्ते आवास, शहर प्रशासन के मॉडल, संधारणीय शहरों के निर्माण और शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण जैसे शहरी विकास के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई।
- इसे "मुंबई फर्स्ट" नामक एक निजी विचार मंच (थिंक टैंक), द्वारा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर आयोजित किया गया था।

कॉन्क्लेव की मुख्य विशेषताएं

इसमें करारोपण प्रतिमानों को परिवर्तित करने, भागीदारी बजट तैयार करने और अवसंरचना परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

- सितंबर 2014 से ही मुंबई और शंघाई को सिस्टर सिटी बनाने का द्विपक्षीय समझौता विद्यमान है।
- महाराष्ट्र सरकार मीठी नदी की सफ़ाई करने और 18–कि.मी. लम्बी इस नदी का उपयोग परिवहन हेतु करने की योजना कार्यान्वित करने के उद्देश्य से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त करने की संभावनाएं तलाश करेगी।
- मुंबई भी ट्रांजिट उन्मुख विकास (transit-oriented development TOD) को प्रोत्साहित करेगा। यह जन परिवहन अवसंरचना (mass transit infrastructure) तक सरल पहुँच के सापेक्ष आनुपातिक घनत्व को संदर्भित करता है।

9.11. पृथ्वी दिवस

(Earth Day)

- पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है।
- इस दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने हेतु विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- वर्ष 2016 हेतु 'पृथ्वी के लिए वृक्ष' थीम को अपनाया गया।
- इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1970 में, अमेरिका में आयल स्पिल(oil spill) की विनाशकारी दुर्घटना के बाद हुआ था और इसे व्यापक रूप से आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के आरम्भ के रूप में माना जाता है।
- 1990 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस बना दिया गया और अब यह प्रतिवर्ष 193 से अधिक देशों द्वारा मनाया जाता है।

9.12. केले की खेती में पनामा रोग

(Panama Disease in Banana Cultivation)

- एक मृदाजनित फँफूद सम्पूर्ण केरल में केले की फसलों में पनामा रोग उत्पन्न कर रही है।
- यह किसानों के लिए एक संभावित संकट बनता जा रहा है। इसे यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो यह एक महामारी में बदल सकता है।

यह बड़ी चिंता का विषय क्यों है?

- केले की आधुनिक नस्लें लैंगिक प्रजनन में सक्षम नहीं होती हैं क्योंकि उनमें बीज नहीं होते। ये फल देने में सक्षम तने का रोपण कर अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से विकसित होती हैं। परिणामस्वरूप केले के पौधे आनुवंशिक रूप से लगभग समान होते हैं और इस प्रकार रोगों के लिए उनमें एक ही प्रकार की सुग्राह्यता होती है।
- रोगाणु यदि एक बार पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली पर नियंत्रण प्राप्त कर ले तो यह सम्पूर्ण फसल क्षेत्र को शीघ्रतापूर्वक संक्रमित कर सकता है।
- आम तौर पर ऐसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए फँफूदनाशियों का उपयोग किया जाता है। हालांकि, विशेषज्ञों ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया है कि यह रोगाणु, फँफूदनाशियों के प्रति प्रतिरोधी है और इसे रासायनिक रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

9.13. मैड काउ रोग

(Mad Cow Disease)

यह क्या है?

- क्रूट्सफेल्ड–जेकब रोग (Creutzfeldt–Jakob disease CJD) एक दुर्लभ अपक्षयी स्नायविक रोग है। यह असाध्य और घातक होता है।
- इसे मैड काउ रोग अर्थात् बोवाइन स्पॉन्जिफ़ॉर्म एनसिफ़लॉपैथी (Bovine spongiform encephalopathy BSI) का मानव संस्करण कहा जाता है, क्योंकि यह सी.जे.डी. के अनेक प्रकारों का कारण है।
- प्रायन (prion) नामक एक संक्रामक एजेंट CJD उत्पन्न करता है। प्रायन दोषपूर्ण रूप से वलयित प्रोटीन होते हैं।
- CJD मस्तिष्क के ऊतकों को तेजी से विकृत करता है और मस्तिष्क में स्पंज की भाँति छिद्र विकसित हो जाते हैं।

चिंता का कारण क्यों?

- आसान संचरण– CJD का संचरण मनुष्यों से अन्य प्राणियों में एच.आई.वी. के संचरण की भाँति ही होता है।

VISION IAS

- पहचान करना कठिन – यह प्रकट रूप में कई वर्षों तक मात्र मनोवैज्ञानिक लक्षण दिखाते हुए निष्क्रिय रह सकता है।
- **इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है।**
- भारत में इसकी बढ़ती हुई घटनाएँ – यद्यपि यह रोग 1.5 मिलियन में 1 की संक्रमण दर के साथ विरले ही देखा जाता है, तथापि भारत में (गुंटूर जिले में) पिछले 1 वर्ष में CJD के कम से कम 6 मामले दर्ज किए गए हैं।

9.14. भारत में ट्रांसनेशनल स्किल स्टैण्डर्ड

(Transnational Skill Standards in India)

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व स्तर पर मान्यताप्राप्त कौशल मानकों से तालमेल बैठाने के लिए भारत में 'ट्रांसनेशनल स्किल स्टैण्डर्ड' का शुभारंभ किया है।
- कौशल विकास के ये मानक यूनाइटेड किंगडम के 82 चिह्नित रोजगार भूमिकाओं के मापदण्ड (बेंचमार्क) से संरेखित किए गए हैं।
- अंतराल (गैप) को पूरा करने के लिए, 'सेतु प्रशिक्षण' (ब्रिज ट्रेनिंग) प्रदान किया जाएगा।
- यह सरकार की दो प्रमुख पहलों अर्थात् "मेक इन इंड़िया" और 'स्किल इंडिया' को सहयोग प्रदान करने में भी सहायता करेगा।
- कुशल कार्यबल में कार्यक्षमता का एक स्तर तक विकास करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का मानकीकरण महत्वपूर्ण है।

9.15. व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन नीति

(WhatsApp Encryption Policy)

- व्हाट्सएप ने अपने सभी संदेशों के लिए एंड–टू–एंड एन्क्रिप्शन का समावेश किया है।
- व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन 256–बिट की(कुंजी) का उपयोग करता है, जिसकी जानकारी केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता को होती है, इसलिए इसे "एंड–टू–एंड" कहा जाता है।
- एंड–टू–एंड एन्क्रिप्शन व्यक्ति के सम्पूर्ण गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करता है।
- यह साइबर अपराधियों, हैकर्स और साथ ही दमनकारी शासनों से भी डिजिटल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

एन्क्रिप्शन नीति के प्रति सरकार की अनुक्रिया

- मजबूत एंड–टू–एंड एन्क्रिप्शन ने तकनीकि कंपनियों (Tech companies) और सरकारों के बीच असहमति उत्पन्न कर दी है।
- सुरक्षा एजेंसियों को भय है कि यह अपराधियों और आतंकवादियों को सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देगा।
- हाल ही में, अमेरिकी सरकार ने एप्पल कम्पनी को एक एन्क्रिप्टेड आईफोन के डेटा तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए कहा था, जिसे कम्पनी ने इनकार कर दिया।

9.16. पर्यावरण चावड़ी

(Paryavaran Chavadi)

- इस समय महाराष्ट्र सूखे की चरम स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पर्यावरणविदों एवं जल संरक्षणकर्ताओं ने पर्यावरण की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए "पर्यावरण चावड़ी' का आयोजन किया है।
- "चावड़ी", महाराष्ट्र के ग्रामीण जीवन का एक पारंपरिक पहलू है। यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ गाँव के लोग एकत्रित होते हैं और सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार किया जाता है।
- यह एक सामुदायिक पहल है जो जीवन के सभी क्षेत्रों से भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
- इस पर्यावरण संगोष्ठी में एक आम व्यक्ति विशेषज्ञों, नौकरशाहों और अन्य विभिन्न हितधारकों के साथ समस्याओं पर चर्चा कर सकता है।
- यह एक विशिष्ट लोकतांत्रिक स्थान है जहाँ वृक्ष संरक्षण और शहर के तीव्र जल संकट से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर केंद्रित चर्चा होती है।

9.17 पीत ज्वर

(Yellow Fever)

- अंगोला से प्रसारित हुए पीत ज्वर का प्रकोप घातक रूप से बढ़ रहा है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 40 से अधिक देशों को 'पीत ज्वर स्थानिक देशों' के रूप में सूचीबद्ध किया है। इन देशों में अंगोला, कैमरून, कांगो, केन्या, माली, सेनेगल, सूडान, युगांडा, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे और वेनेजुएला सम्मिलित हैं।
- अंगोला से शुरू हुआ यह रोग पहले से ही अफ्रीका के अन्य देशों में फैल गया है। इन देशों में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डी.आर.सी.) सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त पीत ज्वर के कम से कम 11 मामले चीन में भी प्रकाश में आ चुके हैं।

पीत ज्वर

- पीत ज्वर एक तीव्र विषाणुजनित फ्लू जैसा रोग है। यह संक्रमित मच्छरों द्वारा संचारित होता है।
- यह उन्हीं मच्छरों द्वारा संचरित किया जाता है जो जीका और डेंगू विषाणुओं का संचरण करते हैं।
- यह विषाणु 900 मिलियन से भी अधिक की संयुक्त जनसंख्या वाले अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का स्थानिक विषाणु है।

VISION IAS

- मच्छर इसका प्राथमिक वाहक है। यह इस विषाणु को एक पोषक से दूसरे पोषक तक ले जाता है: मुख्य रूप से बंदरों में, बंदरों से मनुष्यों में, और मनुष्यों से अन्य मनुष्यों में।
- एडीज और हीमोगॉगस (Haemogogus) मच्छरों की विभिन्न प्रजातियाँ इस विषाणु को संचारित करती हैं। पीत ज्वर के विरुद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण निरोधात्मक उपाय टीकाकरण है।
- इस नाम में सम्मिलित "पीत" शब्द रोगियों को प्रभावित करने वाले पीलिया को संदर्भित करता है।

9.18. विश्व में बाघों की संख्या में वृद्धि

(Worldwide Increase in Tiger Population)

- विश्व स्तर पर वन्य बाघों की संख्या 22 प्रतिशत तक बढ़ गयी है। विश्व वन्यजीव कोष (WWF) और ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) के अनुसार यह वर्ष 2010 की अनुमानित संख्या 3200 से बढ़कर 3,890 हो गयी है।
- वर्ष 2010 में 1706 से बढ़कर वर्तमान में 2226 की अनुमानित संख्या के साथ, भारत इस दृष्टि से अग्रणी है।
- कर्नाटक में बाघों की संख्या सर्वाधिक है और उसके बाद उत्तराखंड का स्थान आता है।
- इसके अतिरिक्त, 2022 तक बाघों की संख्या को दुगुना कर 6400 तक करने का WWF TX2 लक्ष्य अभी भी काफी दूर है।

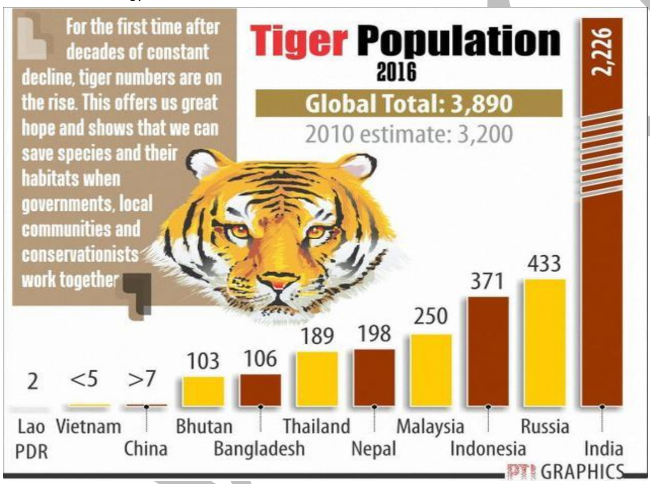

9.19. शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य के रूप में भारत चीन से आगे

(India Overtakes China as Top FDI Destination)

- फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 में 63 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के साथ भारत ने ग्रीनफील्ड पूंजी निवेश के मामले में चीन का स्थान ले लिया है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) परियोजना की घोषणाएँ मुख्य रूप से उच्च मूल्य क्षेत्रों जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रकों में की गयी थीं।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का 98% भाग स्वचालित मार्ग से आया।
- भारतीय और चीनी राज्यों के बीच तुलना करने पर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में गुजरात शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है।
- घरेलू बाजार विकास क्षमता और बाजारों से निकटता, निवेश के दो मुख्य कारण रहे।

9.20. कंप्यूटर संबंधित आविष्कार (CRI) हेतु नए दिशा–निर्देश

(New Computer Related Invention (CRI) Guidelines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय (भारतीय पेटेंट कार्यालय या IPO) ने कम्प्यूटर संबंधी आविष्कारों के परीक्षण के लिए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

कंप्यूटर संबंधित आविष्कार (CRI)

ऐसे आविष्कार जिन्हें कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, या अन्य प्रोग्रामेबल उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसमें ऐसे आविष्कार भी सम्मिलित हैं जिनके एक या एक से अधिक गुणों को पूरी तरह या आंशिक रूप से संपादित करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। इसमें चार व्यापक श्रेणियाँ सम्मिलित हैं: विधि/प्रक्रिया, उपकरण/प्रणाली, कंप्यूटर पठनीय माध्यम और कंप्यूटर प्रोग्राम उत्पाद (method/process] apparatus /system, computer readable medium and computer program product)।

दिशा–निर्देश – इसमें CRI आवेदन के परीक्षण में नए तीन चरणीय परीक्षण का समावेश किया गया है।

1. दावों को उचित प्रकार से समझना और वास्तविक योगदान की पहचान करना;
2. यदि योगदान केवल गणितीय विधि, व्यापार विधि या कलन (Algorithm) में निहित है तो दावे को निरस्त करना।
3. यदि योगदान कंप्यूटर प्रोग्राम के क्षेत्र में निहित है तो जाँच करना कि क्या इसका दावा नवोन्मेषी हार्डवेयर के संयोजन के साथ किया गया है? यदि योगदान केवल कंप्यूटर प्रोग्राम में निहित है तो दावे को निरस्त करना। यदि योगदान कंप्यूटर प्रोग्राम एवं हाडवेयर दोनों में निहित है तो आगे की कार्यवाही की जाए।

दिशानिर्देशों के समर्थन में तर्क

- नए दिशा–निर्देश अब पेटेंट अधिनियम 1970 (अनुभाग–3(k)) के प्रावधानों के अनुसार हैं, जो गणितीय

विधियों, कलन विधियों और कंप्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट प्रदान करने की पात्रता में सम्मिलित नहीं करता।

- वे यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित patent thickets, trolls जैसी सामान्य परिघटना के शिकार न हो जाएं।
- इन दिशा निर्देशों ने सुनिश्चित किया है कि अब कंप्यूटर संबंधी आविष्कारों के लिए पेटेंट की पात्रता के निर्धारण के संबंध में भारत की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के स्तर की है।

दिशा–निर्देशों के विरुद्ध तर्क

- विधिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने आपत्तियाँ उठायी हैं। वे अपने व्यवसाय की क्षति को लेकर चिंतित हैं (कोई पेटेंट नहीं होगा, तो पेटेंट सबंधी कोई मुकदमेबाजी भी नहीं होगी), और
- ऐसे बहुराष्ट्रीय निगमों (एम.एन.सी.) द्वारा भी आपत्तियाँ उठायी गयीं हैं जो स्वत्वाधिकार युक्त सॉफ्टवेयर आधारित व्यापार मॉडल पर कार्य करते हैं और सहयोगात्मक इंजीनियरिंग और ओपेन सोर्स सॉफ़्टवेयर की तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक रहने का प्रयास कर रहे हैं।
- उनके अनुसार, इन दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप नवोन्मेषों के लिए मुक्त और अनुकूल वातावरण समाप्त हो जाएगा।

- **भारतीय पेटेंट कार्यालय**
- भारतीय पेटेंट कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (CGPDTM) के कार्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- CGPDTM वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) को रिपोर्ट करता है। इसके पाँच मुख्य प्रशासनिक अनुभाग हैं: पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत एवं पेटेंट सूचना प्रणाली।

9.21. मध्य प्रदेश में खुशहाली मंत्रालय

(Ministry of Happiness in Madhya Pradesh)

- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रगति और संवृद्धि को मापने के लिए एक 'खुशहाली मंत्रालय' की घोषणा की है।
- राज्य को अपने नागरिकों की खुशहाली और सहिष्णुता के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा।
- 'सदैव खुश कैसे रहा जाए' के संबंध में लोगों को परामर्श प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित करने का भी प्रस्ताव उन्होंने दिया है।

अन्य उदाहरण

- भूटान में समृद्धि का मापन नागरिकों की खुशहाली का आंकलन करके किया जाता है। इसे लोकप्रिय रूप से सकल राष्ट्रीय खुशहाली के रूप में जाना जाता है।
- संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) सरकार में खुशहाली मंत्री का पद सृजित करने वाला एक मात्र देश है।

9.22. आदि वानर (प्राइमेट) की नई प्रजाति देखी गई

(New Primate Species Sighted)

- अरुणाचल प्रदेश में फोटोग्राफरों द्वारा प्राइमेट की एक नई प्रजाति देखी गयी थी जिसे व्हाइट–चीक्ड मकाक (White-Cheeked Macaque) कहा जाता है।
- मकाक, लंगूर और गिब्बन के दूर के सम्बंधी हैं।
- इससे पहले 2005 में अरुणाचल मकाक (मकाका मुंजाला) खोजा गया था।

भारत में बंदरों के प्रकार

- रीसस बंदर; शहरी और ग्रामीण भारत में पाया जाने वाला सबसे आम बन्दर।
- उत्तर–पूर्वी भारत में अरुणाचल मकाक, असम मकाक, पिग–टेल्ड मकाक और स्टंप–टेल्ड मकाक पाये जाते हैं।
- पश्चिमी घाट में लायन–टेल्ड मकाक पाया जाता है। अपनी IUCN प्रस्थिति के अनुसार यह संकटग्रस्त (इन्डैन्जर्ड) है।
- असम में गोल्डन लंगूर, उत्तर–पूर्व भारत में टोपी वाला लंगूर, नीलगिरि पहाड़ियों में नीलगिरि लंगूर।
- उत्तर–पूर्व भारत में हूलॉक गिब्बन पाया जाता है, जो भारत में पाई जाने वाली कपि (ऐप) की एकमात्र प्रजाति है।
- स्लैंडर लोरिस– भारत के दक्षिण–पूर्वी घाटों में पाया जाने वाला निशाचर आदि–वानर है।

9.23. जेनेरिक दवाओं का परामर्श देने संबंधी कानून पर विचार

(Generic Medicine Prescription Law)

- केन्द्र सरकार चिकित्सकों के लिए एक कानून बनाने का विचार कर रही है जिसके अनुसार उनके द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं के नुस्खे (प्रिस्क्रिप्शन) में राज्य द्वारा संचालित जन औषधि दुकानों के माध्यम से सस्ती दरों पर उपलब्ध जेनेरिक दवाओं का परामर्श देना अनिवार्य होगा।
- सरकार देश भर में ऐसे 3000 जन औषधि स्टोर आरम्भ करने की योजना बना रही है जहाँ सस्ते मूल्यों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध होंगी।
- लेकिन इस योजना द्वारा प्रमुख रूप से इस समस्या का सामना किया जा रहा है कि चिकित्सक अपनी दवा के नुस्खे में सामान्य रूप से जेनेरिक दवाओं का परामर्श नहीं देते बल्कि अधिक महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं।

VISION IAS

- कारखाने से उत्पादन उपरान्त ब्रांडेड दवाओं के मूल्य, आपूर्ति श्रृंखला लागतों एवं मेडिकल प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के कारण कई गुना बढ़ते जाते हैं।
- लैंसेट अध्ययन यह प्रदर्शित करता है कि भारत के स्वास्थ्य व्यय में से 58 प्रतिशत व्यय आय से अधिक (out of pocket) किया जाने वाला व्यय होता है और इसमें से दो तिहाई व्यय दवाइयों पर किया जाता है।
- जोखिम आच्छादन (रिस्क कवर) अस्पताल में भर्ती होने पर दवाओं संबंधी व्यय के आंशिक भाग को कवर करने तक ही सीमित होता है और यह नुस्खे में लिखी गई दवाओं को कवर नहीं करता।

9.24. नागोर्नो–काराबाख क्षेत्र

(Nagorno-Karabakh region)

- अप्रैल में नागोर्नो–काराबाख सीमा के निकट आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। 1994 में समाप्त हुए युद्ध के बाद यह शत्रुता का सर्वाधिक बड़े पैमाने पर हुआ प्रदर्शन था।
- नागोर्नो–काराबाख़ संघर्ष आर्मेनिया गणराज्य और अज़रबैजान के बीच स्वघोषित नागोर्नो–काराबाख गणराज्य के संबंध में एक नस्लीय संघर्ष है।
- यह क्षेत्र अज़रबैजान में है जहाँ मुख्य रूप से नस्लीय आर्मिनियाई लोगों की आबादी है।
- काराबाख तकनीकी रूप से अजरबैजान का भाग है किन्तु सोवियत संघ के विघटन के बाद से इस पर नस्लीय आर्मिनियाई सरकार का शासन चलता रहा है।

9.25. खर्चीली विधिक प्रणाली सर्वेक्षण रिपोर्ट

(Expensive Legal System Survey Report)

- दक्ष नामक एक गैर–लाभकारी संगठन ने 24 राज्यों में "न्याय तक पहुँच" पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया।
- इस अध्ययन का अनुमान है कि वादियों को सामान्यतया प्रति दिन, प्रति मामले के आधार पर 1,746 रु. के वेतन या व्यापार की हानि हुई है, जिसे यदि जोड़ा जाए तो इसका मूल्य कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रु. (7.5 बिलियन), डॉलर वार्षिक से अधिक होता है।
- न्यायालय की सुनवाई में भाग लेने के कारण वेतन और व्यापार की क्षति से होने वाली उत्पादकता की हानि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.48 प्रतिशत होती है।
- 90 प्रतिशत वादियों द्वारा प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये से कम अर्जित किया जाता है और इस समूह के लिए मुकदमेबाजी की अपेक्षित लागत का माध्य 16,000 रु. के आसपास है।
- करीब आधे वादियों ने मामलों का अपने पक्ष में समाधान न होने पर उच्च न्यायालय में अपील दायर न कर पाने का मुख्य कारण संबंधित व्यय को बताया।
- निपटान समयः– सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम इस तथ्य पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डालते हैं कि भारत के न्यायालय, कष्टदायक रूप से धीमे कार्य करते हैं। इस प्रकार ये आम नागरिकों को वित्तीय रूप से कमजोर करते रहे हैं।

9.26. सार्वजनिक सुरक्षा

(Public Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केरल राज्य के कोल्लम जिले में पुत्तिंगल देवी के मंदिर में हुई अग्नि त्रासदी में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।
- यह आग आतिशबाजी प्रदर्शन के दौरान लगी और इसने आतिशबाजी भण्डार गृह में विस्फोट कर दिया।

मुद्दे

- घटिया एवं अकार्यशील आपात बचाव अवसंरचना जैसे कि अग्निशामक व्यवस्था, चिकित्सा सहायता इत्यादि।
- लापरवाहीपूर्ण पुलिस प्रतिक्रिया के साथ–साथ सुरक्षा टीम की जिम्मेदारी का निश्चित न होना।
- सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करना। आयोजकों ने जिलाधिकारी द्वारा अनुमति निरस्त किए जाने के बाद भी आतिशबाजी का प्रदर्शन किया।
- कर्मचारी एवं स्वयंसेवक भीड़ प्रबंधन में प्रशिक्षित नहीं थे।
- पुलिस बलों, प्रशासन और कार्यक्रम के आयोजकों के बीच समन्वय का अभाव।

आगे की राह

- सार्वजनिक सुरक्षा नीतियों को धर्म और राजनीति से पृथक किया जाना चाहिए।
- उचित योजना निर्माण: विस्तृत स्टॉफ योजना तैयार की जानी चाहिए।
- कर्मचारियों को भीड़ प्रबंधन प्रक्रियाओं एवं आपात योजना हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधकों को सार्वजनिक प्रवेश (या निर्गम) स्थलों के किनारे पर तैनात किया जाना चाहिए, न कि लोगों के मार्ग के बीच में।
- लोगों को सुरक्षित निकास मार्ग उपलब्ध कराये जाएं।
- मानक संचालन प्रक्रिया का गंभीरतापूर्वक अनुपालन करने के साथ–साथ परिनियोजन (Deployment) की गुणवत्ता का संयोजन कर इस प्रकार के कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सकता है।

9.27. प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक

(Press Freedom Index)

- हाल ही में, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने वर्ष 2016 के लिए 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक' प्रकाशित किया है।
- इस सूचकांक की शीर्ष पंक्ति पर तीन नॉर्डिक देश: फिनलैंड (2010 से प्रथम स्थान पर स्थित), नीदरलैंड और नार्वे हैं।
- नवीनतम रैंकिंग में भारत 180 देशों के बीच काफी नीचे 133वें स्थान पर स्थित है। हालांकि भारत 2015 में अपने स्थान (136वाँ) से तीन स्थान ऊपर गया है।
- इस सूची के अंतिम स्थानों पर तुर्कमेनिस्तान (178वाँ), उत्तरी कोरिया (179वाँ) और इरीट्रिया (180वाँ) हैं।
- भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 147वें, श्रीलंका 141वें, अफगानिस्तान 120वें, बांग्लादेश 144वें, नेपाल 105वें, भूटान 94वें और चीन 176वें स्थान पर है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका को 44वाँ स्थान एवं रूस को 148वाँ स्थान दिया गया है।
- यह रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि वैश्विक एवं क्षेत्रीय, दोनों ही स्तरों पर मीडिया की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में गम्भीर और निराशाजनक गिरावट दर्ज हुई है।

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.